Monday, 21 February, 1966

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

18-6-92
4.1.84

सत्यमेव जयते

[खंड 50 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. L contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूचि/CONTENTS

अंक 5—सोमवार, 21 फरवरी, 1966/2 फाल्गुन, 1887 (शक)

No. 5—Monday, February 21, 1966/Phalguna 2, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
91.	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में निर्मित तथा वायुयान	New Aircraft at H.A.L. .	3059–60
92.	भारत पकिस्तान संघर्ष के परिणामस्वरूप विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of persons displaced as a result of Indo-Pakistan conflict	3061–63
93.	अन्दमान द्वीपसमूह के निकट इण्डोनेशिया की नावें	Indonesian Boats near Andaman Islands . . .	3064–66
94.	बर्मा में नागाओं का अवैध प्रवेश	Nagas' infiltration into Burma .	3066–70
95.	श्री जवाहर लाल नेहरू की रचनाएं	Works of Shri Jawaharlal Nehru	3071–73
96.	मलयेशियाई विद्यार्थी	Malaysian students . . .	3073–76
97.	राष्ट्रीय रक्षा कोष	National Defence Fund . .	3076–78

प्रश्नों के लिखित उत्तर /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.			
98.	भारत पाकिस्तान युद्ध के फलस्वरूप हुई हानि के लिये पंजाब को सहायता	Assistance to Punjab for Indo-Pakistan War damages . .	3078–79
99.	नजरबन्दी व्यक्तियों की अदला बदली	Exchange of Internees . .	3079
100.	चीन द्वारा श्री लंका में भारत-विरोधी प्रचार	Anti-Indian Propaganda in Ceylon by China . . .	3080
101.	बर्मा में भारत-मूलक लोगों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum presented by people of Indian Origin in Burma .	3080–81
102.	मांजगांव डाक्स	Mazagaon Docks . . .	3081

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—21 Lok Sabha/66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
103.	गुजरात के मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री बी० जी० मेहता की विमान दुर्घटना	Air Accident of Late Shri B. G. Mehta, Gujarat Chief Minister	3081–82
104.	सशस्त्र सेनाओं में अनिवार्य भर्ती	Conscription to Armed Forces .	3082
105.	पाकिस्तान को फौजी साज समान का संभरण	Supply of Military Equipment to Pakistan	3083
106.	पख्तूनिस्तान	Pakhtoonistan . .	3083–84
107.	चीन द्वारा चुम्बी घाटी से नाथूला तक सड़क का निर्माण	Construction of Road from Chumbi Valley to Nathu La by Chinese	3084
108.	रोडेशिया	Rhodesia	3084–85
109.	प्रसारण तथा अन्य प्रचार माध्यम संबंधी समिति का प्रतिवेदन	Committee on Broadcasting and Other Information Media .	3085
110.	लन्दन में भारतीय विद्यार्थियों पर आक्रमण	Assaults on Indian Students in London	3086
111	पूर्वी पाकिस्तान में बंगला भाषा के विरुद्ध आन्दोलन	Drive Against Bengali Language in East Pakistan . .	3086–87
112.	काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेषक	United Nations Observers in Kashmir	3087
113.	विदेशों में भारतीय नागरिकों की सम्पत्ति का जब्त किया जाना	Confiscation of Properties of Indians	3087
115.	चीन के सामर्थ्य तथा परमाणु कार्यक्रम मूल्यांकन	Assessment of Chinese Capabilities and Nuclear Programme .	3088
116.	आयात किये जाने वाले कच्चे माल का प्रतिस्थापन	Import Substitution of Raw Material	3088–89
117.	पाकिस्तानी दूतावासों द्वारा भारतविरोधी प्रचार	Anti-Indian Propaganda by Pakistani Missions . . .	3089
118.	परमाणु अस्त्र–विहीन राष्ट्रों के लिये गारन्टी	Guarantee for Non-Nuclear Nations	3089
119.	प्रधान मंत्री की आसम यात्रा	Prime Minister's visit to Assam .	3090

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
411.	अन्तरिक्ष गवेषण टैकनालाजी केन्द्र	Space Research Technology Centre	3090–91
412.	केरल के अफसरों तथा अन्य रैंकों के परिवार के सदस्यों को सहायता	Benefits to Family Members of Officers and other Ranks from Kerala	3091–92
413.	डबोलिम हवाई अड्डा (गोआ)	Dabolim Airport (Goa) . .	3092

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
414.	जमावरोधी तत्व (एन्टी फ्रीज कंटेन्ट)	Anti freeze Content . . .	3092–93
415.	बरेली के निकट विमान दुर्घटना	Air Crash near Bareilly .	3093
416.	पूर्वी तट पर गश्त	Patrolling of East Coast . .	3093
417.	भारत और नेपाल के अधिकारियों की बैठक	Meeting of Indo-Nepal Officials .	3093–94
418.	नागाओं द्वारा टिकटों का बनाया जाना	Production of Stamps by Nagas	3094
419.	भारत पाकिस्तान संघर्ष में बस मालिकों तथा ठेकेदारों की मृत्यु	Bus Owners and Contractors killed in Indo-Pakistan Conflict .	3095
420.	राष्ट्रीय रक्षा कोष	National Defence Fund . .	3095
422.	जम्मू नगर पर अज्ञात विमान	Unidentified Plane over Jammu City	3095–96
423.	उत्तर प्रदेश में परमाणु बिजलीघर	Atomic Power Station in U. P. .	3096
424.	राष्ट्रीय रक्षा कोष	National Defence Fund . .	3096
425.	भारत का विदेशों में प्रचार	India's Publicity Abroad . .	3097
426.	टेलिविजन संबंधी अन्तरिम रिपोर्ट	Interim Report on Television .	3097
427.	विद्रोही नागाओं के साथ प्रधान मंत्री की भेंट	Prime Minister's Meeting with Naga Rebels . . .	3097–98
428.	फल फूल तथा पशु पक्षियों पर विकीरण (रेडिएशन) का प्रभाव	Effect of Radiation on Flora and Fauna	3098–99
429.	वियतनाम स्थिति	Vietnam Situation . . .	3099–3100
430.	सेनाओं के हटाये जाने के बारे में जनरल मरम्बियों की बातचीत	General Marambio's Talks Regarding Withdrawal of Forces.	3100–01
431.	नागाओं से शांति वार्ता	Peace Talks with Nagas . .	3101–02
433.	आयुध कारखाने	Ordnance Factories . . .	3102
434.	अणु शक्ति आयोग	Atomic Energy Commission .	3102–03
435.	चित्र में प्रशिक्षण पर रहे पाक सेना के अधिकारी	Pak. Army Officials getting Training in China . . .	3103
436.	विदेशों में प्रचार	External Publicity . .	3103–04
437.	भारत-पाक सीमा का रेखांकन	Demarcation of Indo-Pak. Border	3104
438.	नागाओं द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन	Cease Fire Violations by Nagas .	3104–05
439.	नेपाल में चिकित्सा कालेज और छोटे पैमाने के उद्योग	Medical College and Small Scale Industries in Nepal . .	3105–06

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
440.	नेपाल में कमला बांध	Kamla Dam in Nepal .	3106
441.	परमाणु बिजली घर, दिल्ली	Atomic Power Station, Delhi .	3106
442.	पाकिस्तान द्वारा वायु क्षेत्र का उल्लंघन	Air Space Violations committed by Pakistan	3107
443.	भारत-श्रीलंका समझौता	Indo-Ceylonese Agreement . .	3108
444.	खान अब्दुल गफ्फार खां को निमन्त्रण	Invitation to Khan Abdul Ghaffar Khan	3108
445.	युद्ध विराम के पश्चात हताहत हुए व्यक्ति	Casualties after Cease-fire .	3109
446.	अन्तरिक्ष की खोज	Space-probe .	3109
447.	अणु बम के लिये पाकिस्तान की योजनायें	Pakistan Plans for Atom Bomb .	3109–10
448.	विदेशों में भजे गये संसदीय प्रतिनिधि मण्डल	Parliamentary Delegations sent Abroad	3110–11
449.	सीमावर्ती क्षेत्रों में मिडियम वेव ट्रांसमीटर	Medium Wave Transmitters in Border . . .	3111
450.	तिब्बत में मानव अधिकारों का संरक्षण	Protection of Human Rights in Tibet	3112
451.	अरब राज्यों को भारतीय शिष्टमण्डल	Indian Delegation to Arabian States	3112
452.	श्री माइकेल स्काट	Rev. Michael Scott	3113
453.	झण्डा दिवस	Flag Day .	3113
454.	भूतपूर्व सैनिकों की समस्याएं	Problems of Ex-Servicemen	3113
455.	सामुदायिक रेडियों सेट	Community Listening Sets . .	3114
456.	हिन्द महासागर में सैनिक अड्डा	Military Base in Indian Ocean .	3114
457.	थम्बा राकेट छोड़ने का केन्द्र	Thumba Rocket Launching Station	3114–15
458.	आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट	A.I.R. Staff Artistes . . .	3115
459.	सशस्त्र सेनाओं के विकलांग अधिकारी	Disabled Officers of Armed Forces	3115
460.	विकलांग सैनिक	Disabled Soldiers . .	3116
461.	ई० एम० ई० कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of E.M.E. Workers	3116–17
462.	कच्छ न्यायाधिकरण	Kutch Tribunal . . .	3117
463.	युद्ध न करने का समझौता	No War Pact . .	3117–18
464.	एशियाई संगठन	Asian Organisation .	3118

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
465.	संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षक	U. N. Observers . .	3118–19
466.	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड	Hindustan Aeronautics Limited .	3119
467.	नेपाल स्थित भारतीय दूतावास में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Indian Embassy in Nepal	3119–20
468.	प्रतिरक्षा परियोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Defence Projects	3120
469.	कलपक्कम में परमाणु बिजलीघर	Atomic Power Station at Kalpakkam	3121
470.	भारत-पाकिस्तान संघर्ष में शहीद हुए जवान	Soldiers killed during Indo-Pak. conflict.	3121–22
471.	कमीशन प्राप्त पदाधिकारी का पद	Rank of Commissioned Officer .	3122
472.	प्रतिरक्षा प्रशिक्षण संस्थाएं	Defence Training Institutes .	3122
473.	युद्ध–विराम अवधि में जवानों को छुट्टी का दिया जाना	Grant of leave to Jawans during ceasefire period . . .	3122–23
474.	भारतीय वायु सेना	Indian Air Force . . .	3123
475.	राष्ट्रीय सेना छात्र दल के भोजन में विष	Poison in Food of N.C.C. Cadets .	3123
476.	राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिये सोना	Gold for National Defence Fund .	3124
477.	संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से जैट विमानों का निर्माण	Manufacture of Jets with UAR'S collaboration . . .	3124
478.	नागालैंड में शक्तिशाली ट्रांसमीटर	Powerful Transmitter in Nagaland	3124
479.	टेलीविजन सैट खरीदने के लिये आर्थिक सहायता	Subsidy for purchase of T.V. Sets .	3125
480.	संयुक्त अरब गणराज्य का फिल्म समारोह	UAR film Festival . .	3125
481.	इन्डोनेशियाई चलमुद्रा का अवमूल्यन	Devaluation of Indonesian Currency	3125
482.	नागाओं सम्बन्धी विषय का गृह-कार्य मंत्रालय को हस्तान्तरण	Transfer of Nagas Affairs Ministry	3126
483.	उटकमण्डलम में दूरबीन	Telescope in Ootacamand . .	3126
484.	शक्तिशाली ट्रांसमीटर	Powerful Transmitters .	3126–27
485.	बीरता पुरस्कार	Gallantry Awards .	3127
486.	पाकिस्तान को अमरीकी सहायता	U.S. Aid to Pakistan . . .	3128
487.	सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार	Border Publicity . . .	3128
488.	शान्ति दल स्वयं-सेवक	Peace Corps Volunteers . .	3128–29

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
489.	भारत-पाकिस्तान संघर्ष में अपंग हुए भारतीय सैनिक	Indian Soldiers Disabled during Indo-Pakistan Conflict . .	3129
490.	पाकिस्तान द्वारा सिख महिलाओं का अपहरण	Abduction of Sikh Women by Pakistan	3129–30
491.	शस्त्रों में आत्म-निर्भरता	Self-sufficiency in Arms . .	3131
492.	अमरीका के साथ पाकिस्तान का शस्त्र करार	Pakistan Arms Deal with U.S.A. .	3131
493.	1000 किलोवाट के ट्रांसमीटर	1000 KW Transmitters . .	3131
494.	तारापुर अणुशक्ति परियोजना	Tarapore Atomic Energy Project .	3132
495.	अन्य देशों के साथ चीन के आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्ध	Chinese Economic and Trade Relations with other Countries	3132
496.	विस्थापित व्यक्तियों के लिए नकदी में अनुदान	Cash Dole for Displaced Persons .	3132–33
497.	काश्मीर में युद्ध–विराम रेखा पर संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक	U.N. Observers on Cease-fire Line in Kashmir . . .	3133
498.	छावनी बोर्ड अधिनियम, 1924	Cantonment Boards Act, 1924 .	3133
499.	छावनी निधि कर्मचारी नियम	Cantonment Fund Servants Rules	3134
500.	भारतीय वायु सेना अधिकारी के लिये मरणोपरान्त पुरस्कार	Posthumous Award for an I.A.F. Officer	3134–35
501.	पोलैण्ड के फिल्म विशेषज्ञ	Polish Film Expert . . .	3135
502.	नागरी रक्षा समिति द्वारा राष्ट्रीय रक्षा कोष में धन एकत्रित किया जाना	N.D.F. Collection by Nari Raksha Samity	3135
505.	अन्तरिक्ष किरण सम्बन्धी प्रयोग	Cosmic Ray Experiment .	3135–36
506.	सीमावर्ती गांवों में रेडियो सेट	Radio set in Border Villages .	3136
507.	विभिन्न राज्यों से प्रकाशित होने वाली पत्रिकायें	Magazines Published from different States	3136–37
508.	ताशकन्द को प्रतिनिधि मंडल	Delegation to Tashkent	3137-38
509.	परमाणु बम का निर्माण	Manufacture of Atom Bomb .	3138
510.	प्रतिरक्षा उत्पादन के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Defence Production	3139
511.	शंघाई में बन्दी भारतीय राष्ट्रजन	Indian National Imprisoned in Shanghai	3139
512.	श्री एवरेल हैरिमैन की यात्रा	Visit of Mr. Averell Harriman .	3139–40
513.	प्रतिरक्षा सेनाओं में भर्ती	Recruitment to Defence Forces	3140
514.	पाकिस्तान में भारतीय पत्रकारों को हुई हानि	Losses Suffered by Indian Journalist in Pakistan . .	3140

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
515.	चीनी पनडुब्बियां	Chinese Submarines . . .	3041
516.	जोधपुर पर हवाई हमले	Air-raids on Jodhpur . .	3041
517.	मेरठ जिले में हवाई अड्डे के लिये अर्जित भूमि के लिय प्रतिकार	Compensation for Land acquired for Aerodrome in Meerut District	3041–42
518.	भारत-पाकिस्तान कमान्डरों की बैठक	Meetings of Indo-Pakistan Commanders	3142
519.	पश्चिमी देशों का भारत के प्रति रवैया	Attitude of Western Powers towards India	3142
520.	पाकिस्तान को विरोध-पत्र	Protest note to Pakistan.	3142–43
522.	युद्ध पीड़ितों को सहायता	Relief to War Victims. . .	3143
523.	उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये रेडियो सेटों का दिया जाना	Allotment of Radio sets to Rural Areas of Orissa . . .	3143
524.	उड़ीसा को रेडियो सैटों का सम्भरण	Supply of Radio sets to Orissa.	3143
525.	नई दिल्ली में आकाशवाणी के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कलाकार	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Artistes, A.I.R., New Delhi	3144
526.	झूठे विस्थापित व्यक्ति	Bogus Displaced Persons .	3144
528.	नाईजीरिया की सरकार को मान्यता	Recognition of Nigerian Government	3144
529.	चीन से टिप्पण (नोट)	Note from China . . .	3145
530.	परमाणु हथियारों के बारे में विश्व संधि	Universal Treaty on Nuclear Arms	3145
531.	विकलांग भूतपूर्व सैनिक	Disabled Ex-Servicemen . .	3146
532.	चिनियों द्वारा भारतीयोंका अपहरण	Kidnapping of Indians by Chinese	3146
533.	प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा	Visit of Prime Minister to U.S.A.	3146
534.	सशस्त्र सैनिकों की वापसी	Withdrawal of Armed Forces .	3147
535.	भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन	Pak. Nationals in India . .	314 7
536.	वाणिज्यिक तथा व्यापार अनभागों में भारतीय विदेश सेवा के पदाधिकारी	I.F.S. Officers in Commercial and Trade Sections . . .	3148
537.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बंगलोर	Bharat Electronics, Bangalore	3148–49
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रांगण में घटनायें	Incidents in Banaras Hindu University Campus . .	3149–56

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
स्थगन प्रस्ताव के बारे में—	Re : Motion for Adjournment—	
पश्चिमी बंगाल तथा देश के अन्य भागों में खाद्य स्थिति और मिट्टी के तेल का संभरण—	Food Situation and Supply, of Kerosene in West Bengal and other parts of the country	
श्री अलगेशन	Shri Alagesan .	3157–58
विशेषाधिकार के बारे में (प्रश्न)	Re : Question of Privilege (Query)	3161
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	3161–62
लोक-लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
सैंतीसवां प्रतिवेदन	Thirty-seventh Report . .	3162
ताश्कंद घोषणा के बारे में प्रस्ताव—	Motion re : Tashkent Declaration—	
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh .	3163–68
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—	Motion on the President's Address—	
श्री शिवाजीराव शं० देशमुख	Shri Shivaji Rao S. Deshmukh . . .	3170–73
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी	Shri J. P. Jyotishi .	3175–77
श्री नारायण दांडेकर	Shri N. Dandekar . .	3186–91
श्री काशी राम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta .	3192–94
श्री खाडिलकर	Shri Khadilkar . .	3195–96
नागा प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत के बारे में वक्तव्य—	Statement re : talks with Naga Delegation— . .	
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Snrimati Indira Gandhi .	3173–75
सभा-पटल पर रखे गये पत्रों के बारें में	Re : Papers Laid on the Table	3175

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 21 फरवरी 1966/2 फाल्गुन, 1887 (शक)
Monday, February 21, 1966/Phalguna 2, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

New Aircraft at H.A.L.

+
91. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hakum Chand Kacchavaiya :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri M. L. Dwivedi :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri P. C. Borooah :
Shri D. N. Tiwary :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have built an aircraft at H.A.L. Bangalore which can land at a height of 17,000 feet.

(b) if so, the cost thereof; and

(c) the proportion of the imported components used therein?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) to (c). The H.A.L. (Bangalore Division) has developed and produced a Jet Pack installation which is fitted to a Fair Child Packet Airframe to give the aircraft extra power for high altitude operations. The cost of a Jet Pack including installation charges is Rs. 4·79 lakhs, out of which the foreign exchange content is Rs. 1·56 lakhs.

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know whether this aircraft would be helpful in the hilly areas of Nefa and Laddakh against China?

श्री अ० म० थामस : जी हां, इसी बात को ध्यान में रखकर इस विमान का निर्माण किया गया है।

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know whether fuel used in this aircraft will have to be imported or we have formulated some schemes to prepare it here; if so, when.

श्री अ० म० थामस : मेरे विचार में इस का पैट्रोल की आवश्यकता से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री स० चं० सामन्त : इस प्रकार के वायुयान का वार्षिक उत्पादन क्या होगा ?

श्री अ० म० थामस : इसका सम्बन्ध परिवहन वायुयान से है । वास्तव में यह एक यू० एस० पैक है जिसमें अतिरिक्त शक्ति लगा दी गई है । मूल विमान में दो व्यक्ति होते थे । परन्तु हमने सोचा है कि इंजिन में अधिक शक्ति उत्पन्न की जाये । हमने एसा ही किया है और उसके परिणाम यही है । उत्पादन के बारे में मैं कहुंगा कि 31–12–65 तक हमने 18 जेट पैक लगाये थे ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या इन के चौथी योजना काल में उत्पादन का अनुमान लगाया गया है और क्या यह भी अनुमान लगाया गया है और इस प्रकार की योजना बनाई गयी है कि इसे न केवल परिवहन बल्कि सामान्य प्रयोग में भी लाया जाये ।

श्री अ० म० थामस : परिवहन विमान तथा लड़ाकू विमान दोनों के बनाने के अनुमान लगाये गये हैं । इसका ब्यौरा देना जनहित में नहीं है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : किन देशों से फालतू पुर्जे आयात किये जायेंगे और क्या उन देशों से गारंटी ले ली गई है कि ये मिलते रहेंगे ?

श्री अ० म० थामस : ये ब्रिटेन से मंगाये जाते हैं ।

Shri D. N. Tiwari : When this plane would be used for passengers. What would be its capacity and what would be its economies as regards its traffic.

श्री अ० म० थामस : यह तो भाड़े के लिये परिवहन विमान होगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें बताया गया था कि ऊंचे क्षेत्रों में प्रयोग में लाने के लिये हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर, एलोइट्टी प्रकार का हेलीकाफ्टर बनायेगा । उस बारे में क्या प्रगती हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक पृथक प्रश्न है ।

श्री दी० चं० शर्मा : पिछले चीनी आक्रमण के समय हमने यह परिवहन विमान अमरीका से लिये थे । इन विमानों के उत्पादन से हमारी अन्य देशों पर निर्भरता कहां तक कम हो जायेगी ?

श्री अ० म० थामस : हमने पहले ही अमरीका से ये विमान खरीद लिये हैं । हम इन्हें ऊंचे क्षेत्रों, विशेषकर चुशूल जैसे क्षेत्र में प्रयोग में लायेंगे । ये ऊंचे क्षेत्र में सुविधा से उतर सके तथा उड सके हमने आरफियस इंजिन में जिसे हम बना रहे उनमें जेट पैक लगाया है । हमने यह किया है और यह बहुत लाभ दायक सिद्ध हुआ है ।

श्री कपूर सिंह : क्या ऊंचाई वाले क्षेत्र पर उतरने तथा वहां से उड़ने के लिये प्रवीण चालक तथा जमीन की सुविधाएं आवश्यक है या आधुनिक तकनीकी परिपक्वता की आवश्यकता है ?

श्री अ० म० थामस : ऊंचे क्षेत्र से उड़ना तथा वहां पर उतरना बहुत कुछ मौसम तथा वातावरण पर निर्भर करता है ।

Rehabilitation of persons displaced as a result of Indo-Pakistan Conflict

+

*92. **Shri K. N. Tiwary :**
Shri Bibhuti Mishra :
Shri Gulshan :
Shri Maheswar Naik :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Linga Reddy :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Smt. Savitri Nigam :
Shri P. C. Borroah :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Dharmalingam :
Shri Madhu Limaye :
Shri D. C. Sharma :
Shri Basumtari :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of Indians displaced as a result of the recent Indo-Pakistan conflict ;

(b) the schemes prepared by the Central Government and the Punjab Government to rehabilitate them;

(c) the number of displaced persons rehabilitated under the schemes; and

(d) the expenditure incurred thereon and the details of the employment they have been provided with?

Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao) : (a) 3,67,793.

(b) All the displaced persons are to go back to their villages. Rehabilitation assistance in the form of *ex-gratia* grants and loans for reconstruction of houses damaged, loans for agricultural and professional purposes will be provided. In addition maintenance allowance determined on the basis of the size of the family will be given.

(c) In Punjab the rehabilitation of displaced persons will start after 25-2-66. In J. & K. nearly 50,000 persons have been sent back to their original places of residence in Jammu Division, while the remaining will start going back after 25-2-66.

(d) The information is being collected.

Shri K. N. Tiwary : In view of the fact that the persons who have become displaced and whose lands have become useless, I want to know whether they would be given full compensation for land and for their houses and whether it would be in the form of loan? In case they are given loan, whether interest would also be charged?

श्री जगन्नाथ राव : पंजाब और राजस्थान में प्रत्येक तबाह हुए या क्षतिग्रस्त हुए पक्के मकान के लिये 2,000 रुपये प्रत्येक नष्ट हुए या क्षतिग्रस्त हुए कच्चे मकान के लिये 750 रुपये दिये जायेंगे। जम्मू तथा काश्मीर में यह 500 रुपये की लकड़ी दी जाती है। यह आधार है।

Shri K. N. Tiwary : I want to know whether apart from agricultural sector any assistance would be given to the loss suffered by industrial sector also and what help would be given?

श्री जगन्नाथ राव : यह प्रतिकर का प्रश्न नहीं है। सभी उन उद्योगोंको की सहायता की जायेगी जिन को कटिनाई हुई है। यह कच्चे माल की सप्लाई, उधार सुविधाओं आदि के बारे में किया जायेगा।

Shri Onkar Lal Berwa : The displaced persons of Jammu and Kashmir are being provided housing facilities. I want to know whether the displaced persons of Rajasthan will also be provided similar facilities, if not, the reasons therefor?

श्री जगन्नाथ राव : जी हां, जम्मू तथा काश्मीर पंजाब और राजस्थान के विस्थापितों एक समान आधार है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The number of displaced persons in Jammu and Kashmir, Punjab and Rajasthan separately. What will be the basis of providing assistance to them ?

श्री जगन्नाथ राव : मैंने कहा है कि विस्थापितों की कुल संख्या 3,07,793 है। इन में लगभग 2,50,000 जम्मू तथा काश्मीर में, लगभग 51,000 पंजाब में और लगभग 6,000 राजस्थान में है। सहायता का ढंग उनके नष्ट हुए या क्षतिग्रस्त मकानों के पुनःनिर्माण के लिये सहायता, कृषि के लिये ऋण और मकान आदि बनाने के लिये ऋण देना है।

Shri Prakash Vir Shastri : A large number of displaced persons of Rajasthan and Jammu and Kashmir had gone to Pakistan. Now Government is planning for rehabilitation. I want to know whether Government has adopted any policy to see that Pakistani infiltrators are not sent to those places?

श्री जगन्नाथ राव : जब वे लोग अपने वास्तविक स्थान पर जायेंगे तो पुर्नवास का प्रश्न उत्पन्न होगा। राज्य सरकारों को सर्वेक्षण करने के लिये और अपने प्रस्ताव भेजने को कहा गया है उसके पश्चात आवश्यक सहायता दी जायेगी।

Shri Prakash Vir Shastri : About infiltrators. . . .

Mr. Speaker : The question of infiltrators is a separate question.

श्री लिंग रेड्डी : क्या पुर्नवास की समस्याओं के बारे में कोई समिति है ? यदि हां, तो क्या यह समिति शीघ्रता से सहायता देगी ?

श्री जगन्नाथ राव : हां सहायता पहले ही दी गई है। अब तो पुर्नवास के प्रश्न का समाधान होगा।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Government is aware that the some areas which were taken over by Pakistan are very fertile. I want to know whether a sum of Rs. 2,000, as financial assistance would be sufficient for one family?

Mr. Speaker : It is an argument and not a question for seeking information.

श्री स० चं० सामन्त : क्या राज्य सरकार इसका कुछ भाग अपने ऊपर लेगी ? यदि हां, तो राज्य सरकारें भूमि मुफ्त में देंगी ?

श्री जगन्नाथ राव : यह एक अलग प्रश्न है। पुर्नवास के लिये केन्द्रीय सरकार सहायता देगी।

श्रीमती सावित्री निगम : माननीय मंत्री ने कहा है कि उधार सुविधाएं, कच्चा माल और दूसरी सहायता उपलब्ध की जा रही है। मेरी जानकारी इससे विपरीत है। मैं जानना चाहती हूं कि उन क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिये कच्चे माल के लिये कितना धन दिया जायेगा?

श्री जगन्नाथ राव : भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय कई प्रकार की कार्यवाही कर रहे है। लघु उद्योगों के बारे में सामाजिक सुरक्षा विभाग ने 27 लाख रुपये दिये है। पंजाब के उद्योगों से 87 लाख के बैरक कम्बल के क्रय के आदेश दे दिये गये हैं।

उद्योग में ये वस्तुएं आती हैं। वाणिज्य मंत्रालय भी इतनी राशि आल इंडिया हथकरघा बोर्ड को क्रय करने के लिये दिये हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या ताशकन्द समझौते के फलस्वरूप पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर क्षेत्र के वापिस किये जाने से कुछ और लोग भी विस्थापित हो गये हैं? यदि हां, तो क्या ये भारतीय पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में जाने को तैयार हैं?

श्री जगन्नाथ राव : इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। हमें 25 फरवरी तक प्रतीक्षा करनी होगी।

Shri Madhu Limaye : The Minister of Defence has stated during the last session that Pakistan had taken over 24 posts after the ceasefire and seven out of those posts were in Panchayat village. Could I know the number of displaced persons from these places who have gone to Pakistan and the number who are in India and the policy Government propose to adopt for their rehabilitation?

श्री जगन्नाथ राव : मेरे विचार में यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता। हमें 25 फरवरी तक प्रतीक्षा करनी होगी।

अध्यक्ष महोदय : जानकारी एकत्र कर के सभा पटल पर रख दी जाये।

श्री जगन्नाथ राव : जी, हां।

श्री दी० चं० शर्मा : पंजाब, राजस्थान और जम्मू तथा काश्मीर सरकारों ने पूर्नवास को ठीक प्रकार से करने के लिये सहायता मांगी है। मैं जानना चाहता हूं कि उनको कितनी सहायता दी गई और कितनी और दी जायेगी?

श्री जगन्नाथ राव : पंजाब सरकार ने 73 लाख रुपये मांगे थे। इस में से 38 लाख रुपये उनको दिये गये है और इसके लिय मंजूरी दी गई है। रज़ाइयों और डरियों के क्रयके लिये 7 लाख रुपये दिये गये हैं, 44 लाख रुपये सड़कों की मरम्मत के दिये गये हैं। पंजाब सरकार ने ऋण के रुप में 1 करोड़ रुपया मांगा था। उसके लिये 50 लाख रुपये के व्यय की मंजूरी दे दी गई है। 10 लाख रुपये पुर्नवास के लिय मांगे गये थे। और 10 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

श्री दी० चं० शर्मा : राजस्थान और जम्मू तथा काश्मीर के बारे में क्या है।

श्री जगन्नाथ राव : राजस्थान के बारे में मैं आंकड़े दे सकता हूं। राजस्थान सरकार की 2 लाख रुपये की मांग पूरी कर दी गई है।

अन्दमान द्वीपसमूह के निकट इण्डोनेशिया की नावें

+

*93. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अन्दमान द्वीपसमूह के निकट इन्डोनेशिया की नावें देखी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो वे कितनी थीं;

(ग) वे अन्दमान द्वीप के इतने निकट किस उद्देश्य से आई थीं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

श्रीमती सावित्री निगम : मैं यह जानना चाहती हूं कि इन्डोनेशिया के विभिन्न अखबारों में छपी इस खबर की ओर सरकार का ध्यान गया है अथवा नहीं कि इन्डोनेशिया की सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि वह किस तरह इन द्वीपो पर दावा करें, वह सब अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों पर यह प्रकट कर देंगे कि यह द्वीप उनके ही हैं ?

श्री अ० म० थामस : जो जहाज वहां देखे गये थे वह मछली पकड़ने वाले थे, इंडोनेशियाई नहीं थे। उनको सिंगापूर में रजिस्टर किया गया था। वैसे हम निकोबार और अंडमान की सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध कर रहे हैं। हमारे क्षेत्रो मे विदेशी जहाजों के आने के बारे में हम पूर्ण रूप से सतर्क हैं।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): मैं एक बात बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन द्वीपों पर इन्डोनेशिया ने कभी भी दावा नहीं किया है। वैसे वहां के अखबार कुछ भी गैर जिम्मेदारी की बातें लिखते रहें। उसे हमें गम्भीरता से नहीं देखना चाहिए। हमारा काम इतना ही है कि हम अपने द्वीपो की रक्षा की व्यवस्था करे। वह हम कर रहे हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : इन जहाजों तथा अन्य तोड़ फोड़ करने वाले जो तत्व समय समय पर दिखाई देते हैं और जो कि निकोबार द्वीपों में विशष रुप से आते हैं, वे अपनी जड़ें वहां न जमा सके, इस दष्टि से सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। क्या निकोबार के लोगों को पोर्ट ब्लेयर में प्राय: जाने की अनुमति दी जाती है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह सुझाव है जो कि गृह मंत्रालय द्वारा लोगो को सुविधायें देते समय ध्यान में रखे जा सकते हैं ताकि लोग पोर्ट ब्लेयर और निकोबार प्राय: आ जा सके। मछली पकड़ने वाली नौकाओं का जहां तक प्रश्न है वे प्राय: मलेशिया की है। उनको कई बार पकड़ा भी गया है, और चेतावनी भी दी गयी है। मलेशिया सरकार से भी इस मामले पर चर्चा की गयी है।

Shri M. L. Dwivedi : The Honorable Minister has just stated that vessels seen in this area are fishing vessels of Singapur Registration. I want to know the names of the Country to which these vessels belong. Whether some correspondence has been done with those countries so that they may not come in this area again?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह उस समय सिंगापुर में रजिस्टर किये गये है जब सिंगापुर मलेशिया का भाग था। हम तो एक बात ही कर सकते है कि जो लोग इन बेटो में पकड़े जाते हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय और बाद में मलेशिया सरकार से इस बारे में बातचीत की जाय। हम ये दोनो बातें कर रहे हैं।

Shri M. L. Dwivedi : I wanted to know the result of the correspondence done in this connection?

Mr. Speaker : The matter is under consideration.

Shri H. C. Kachhavaiya : What action you propose to take in future against the persons found on such vessels, whether some instruction have been issued by the country concerned to this effect.

Shri Y. B. Chavan : Negotiations and correspondence in this connection have been done with the Malaysian Government. This matter will be taken up with the authorities. Morever we will take action against the vessels which will be taken in possession.

Dr. Ram Manohar Lohia : The number of uninhabited Islands in the area of Andaman Islands. I think most of Islands have no population, I am putting this question, as there is a suspician that such Indonesian vessels might have been registered in Singapur. What is the distance between uninhabited islands and Indonesia and Malaysia? Whether the Minister is making efforts to establish a military colony there?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वहां ऐसे बहुत से द्वीप है जहां कि कोई बस्ती नहीं है। उनकी पूरी संख्या बताने के लिए तो नोटिस की आवश्यकता है। इतना मैं कह सकता हूं कि ये इंडोनेशिया के निकट ही है। जहां तक कार्यवाही करने का प्रश्न है वह तो चल रही है। हम ने कुछ तैयारियाँ भी की है और उन तयारियों का आहिस्ता आहिस्ता विकास हो रहा है।

Dr. Ram Manohar Lohia : I asked whether any attempt is being made to establish some colony there?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे खेद है कि मैं यह बात भूल गया। यह सुझाव आये हुए हैं कि हम भूतपूर्व सैनिकों को वहां बसा सकते हैं। एक अध्ययन दल ने वहां जाकर मामलें का अध्ययन किया है, परन्तु उनकी रिपोर्ट कोई उत्साहजनक नहीं है।

Shri Kishen Pattnayak : Whether there has been some improvement in the relations between India and Indonesia after the anti-China revolt, if so what is the position in this direction?

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा प्रश्न है।

Shri Ram Sewak Yadav : It has been stated that there are no Indonesian vessels in the Andaman Island. The Minister of State says that Security measures are being taken. I want to know the names of the countries against whom the security measures are being taken when there is no population in the Islands around, how do you get the information of vessels.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह केवल सूचना प्राप्त करने का ही प्रश्न नहीं है। यह तो क्षेत्र में गश्त करने से हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है। हम किसी की धमकी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करते। हमें तो अपनी प्रतिरक्षा की दृष्टि से कार्यवाही करनी होती है।

Shri A. P. Sharma : Due to the attitude of Indonesia and its President Dr. Sukarno during the Indo-Pakistan struggle what special measures are being made for the security of these islands?

श्री यशवंतराव चव्हाण : मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार का ध्यान अंडमान कांग्रेस के मंत्री ने अपने एक प्रैस सम्मेलन में कहा कि निकोबर द्वीपों में लोगों के रहने पर रोक लगाने से क्षेत्र की प्रतिरक्षा को खतरा पहुंचता है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी हां, यह हमारे नोटिस में है और हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री रंगा : क्या इस बारे में प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा गृह कार्य मंत्रालय की कोई सहायता की जा रही है ताकि इस दिशा में स्थिति को और मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र में गश्त करने की दृष्टि से स्टीमरों की संख्या बढ़ा दी जाय ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे पता नहीं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय इस दिशा में क्या कर सकता है। परन्तु यदि कोई इस तरह के सुझाव हो तो उन पर विचार किया जा सकता है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या गत वर्ष जो रिपोर्ट निकली थी उसे स्वीकार कर लिया गया है कि इंडोनेशिया सरकार ने सरकारी तौर पर भारतीय महा सागर का नाम इंडोनेशिया महा-सागर रख दिया है ? यदि हां, तो क्या उनका इरादा भारतीय महासागर और उसकी भुमि पर भी दावा करने का है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। इस बारे में मुझे नोटिस की अपेक्षा है।

Shri Kanshi Ram Gupta : In reply to the question of Dr. Ram Manohar Lohia honourable Minister stated that in the direction of setting up a colony, the report has not been very favourable. I want to know the reasons put forward in the report? Whether the report has got some expert basis or otherwise ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले में अन्ततोगत्वा आरम्भ तो प्रतिरक्षा सेवाओं वाले ही करेंगे। वही लोगों को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि वे वहां जाकर बसे। वहां का जलवायु, वहां का उद्योग धन्धों की स्थिति तथा अन्य सम्बद्धों बातों का ध्यान रखना होगा। हमने उस रिपोर्ट को अन्तिम रूप में स्वीकार नहीं किया है, मैंने केवल इतना ही बताया है कि इस दिशा में स्थिति क्या है। अभी तक अन्तिम रूप में कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया है।

Nagas Infiltration into Burma

*94. **Shri Ram Manohar Lohia :** **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bagri : **Shri P. C. Borooah :**
Shri Ram Sewak Yadav : **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Kishen Pattanyak : **Shri Bade :**
Shri Lahtan Chaudhry : **Shri Narayan Reddy :**
Shri Rameshwar Tantia : **Shrimati Renuka Barkataki:**
Shri Himatsingka : **Shri Shree Narayan Das :**

Shri Yashpal Singh : **Shri Ravindra Varma :**
Shri Vishwa Nath Pandey : **Shri Rajeshwar Patel :**
Shri R. S. Pandey :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about a thousand Naga hostiles had infiltrated into Burma in December, 1965 on their way to East Pakistan;

(b) whether it is also a fact that these hostiles have gone there to secure arms; and

(c) if so, the action being taken by Government to prevent their return into the Indian Territory?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) to (c). A gang of Naga hostiles, estimated at 1,000 to 1,500, entered Burmese territory on 29th December, apparently *en route* to East Pakistan for obtaining arms and ammunition in military training. The gang was intercepted by Burmese troops after which it dispersed and re-entered Indian territory in small batches.

श्री हरि विष्णु कामत : इसका सम्बन्ध वैदेशिक कार्य मंत्रालय से भी है। क्या उनकी ओर से भी वही बोल रहे हैं? इसके अतिरिक्त और कोई स्पष्टीकरण है?

Dr. Ram Manohar Lohia : Whether the lenient attitude of Burma Government and its people towards the Naga rebels is on account of the fact that in 1951, when Burmese Prime Minister attended a general meeting of the Nagas, the Indian officials refused to listen to the Protest note of Nagas presented on that occasion. At this the Nagas left the meeting as a protest.

श्री अ० म० थामस : बर्मा सरकार ने नागाओं को न कभी सहायता ही दी है और न उन्हें उकसाया ही है। वास्तव में हाल ही में उन्होंने नागाओं को बर्मा क्षेत्र से निकाल बाहर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बर्मी सनाओं ने नागाओं को रोका भी, उन्हें वापिस आना पड़ा।

Dr. Ram Manohar Lohia : Whether it is a fact that Naga rebels never reached Pakistan or anywhere from where they could receive help through the Burmese territory?

श्री अ० म० थामस : भारत-बर्मा करार के अनुसार आदिम जाती लोगों को 25 मील तक सीमा के भीतर जाने की अनुमति है। इस सुविधा का लाभ उठा कर वे भीतर चले जाते थे, परन्तु अब बर्मा सरकार काफी जागरूक है क्योंकि अब तो वे काफी असला लेकर आते हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia : I have asked a question.....

Mr. Speaker : The honourable member wants to know whether there are other ways also besides except Burma from where these rebels could get help?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : रास्ते तो हैं परन्तु वे कठिन रास्ते हैं।

Shri Ram Sewak Yadav : I want to know whether the Prime Minister during her recent talks with the Naga rebels in Delhi, drawn their attention towards this fact; if so what was their reactions?

Prime Minister and Atomic Energy Minister (Shrimati Indira Gandhi) : This does not come under this question, But if you want I may reply to it.

Mr. Speaker : If you can reply you may.

Shrimati Indira Gandhi : I will make a statement regarding this afterwards.

Shri Kishen Pattnayak : The Naga rebels have two faces. Simple Nagas, who are ignorant and are being exploited, other Nagas are those who have been influenced by the British diplomacy. Whether the Government have looked at them from these two different angles?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस प्रश्न के अन्तर्गत यह बात नहीं आती । सम्भवतः इसका उत्तर भी मिल जायेगा जब कि वक्तव्य प्रस्तुत किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : सम्भवतः माननीय सदस्य जो कहना चाहते थे, उसका मतलब यह है कि वे लोग दो तरह से व्यवहार कर रहे हैं । उनके दो रूप हैं, एक इस ओर हैं और दूसरा उस ओर ।

माननीय सदस्य : यह बात नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वह पुनः प्रश्न को प्रस्तुत कर सकते हैं ।

Shri Kishen Pattnayak : Not double dealing. I have stated that they have two faces, simple tribal people are ignorant and the others who are influenced by the British diplomacy.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहा तक इस प्रश्न को जो पूछा गया है सम्बन्ध है, मैं नहीं कह सकता कि उसका मूल प्रश्न से क्या सम्बन्ध है । मैं अवश्य ही समझ नहीं सका हूं ।

Shri Kishen Pattnayak : Mr. Speaker, you have kindly allowed my question but the hon. Minister has.....

Mr Speaker : Of course. I had allowed your question and you have already got the answer.

Shri Madhu Limaye : Where is the answer ? It has not been answered at all.

Shri Onkar Lal Berwa : How many times have the hostile Nagas committed similar acts in this area of 25 miles belt? If it is not possible to answer the question, the number of such anti-national acts in 1965.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरा विचार है कि पिछले लगभग एक वर्ष में लगातार वक्तव्यों में यह सब सूचना दी जा चुकी है । परन्तु बात यह है कि उन्होंने इस क्षेत्र का या इस रियायत का अधिकांश उस क्षेत्र में से गुज़र कर पाकिस्तान में पहुंचने का उपयोग किया है । यह सब से हानिकर बात रही है ।

Shri Onkar Lal Berwa : I have asked about the number of such incidents that have occurred.

Mr. Speaker : He has said that he had previously given an answer to that.

Shri Onkar Lal Berwa : He was given figures for the year 1963-64. I have asked for the year 1965.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने वह सूचना 1965 में दी थी।

श्री प्र० चं० बरुआ : जब से असम सीमा पर और उत्तरी बर्मा में बर्मा की सरकार का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण समाप्त हुआ है, सीमा पर चीन समर्थक साम्यवादी बहुत बढ़ गये हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि इस क्षेत्र द्वारा नागा विद्रोहियों को पाकिस्तान व चीन से बात-चीत करने की सुविधा प्राप्त हो गई है। यदि ऐसा है तो, मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि सरकार इस समस्या को किस प्रकार निपटाना चाहती है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह कहना सत्य नहीं है कि बर्मा सरकार का कुछ क्षेत्रों पर से नियंत्रण हट गया है और कि वहां कुछ लोगों की कार्यवाही चल रही है। मेरा विचार है कि वहां बर्मा सरकार का नियंत्रण बिलकुल ठीक है। वे इस समस्या से पहिले की तरह उदासीन नहीं हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Whether in the interest of peace in both the countries, India and Pakistan, it has been considered necessary not to encourage such elements who indulge in anti-national activities against India? Whether this question was also referred to at the time of Tashkent talks?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ताशकन्द घोषणा का मुख्य उद्देश्य यह है कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसा समझा जाता है कि यह मामला भी इसमें शामिल है।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी : क्या मैं यह जान सकती हूं कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा उनके पिछले रंगून के दौरे के समय कोई विशिष्ट प्रस्ताव सीमा पर भारतीय सैना तथा बर्मा की सैना द्वारा संयुक्त नियंत्रण करने के लिये रखा गया था? यदि हां, तो इस सिलसिले में बर्मा की सरकार का क्या रवैय्या है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरा विचार है कि यह मामला वहां प्रधान मंत्री के साथ बात-चीत के बीच उठाया गया था और इसकी अच्छी प्रतिक्रिया हुई है।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी : प्रश्न यह कि वे इस से सहमत थे या नहीं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Speaker, reply to the second part of my question has not been given.

Mr. Speaker : Another question has been answered after that. How can I go back now?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I had got up that very moment. I had asked whether there were talks about the Naga hostiles also during the Tashkent talks?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं। मैं इस बात को यहां स्पष्ट करना चाहूंगा। इस विशिष्ट पहलू पर बात-चीत नहीं हुई थी।

Shri Yashpal Singh : Has the Indian Government has enquired of the Burmese Government in this matter and if so, what is the latter's reply in "yes" or "No"? Do our culprits find shelter over there? How do they manage to reach there?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं कह चुका हूं कि यह पहलू भी चर्चा में आया था और प्रतिक्रिया अच्छी रही है।

श्री हेम बरुआ : यह बात देखते हुए कि जहां इधर विद्रोही नागाओं के नेताओं की बात-चीत प्रधान मंत्री के साथ चल रही है उसी समय उधर नागा विद्रोहीने अपनी विद्रोही कार्य-वाहीयों का विस्तार नागालैण्ड के असम तथा मनिपुर जैसे पड़ोसी राज्यों में बढ़ाया है और वे अपने आदमी छापामार युद्ध के प्रशिक्षण तथा हथियारों की मदद के लिये पाकिस्तान भेज रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री ने उन कुछ नागाओं को जिन से वह यहां मिली है बताया है कि उनके द्वारा लड़ाई बंदी के समझौते को भंग करने तथा पाकिस्तान जैसे विदेश से सहायता मांगने को सरकार गम्भीर समझ रही है ? क्या उन्होंने नागाओं को इस प्रकार कहा है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : जैसा मैं पहले कह चुकी हूं, मैं वार्ता के बारे में आज वक्तव्य दे रही हूं।

अध्यक्ष महोदय : उसमें इन बातों का भी उल्लेख होना चाहिये।

श्रीमती इंदिरा गांधी : क्या आप चाहेंगे कि मैं इन बातों का उत्तर अभी दूं ?

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या यह प्रश्न उठाया गया था ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : यह प्रश्न उठाया गया था। वे मुझ से सहमत थे कि जो लोग यह कार्यवाहियों के लिये उत्तरदायी थे वे वह लोग थे जो इस वार्ता को सफल होता नहीं देखना चाहते थे। अतः दोनों पक्षों को ऐसी कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

श्री हेम बरुआ : क्या उन्होंने उनका त्याग कर दिया है ? नागा संघीय सरकार के विदेश मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य जो प्रकाशित हुआ है, उसके बारे में सरकार क्या कहना चाहती है ? उन्होंने कहा है कि वे हमारी सरकार के अंग हैं।

श्री कपूर सिंह : यहा बहुत प्रसंगानुकूल प्रश्न है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैंने समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले समाचारों को पढ़ा है। उन्होंने मुझे से ऐसा नहीं कहा है। जैसा आप जानते हैं, हमने प्रेक्षकों की संख्या बढ़ा दी है।

श्री हेम बरुआ : अंतर्राष्ट्रीय रुपरेखा पर सरकार असफल रही है ?

श्री रंगा : इस बात को देखते हुए कि दोनों पक्ष दोबारा एप्रैल में बैठक में भाग लेने को सहमत हुए हैं, क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि वह इन मित्रों को जो यहां सरकार से बात चीत के लिये आये हैं समझायेगी कि जहां तक उनका वश चले ऐसी घटनाओं को वह पुनः होने से रोकेंगे और इस प्रकार हाल की स्थगित इस वार्ता की सफलता की ओर भी अधिक सुविधाजनक बनायेंगे।

श्रीमती इंदिरा गांधी : अवश्य ही यह हमारा प्रयास है।

Shri Lahtan Chaudhuri : Mr. Speaker, I was also on the list; you have not called my name and have passed it over.

Mr. Speaker : It was left out owing to oversight. I did not know you were present.

श्री जवाहर लाल नेहरू की रचनाएं

*95. श्री बागड़ी : श्री यशपाल सिंह :
डा० राम मनोहर लोहिया : श्री बाल्मीकी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री जवाहरलाल नेहरू की सम्पूर्ण रचनाओं के प्रकाशन कार्य में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है; और

(ख) प्रकाशन कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) सम्पूर्ण नेहरू 'वाङ्मय' के प्रकाशन के लिए एक टुकड़ी स्थापित करने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) इस टुकड़ी की स्थापना के बाद 7 वर्ष के अन्दर काम पूरा होने की संभावना है।

Dr. Ram Manohar Lohia : I do not understand whether they have been published or not?

Mr. Speaker : They have not been published so far. They say it will take seven years to do so.

Dr. Ram Manohar Lohia : What is the arrangement made in regard to royalty on these publications?

Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : The matter regarding royalty is under consideration. But this much is certain that so far as the right of the heirs to royalty is concerned, it will be duly recognised.

Dr. Ram Manohar Lohia : Do you know anything or you might be at least knowing about the number of publications that are expected to be brought out during seven years and the approximate expenditure on them?

Shri Raj Bahadur : I do not have the estimates, but this is certain that the whole work of the late Pandit Jawaharlal Nehru will comprise forty volumes of five-hundered pages each.

Dr. Ram Manohar Lohia : There might be at least some estimates.

Shri Raj Bahadur : I have the estimates of expenditure. About 57·5 lakhs is estimated to be incurred.

Shri Yashpal Singh : Will the Government be pleased to state whether they have considered the question of sending works of Pandit Jawaharlal Nehru to foreign countries in view of the fact that his works have already been published in India.

Shri Raj Bahadur : It is hoped and trusted that when these will be published they will be sold in foreign countries as well.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या इन में उन पत्रों को भी शामिल किया जायेगा जो पंडित नेहरू और डाक्टर राजन्द्र प्रसाद, जब कि वे भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति थे, के बीच लिखे गये थे ?

श्री राज बहादुर : मैं समझता हूं कि वाङ्मय में पत्रों को मिला कर वह सब कुछ सम्मिलित है जो उन्होंने लिखा है ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या सामान्य व्यक्ति के लिये कोई संक्षिप्त संस्करण या जेबी पुस्तिका के रूप में भी जवाहरलाल नेहरू के मुख्य मुख्य वक्तव्यों को प्रकाशित करने का विचार है ?

श्री राज बहादुर : मैं समझता हूं कि यह कार्यवाही के लिये सुझाव है परन्तु मेरा विचार है कि ऐसा करने के हेतु भी कुछ न कुछ किया गया है ।

श्री रंगा : क्या इसका यह मतलब है कि क्या वह सारा पत्र-व्यवहार जो पंडित नेहरू और संसार में किसी भी व्यक्ति के बीच तथा यहां भारत में किसी के बीच हुआ है प्रकाशित किया जायेगा ? यदि हां, तो क्या इस बात का ध्यान रखना उचित न होगा कि इस मामले में व्यक्तियों, दलों तथा जनता के विभिन्न वर्गों में भेदभाव न बर्ता जायेगा ?

श्री तिरुमल राव : श्री रंगा के पत्रों को भी उसमें शामिल किया जाये ।

श्री राज बहादुर : एक सम्पादकीय बोर्ड की आवश्यकता होगी । उचित सर्वेक्षण भी करना होगा । उस सर्वेक्षण के आधार पर मुख्य पत्रों का चुनाव किया जायेगा । यदि हम सब कुछ शामिल करना चाहेंगे तो वह सम्भव न होगा ।

श्री रंगा : चुनाव करने वाले बोर्ड की नियुक्ति कौन करता है ? क्या उस बोर्ड में विरोधी दल का भी कोई सदस्य होगा ?

श्री राज बहादुर : यह एक विचारणीय मामला है ।

Shri Yamuna Prasad Mandal : Will these works be translated in the fourteen languages of India?

Shri Raj Bahadur : Ordinarily, it will be in Hindi and English. It is a matter for consideration whether a translation of it will be brought out.

Shri Kashi Ram Gupta : The Minister has told that on all this work about 57 lakhs of rupees will be spent. Will a policy be formulated in regard to the sale of this work and the royalty will be paid on that basis or on the basis of the expenditure incurred on bringing out the work?

Shri Raj Bahadur : What should be the policy will be decided at the appropriate time.

श्री कपूर सिंह : सरकार की ओर से सरकारी क्षेत्र में उपक्रम किस प्रकार समाजवादी व्यवस्था के हमारे लक्ष्य को बढ़ावा देते हैं ?

श्री राज बहादुर : मेरा मत है कि जो कुछ भी पंडितजी ने लिखा है वह राष्ट्र की बहुमूल्य वरासत है ।

श्री कपूर सिंह : प्रश्न ।

श्री राज बहादुर : सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र का कोई सवाल नहीं है । पंडित जी सबके थे ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह बात देखते हुए कि सरकार ने महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू की रचनाओं का संकलन और प्रकाशन वास्तव में हाथ में ले लिया है, क्या सरकार बतायेंगी कि ऐसे ही कार्यवाही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के तीसरे बड़े नेता और भारतीय क्रांति के प्रारम्भिक नेता नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की रचनाओं तथा भाषणों के सम्बन्ध में भी किये जाने का विचार कर रही है ?

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्यों को पता होगा कि प्रकाशन विभाग ने पहिले ही नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के चुने हुए भाषणों का संग्रह प्रकाशित किया है। सम्पादकीय बोर्ड में प्रोफेसर एन० के० सिद्धांन्ती, एस० ऐ० अय्यर, जे० के० भोसले और एम० शिवराम थे। मैं और भी ब्यौरा दे सकता हूं परन्तु मेरे विचार में इतना ही पर्याप्त होगा। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकाशन भी हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : वह बहुत ही छोटा सा प्रकाशन है।

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister has said that the expenditure on bringing out of Jawaharlal Nehru's works will be rupees fiftyseven lakhs. The works will be selected ones or all the writings will be included?

श्री कपूर सिंह : सारी रचनायें।

श्री राज बहादूर : 1946 से 1963 तक दिये गये कुछ भाषणों का संग्रह चार खण्डों में प्रकाशित कर दिया गया है। पंडितजी के पिछले साल दिये हुए भाषणों का संकलन किया जा रहा है। वे भाषण जो विदेशी नीति, समाज कल्याण, देश की एकता और सहकारिता से सम्बद्ध हैं, प्रकाशित किये जा चुके हैं। यह उन रचनाओं को छोड़कर हैं जिन के बारे में मैं ने अभी कहा है और इन पर खर्चा भी वही होगा।

+ **मलेशियाई विद्यार्थी**

96. **श्री नारायण रेड्डी :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बालकृष्णन :
श्री राम सेवक यादव
श्री बागड़ी :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलेशिया सरकार ने उन मलयेशियाई विद्यार्थियों को, जो पाकिस्तान में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और जिन्हें पाकिस्तान सरकार ने उस देश से चले जाने के लिए कहा था, भारत में ले लेने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या भारत सरकार उन सभी विद्यार्थियों को भारत में रखने के लिए सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है और उनको क्या सुविधाएं दी गई हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने इन विद्यार्थियों को स्थान दिलाने का यथासंभव प्रयत्न करना स्वीकार कर लिया है।

(ग) भारत सरकार को दस विद्यार्थियों के नाम मिले हैं—पांच वेटरनरी के पाठ्यक्रम के लिए और पांच मेडिकल के पाठ्यक्रम के लिए। उचित कालिजों में इन विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री नारायण रेड्डी : इन विद्यार्थीयों का किस विश्वविद्यालय में दाखिला हुआ है और क्या विश्वविद्यालय को इस बात के लिये निदेश दे दिया गया है कि वह इसका ध्यान रखे कि इन विद्यार्थियों का देर से दाखला होने के कारण एक साल व्यर्थ न जाये और उनकी शिक्षा पर कोई बुरा असर न पड़े ?

श्री दिनेश सिंह : मैं तत्काल ही यह नहीं कह सकता कि वे विद्यार्थी किस संस्था में दाखिल हुए हैं परन्तु यह निश्चय है कि वे पाकिस्तान में व्यतीत किये हुए समय की हानि नहीं उठायेंगे ।

श्री नारायण रेड्डी : क्या भारत सरकार मलयेशिया के विद्यार्थियों के लिये रक्षित स्थानों की संख्या में वृद्धि करने और ऐसे सब मलयेशिया के विद्यार्थीयों को भी जो भारत में शिक्षा पाना चाहें स्थान देने पर विचार कर रही है?

श्री दिनेश सिंह : वह तो बहुत कठिन होगा क्योंकि पहिले ही 10 से 12 क्षात्रवृत्तियां और करीब 10 से 12 विद्यार्थी हमारे द्वारा लिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त करीब 100 या उससे अधिक ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमारे विश्वविद्यालयों में स्थान पाना चाहते हैं। यह बहुत कठीन होगा (**अंतर्बाधायें**)

एक माननीय सदस्य : खर्चा क्या होगा ?

श्री दिनेश सिंह : मैं तत्काल नहीं बता सकता कि क्या खर्चा होगा।

Shri Rameshwar Tantia : The honourable Minister says that there are so many Malaysian students here but what is the number of Indian students studying there?

Mr. Speaker : This is a different question.

Shri K. N. Tiwary : The honourable Minister just now said that ten students have came over from Pakistan. These were the only Malaysian students in Pakistan or there were more than this number and were they unwilling to come over to India or that we declined to accept more than this number?

Shri Dinesh Singh : The number was, of course, more than this. About 32 were studying there, and the Malaysia Government requested us to take ten students. It was their proposal.

Shri Yashpal Singh : How many among them happen to be engineering students and where are they getting the training?

Shri Dinesh Singh : None among them is an engineering student.

Mr. Speaker : If there is any, he may be sent to Roorkee.

Shri M. L. Dwivedi : Some talks are going on between Pakistan and Malaysia for restoring normal mutual relations. Will these Malaysian students have to stay on in India or go back to Pakistan when relations return to normal?

Shri Dinesh Singh : We do not know what negotiations are going on, but it is evident that those who would like to study here will stay here.

श्री स० चं० सामन्त : क्या मलेशिया के विद्यार्थियों के यहां पढ़ने और हमारे विद्यार्थियों के वहां पढ़ने के बारे में लिखापढ़ी हुई है और यदि हां, तो क्या कुछ रिक्त स्थानों में इन में से कुछ को लिया जायगा ?

श्री दिनेश सिंह : लिखा पढ़ी के बारे में तो मैं नहीं जानता हूं परन्तु हमारी एक पद्धति है जिसके अनुसार हम विदेशों के विद्यार्थियों को भारत में शिक्षा के लिये बुलाते हैं। कुछ को छात्रवृत्तियां दी जाती है और कुछ विद्यार्थियों के लिये केवल स्थानों की व्यवस्था की जाती है। इसमें पर्याप्त वृद्धि की गई है। परन्तु हमारी कुछ कठिनाइयां हैं क्योंकि हमारे विद्यार्थियों को सदैवही स्थान नहीं मिल सकते हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : भारत-पाकिस्तान संघर्ष में मलेशिया ने भारत का साथ दिया और इसपर मलेशिया और पाकिस्तान में झगड़ा हो गया। क्या ताशकन्द घोषणा की भावना को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान इन विद्यार्थियों को पुनः वापस ले लेगा।

श्री दिनेश सिंह : इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं।

श्रीमती सावित्री निगम : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये विद्यार्थी यहां विशिष्ट परिस्थितियों में आते हैं, क्या सरकार ने किसी विशिष्ट अधिकारी को नियुक्त किया है जो इस बात का ख्याल रखे कि इन विद्यार्थियों को उचित सहायता और दाखिला मिले ? कितने विद्यार्थियों ने आवदन पत्र दिये हैं और अब तक कितनों को दाखिला और उचित सुविधाएं दी गई हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मलेशिया सरकार की प्रार्थना पर यहां 10 विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाना था। 10 में से 3 को तो विश्वविद्यालयों में स्थान दे दिये गये हैं और शेष विद्यार्थियों के लिये प्रयत्न जारी हैं। वे प्रथम वर्ष के दाखिले के लिये नहीं आते हैं अपितु दूसरे और तीसरे वर्ष के दाखिले के लिये आते हैं। हमें यह देखना होता है कि उनके लिये किन विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम अनुकूल है। मैं नहीं समझता कि किसी विशेष अधिकारी को नियुक्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम उनका स्थान विश्वविद्यालयों द्वारा दिलवाते हैं और विश्वविद्यालयों के पास अन्य विद्यार्थी भी होते हैं।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether the students of Malaysia were expelled from Pakistan because Malaysia is a friend of India, if so, the obstacles in the way of giving admissions to those 32 students in India ?

Shri Dinesh Singh : There are no difficulties. We said if the students who were expelled from Pakistan wish to come here, we are prepared to take them. Malaysia asked for ten and we conceded to that.

श्री हेम बरुआ : क्या हमने मलेशिया सरकार से पूछा है कि पाकिस्तान से विद्यार्थियों को क्यों वापस भेजा जाता है ? क्या ऐसा इसलिये है कि मलेशिया ने सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के विरुद्ध हमारा समर्थन किया ?

श्री दिनेश सिंह : मैं नहीं जानता। इसके बारे में हम मलेशिया सरकार से पूछना नहीं चाहते थे। वह विद्यार्थियों को यहां भेजना चाहता था और हमने कहा कि हम राजी हैं।

प्रधान मंत्री की सभा सचिव (डा० सरोजिनी महिषी) उठी ।

श्री हेम बरुआ : क्या हमसे उनका परिचय हो गया है ।

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : सभा माननीय सदस्य को पहले से ही जानती है । उन्हें प्रधान मंत्री की सभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है ।

राष्ट्रीय रक्षा कोष

+

*97. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री लाटन चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रभात कार :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम राज :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री दलजीत सिंह :
श्री बड़े :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री मुहमद इलियास :
श्री वे० जी० नायर :
श्री किन्दर लाल :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री शिवचरण गुप्त :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये अब तक राज्य-वार कुल कितना सोना तथा कितने रुपये प्राप्त हुए हैं ;

(ख) कितने धन का देश की प्रतिरक्षा के लिए उपयोग किया जा चुका है; और

(ग) शेष राशि का कैसे उपयोग किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री की सभा सचिव (डा सरोजिनी महिषी) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5498/66]**

(ख) प्रतिरक्षा उपस्कर की खरीद पर अब तक 27.27 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है ।

(ग) राष्ट्रीय रक्षा कोष की स्थापना के तुरन्त बाद ही यह निश्चय किया गया था कि इस का उपयोग प्रतिरक्षा से सम्बन्धित सारे उद्देश्यों के लिए किया जायेगा, जिस में सैनिकों तथा उनके कुटुम्बों का कल्याण भी सम्मिलित है। पाकिस्तान के साथ हाल ही के संघर्ष के कारण हुई असैनिक जन और सम्पत्ति की हानि को ध्यान में रखते हुए यह भी निश्चय किया गया है कि प्रभावित जनता में सहायता-कार्य के हेतु केन्द्रीय नागरिक परिषद जैसे अधिकृत संस्थानों तथा राज्य सरकारों को इस कोष से अनुदान दिये जायें। कोष की शेष राशि के उपयोग के लिये प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

Shri Rameshwar Tantia : May I know the quantities of gold and amounts of money received separately before and after 4th August, 1965?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मुझे खेद है जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

Shri Rameshwar Tantia : What amount of gold has been received through gold bonds and what amount through contribution?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे खेद है मेरे पास ब्यौरा नहीं है। मैं यह जानकारी सभा को उपलब्ध करा दूंगी।

Shri Latan Chaudhry : Do Government propose to continue receiving collections in this fund or to discontinue in the present circumstances?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : It is still continuing.

Shri Yashpal Singh : How many collection books have so far been lost and have not been traced and what amount of money has been misappropriated in T.A. and D.A.?

Shrimati Indira Gandhi : Some months ago a question was raised and Shri Shastriji had replied to that. I think he had stated that instruction had been issued to all the State Governments to be more careful and full enquiries should be held into the causes of the loss of the collection books already lost.

श्री वारियर : क्या सरकार को विभिन्न लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि प्रतिरक्षा निधि में चंदे के लिये जिलाधीशों द्वारा अनुचित दबाव डाला जाता है?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमें कुछ व्यतिक्यों से पत्र प्राप्त हुए हैं और हमने इन मामलों की जांच की है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार इस निधि का संग्रह जारी रखना चाहती है अथवा बन्द कर देना चाहती है?

श्रीमती इंदिरा गांधी : औपचारिक रूप से कोई चन्दा इकठ्ठा नहीं किया जाता है। लोग स्वेच्छा से दे रहे हैं और वह स्वीकार किया जाता है।

श्री प्र० चं० बरुआ : अब तक खोई हुई चन्दे की पुस्तकों के कितने मामलों का पता चला है और कितना पैसा गोलमाल किया गया है?

श्रीमती इंदिरा गांधी : यह एक बहुत ही पुराना प्रश्न है और पाकिस्तानी आक्रमण से पहले से संबंध रखता है। उसके बाद कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

श्री हेम राज : स्वर्ण बाँड और अन्य अंशदानों के लिये चंदा इकठ्ठा करने के लिये अधिकृत अधिकारी लोगों को इकठ्ठा होने के लिए कहते हैं और जब लोग इकठ्ठे हो जाते हैं तो वे अधिकारी उन बैठकों में उपस्थित नहीं होते।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैंने ऐसा पहले नहीं सुना।

श्रीमती सावित्री निगम : जवानों के परिवारों के कल्याण के लिये इस निधि में से कितनी राशि व्यय की गई है और प्रतिरक्षा उत्पादन कारखानों में कितनी राशि इसमें से लगाई गई है ?

डा० सरोजिनी महिषी : प्रतिरक्षा उपकरणों के उत्पादन के लिये 27.27 करोड़ रुपये और केन्द्रीय नागरिक परिषद् तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय के द्वारा जवानों के कल्याण, सुख सुविधाओं आदि के उपबन्ध के लिये 0.76 करोड़ रुपये।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it a fact that U. P. Government have retained an amount of 3 crores of rupees for the use of the political leaders? Do Government propose to stop accepting contributions to this fund in view of the fact that all the differences can now be settled by negotiations?

Shrimati Indira Gandhi : I said pressure is not employed in collecting defence fund.

श्री रंगा : उनका प्रश्न था कि 3 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रख लिया गया है और उसका दुर्विनियोग किया जा रहा है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : यह सच है कि उत्तर प्रदेश ने कुछ पैसा रख लिया है, परन्तु उसे किसी निधि के साथ मिलाया नहीं गया है; इसको पृथक रखा गया है और वहां की सरकार जवानों के परिवारों के लाभ के लिये उसका प्रयोग कर रही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत पाकिस्तान युद्ध के फलस्वरूप हुई हानि के लिये पंजाब को सहायता

*98. **श्री हेमराज :**
श्री दलजीत सिंह :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री हेम बरुआ :
श्री गुलशन :
श्री बालकृष्णन :
श्री द्वा० ना० दिवारी :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को पंजाब सरकार से भारत-पाकिस्तान युद्ध के फलस्वरुप हुई हानि का अन्तिम अनुमान प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां; तो कितनी और कितने मूल्य की हानि हुई है; और

(ग) केन्द्र ने राज्य सरकार को कितनी धनराशि दी है और पंजाब सरकार ने शरणार्थियोंको फिर से बसाने, उद्योग तथा विस्थापित मजदूरों के पुनर्वास के हेतु कितनी धनराशि की मांग की है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सदन के पटल पर एक विवरण रखा है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5499/66**]

नजरबन्दी व्यक्तियों की अदलाबदली

***99. श्री मधु लिमये :**
श्री नारायण रेड्डी :
श्री लाटन चौधरी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भावगत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री किशन पटनायक :
श्री रामसेवक यादव :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री महेश्वर नायक :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :
श्री हेडा :
श्री वसुमतारी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रामपुरे :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तथा पाकिस्तानी नजरबन्द व्यक्तियों की अदलाबदली हुई है;

(ख) भारत-पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तान ने कितने भारतीय नागरिकों को नजरबन्द किया; और

(ग) उनमें कितने पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से वापिस लौटाए गए हैं।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने 3886 भारतीय राष्ट्रिक नज़रबंद किए थे।

(ग) पूर्व पाकिस्तान से 2212 व्यक्ति स्वदेश वापस लाए गए हैं और पश्चिम पाकिस्तान से 1659।

चीन द्वारा श्रीलंका में भारत-विरोधी प्रचार

***100. श्री लाटन चौधरी :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री नारायण रेड्डी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 दिसम्बर, 1965 के "सीलोन डेली न्यूज" में प्रकाशित एक प्रमुख स्तम्भ लेखक के इस वृन्तात की ओर दिलाया गया है जिसमें इस बारे में आलोचना की गयी है कि भारत-विरोधी चीनी प्रचार-सामग्री का श्रीलंका में प्रकाशन अथवा श्रीलंका से वितरण हमारी प्रभुसत्ता ौर तटस्थता की विदेशनीति के विरुद्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार श्रीलंका की सरकार के साथ श्री लंका में चीन द्वारा भारत-विरोधी प्रचार के मामले पर बातचीत करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क), (ख) और (ग) : सरकार ने अखबारों की यह खबर देखी है। यह सम्भव है कि डाक के जरिये श्री लंका होकर कुछ भारत-विरोधी प्रचार सामग्री आगई हो। भारतीय कस्टम अधिकारी सतर्क हैं और इस बात के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि ये भारत में न आने पावे। श्रीलंका के साथ इस मामले को नहीं उठाया गया है।

Memorandum presented by People of Indian origin in Burma

***101. Shri D. N. Tiwary :**
Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether during the late Prime Minister's visit to Burma in December last, the persons of Indian origin submitted to him a memorandum regarding their difficulties;

(b) If so, their main difficulties; and

(c) the steps being taken to remove them?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) to (c). A Statement is placed on the Table of the House.

Statement

Several persons of Indian origin, individually and collectively, submitted memoranda representing their difficulties to the late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri during his visit to Burma in December 1965.

Their main difficulties listed are :

(i) the delay in obtaining compensation in respect of nationalised Indian business interests ;

(ii) repatriation of Indian assets in Burma;

(iii) detention without trial of Indian nationals for economic offences;

(iv) difficulty in obtaining travel documents by Burmese nationals of Indian origin who are desirous of leaving Burma for permanent settlement in India.

From 1964 onwards, several efforts have been made to resolve these problems The Embassy of India, Rangoon, has taken up the matter with the Burmese Government. The late Prime Minister, Foreign Minister and Indian officials who have visited Burma, from time to time, have also discussed the matter with the Burmese leaders. The dialogue between the two Governments is continuing.

मांजगांव डाक्स

*102. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री विभूति मिश्र :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री क० ना० तिवारी :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री महेश्वर नायक :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री राम हरक यादव :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि माजगांव डाक्स लिमिटेड, बम्बई अगले वर्ष से छोटे लड़ाकू जहाज बनाना आरम्भ करेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य किसी विदेशी सहायता और सामान के बिना किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो कितनी विदेशी सहायता और सामान प्रयोग में लाया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० एम० थामस) : (क) पहले फ्रिगट का तल निर्माण इस वर्ष किया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पहले 3 फ्रिगेट सर्वश्री विकर्स-आर्मस्ट्रांग (पोत निर्माता लि०) और सर्वश्री यैरा तथा कम्पनी लि० के सहयोग से निर्माण किए जाएंगे। इसमें आवश्यक डेटा की प्राप्ति, निर्माण के लिए नक्शे और अन्य जानकारी, अपने सेविवर्ग के सहयोगियों के पोत निर्माण कारखाने में प्रशिक्षण और सहयोगियों के सेविवर्ग की मज़ागां डाक लि० में प्रतिनियुक्त तथा सहयोगियों द्वारा निर्मित मशीनरी की कई महत्वपूर्ण मदों का क्रम अन्तर्ग्रस्त है।

फ्रिगेट प्रायोजना के लिए मज़ागां डाक लि० के प्रसार की बाहरी लागत का सामना करने के लिए यू० के० सरकार ने 47 लाख पौंण्ड का पहला ऋण दिया है।

गुजरात के मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री बी० जी० मेहता की विमान दुर्घटना

*103. **श्री विश्राम प्रसाद :** **श्री किशन पटनायक :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागड़ी **श्री मधु लिमये :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री बी० जी० मेहता की विमान दुघटनायें के बारे में हमारे विरोध पत्र का पाकिस्तान सरकार से अब कोई उत्तर प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या ; और

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार से इस क्षति का पूरा प्रतिकर देने के लिये कहा गया है ?

वदेशिक-कार्य मंत्री (स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

सशस्त्र सेनाओं में अनिवार्य भर्ती

*104. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम सेवक यादव :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्रीमती मैमना सुल्ताना :
श्री विश्वनाथ पाडेय :
श्री हरि विष्णु कामत :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चयनात्मक अनिवार्य भर्ती की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है; और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) प्रस्तावित योजना के बारे में राज्य सरकारों और सामान्य जनता की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन अनिवार्य भर्ती की योजना को कुछ पड़ौसी देशों की धमकी के रवैये को देखते हुए सभी स्वस्थ लोगों पर लागू करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो किस तारीख से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) योजना की अन्तिम रूपरेखा अभी तैयार नहीं हुई। प्रस्ताव के मुख्य लक्षण श्री एच० वी० कामत द्वारा सभा में 10 दिसम्बर 1965 को पूछे गए अल्प-सूचना प्रश्न के उत्तर में दिए गए थे।

(ख) सूचना राज्य सरकारों में परिचालित नहीं की गई थी। अभी इस पर विशषज्ञों के स्तर पर विचार हो रहा है।

(ग) तथा (घ) : यह प्रश्न इस प्रावस्थाओं में नहीं उठते ।

पाकिस्तान को फौजी साज सामान का संभरण

*105. श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
श्री उटिया :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री रामसेवक यादव :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री गुलशन :
श्री मधु लिमये :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री बड़े :
श्री महेश्वर नायक :
श्री राम हरख यादव :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दे० द० पुरी :
श्री रामपुरे :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंडोनेशिया द्वारा पाकिस्तान को रूस में निर्मित पनडुब्बियां दिये जाने के बारे में समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या पाकिस्तान ने ईरान, चीन, तुर्की, पुर्तगाल, जोर्डन, और फ्रांस से भी बड़ी मात्रा में सैनिक सामग्री प्राप्त की ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान को शस्त्र दिये जाने के विरुद्ध उन देशों में विरोध व्यक्त किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क), (ख) और (ग) : पाकिस्तान द्वारा विभिन्न देशों से सैनिक साज-सामान लेने की खबरें समय-समय पर सरकार के देखने में आई हैं । जहां कहीं भी आवश्यकता महसूस हुई है, भारत सरकार ने समुचित राजनयिक कार्रवाई की है। स्पष्ट कारणों से, चीन और पुर्तगाल से स्पष्टीकरण पाना सम्भव नहीं ।

पख्तूनिस्तान

*106. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :

श्री भावगत झा आज़ाद : श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी : श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त : श्रीमती सावित्री निगम :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 21 दिसंबर, 1965 को जमशेदपुर में आचार्य विनोबा भावे की इस स्पष्ट घोषणा पर विचार किया है कि वह पख्तूनिस्तान की मांग का पूर्ण समर्थन करते ह ;

(ख) क्या सरकार उन के विचारों का समर्थन करती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार सीमान्त गांधी खान अब्दुल गफ़ार खां के नेतृत्व में पक्तूनिस्तान के समर्थकों को अपना समर्थन देने के लिए क्या क़दम उठाने वाली है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : भारत सरकार का दृष्टिकोण अच्छी तरह मालूम है और वह सदन में कई बार व्यक्त किया जा चुका है। सरकार को पखतूनों की न्यायोचित भावनाओं के प्रति पूरी सहानुभूति है और वह सभी संभव संवैधानिक तरीकों से उनका समर्थन करेगी।

Construction of road from Chumbi Valley to Nathu La by Chinese

***107 Shri Kishen Pattnayak :** **Shri D. C. Sharma :**
Shri Madhu Limaye : **Shri Vishram Prasad :**
Dr. Ram Manohar Lohia : **Shri Yashpal Singh :**
Shri Bagri : **Shri Vishwa Nath Pandey :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of a new road which the Chinese have constructed from Chumbi Valley upto Nathu La in Sikkim;

(b) if so, Government's reaction thereto; and

(c) the measures being taken by Government to effect improvements in the communications system in Sikkim from the strategic view point?

The Minister of Defence (Shri Yeshwant Rao B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) Government have taken note of the Chinese posture on the borders, including construction of roads.

(c) Improvements in the communication system in Sikkim are proceeding satisfactorily. It will not be in public interest to disclose details.

रोडेशिया

*108. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्री विश्राम प्रसाद :
श्री द्वा० ना० तिवारी : श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी : श्री मधु लिमये :
श्री प्र० चं० बरुआ : डा० रानेन सेन :
श्री भावगत झा आज़ाद : श्री दीनेन भट्टाचार्य :

श्री सुबोध हंसदा : श्री विभूति मिश्र :
श्री स० चं० सामन्त : श्री रा० बरुआ :
श्री बागड़ी : श्री राम सहाय पाण्डय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि रोडशिया के प्रश्न पर बहुत से अफ्रीकी देशों ने ब्रिटेन से संबंध-विच्छद कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) रोडेशिया में श्वेत अल्पसंख्यक शासन द्वारा ग़ैर-कानूनी ढ़ंग से सत्ता हथियार जाने के संदर्भ में भारत सरकार ने अफ्रीकी लोगों के प्रति हमेशा सहानभति और समर्थन व्यक्त किया है ।

प्रसारण तथा अन्य प्रचार माध्यम संबंधी समिति का प्रतिवेदन

*109. श्रीमती रेणुका बड़कडकी : श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : श्री राजेश्वर पटेल :
श्री क० ना० तिवारी : श्री रा० बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा : श्री राम सेवक यादव :
श्री स० चं० सामन्त : श्री मणी राम बागड़ी :
श्री भावगत झा आज़ाद :

क्या **सूचना** तथा **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसारण तथा अन्य प्रचार माध्यम संबंधी समिति ने अब अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफ़ारिशें और निष्कर्ष क्या है, और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) समिति ने आकाशवाणी के कार्यों पर तीन रिपोर्टें भेजी हैं। पहिली "सीमा क्षेत्रों के लिये रेडियों प्रसारण" पर दूसरी "देहाती क्षेत्रों के लिए प्रसारण" पर तथा तीसरी "भारत में टेलीविजन" पर। समिति को आशा है कि वह मार्च 1966 के अन्त तक आकाशवाणी के बारे में अपनी अन्तिम रिपोर्ट दे देगी । तीनों रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखी जा रही हैं।

(ख) और (ग) : "सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये प्रसारण" तथा "देहाती क्षेत्रों के लिये प्रसारण" संबंधी रिपोर्टों की मुख्य सिफारिशें और उनके अनुसार आकाशवाणी के कार्यक्रमों में किए गए परिवर्तनों का विवरण 22 नवम्बर, 1965 को तारांकित प्रश्न संख्या 366 के उत्तर में सदन की मेज पर रखा गया था । "भारत में टलीविजन" के बारे में रिपोर्ट इस समय विचाराधीन है और इसका संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखा जा रहा है ।

लन्दन में भारतीय विद्यार्थियों पर आक्रमण

110. श्री इन्द्रजीत गुप्ता :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्रीमती विमला देवी :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री उटिया :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० रानेन सेन :
श्री दिनेन भट्टाचार्य :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री रा० बरूआ :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन में भारतीय विद्यार्थियो ने भारतीय उच्चायुक्त से शिकायत की है कि उपद्रवी व्यक्तियों के गिरोहों ने उस पर आक्रमण किया और उनका अपमान किया ;

(ख) क्या यह सच है कि स्थानीय पुलिस ने भी विद्यार्थियों को संरक्षण देने के बजाय उनके साथ कठोर और असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया;

(ग) इस बारे में उच्चायुक्त ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) उस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

वैदशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(ग) और (घ) : हाई कमीशन ने इस मामले को राष्ट्रमंडल कार्यालय के साथ उठाया है और उसे सूचित किया गया है कि संबद्ध अधिकारी इसका तत्काल जांच-पड़ताल कर रहे है।

पूर्वी पाकिस्तान में बंगला भाषा के विरुद्ध आन्दोलन

*111. श्री रा० गि० दुबे :
श्री महेश्वर नायक :
श्री विभुति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्वी पाकिस्तान में बंगला संस्कृति और बंगला भाषा के विरुद्ध आन्दोलन हुआ है और इस बारे में बंगाली लोगों में असंतोष है; और

(ख) यदि हां, तो क्या बंगला भाषा और संस्कृतिके विरुद्ध इस धर्म युद्ध की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : सरकार ने इस बारे में कुछ खबरें देखी हैं। किंतु, पाकिस्तान में बंगला भाषा और संस्कृति के दर्जे पर विचार करना और उसका निश्चय करना पाकिस्तान की जनता और अधिकारियों का काम है।

United Nations Observers in Kashmir

***112. Shri Bhagwat Jha Azad :** **Shri Subodh Hansda :**
Shri M. L. Dwivedi : **Shrimati Savitri Nigam :**
Shri S. C. Samanta : **Shri P. C. Borooah :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to strengthen the United Nations Indo-Pak. Military Observers Group posted in Kashmir;

(b) if so, the specific proposal of the U.N. Secretary General in this regard; and

(c) Government's reaction thereto?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir.

(b) & (c). Do not arise.

विदेशों में भारतीय नागरिकों की सम्पत्ति का जब्त किया जाना

***113. श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा तथा अन्य देशों में भारतीय नागरिकों की सम्पत्ति उन देशों की सरकारों द्वारा जब्त कर ली गई है;

(ख) भारत सरकार ने उन व्यक्तियों को जिनकी सम्पत्ति छीन ली गई है उनकी सम्पत्ति वापस दिलाने अथवा उन्हें पर्याप्त प्रतिकर दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) यह सच है कि हाल के भारत-पाक संघर्ष में, पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की संपत्ति पाकिस्तान सरकार ने अपने हाथ में ले ली है और पाकिस्तान में शत्रु-संपत्ति परिरक्षक (कस्टोडियन) को सौंप दी गई है।

श्रीलंका और बर्मा में भारतीय राष्ट्रिकों की संपत्ति जब्त नहीं की गई है। भारत सरकार को किसी अन्य देश से भारतीय राष्ट्रिकों की संपत्ति जब्त किए जाने की शिकायत नहीं मिली है।

(ख) परिणामी उपाय के रूप में, भारत सरकार ने भी भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की संपत्ति अपने हाथ में ले ली थी और भारत के शत्रु-संपत्ति परिरक्षक को सौंप दी थी। भारत सरकार ने पाकिस्तान द्वारा ग़ैर-कानूनी तरीके से संपत्ति ज़ब्त किए जाने के खिलाफ़ ढाका-स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन से विरोध प्रकट किया और मांग की कि यह संपत्ति उनके असली मालिकों को वापस कर दी जाए।

(ग) पाकिस्तान सरकार ने हमारे पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया है। किंतु, ताशकंद घोषणा के अनुसार, दोनों देश उस निजी संपत्ति और परिसंपत्ति (ऐसेट्स) को लौटाने के उपायों पर विचार करने के लिये सहमत हो गए हैं जो दोनों पक्षों ने अपने-अपने अधिकार में ले ली हैं।

Assessment of Chinese capabilities and Nuclear Programme

*115. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Rameshwaranand :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Hem Raj :
Shri Daljit Singh :
Shri Narayan Reddy :
Shri Krishnapal Singh :
Shri Shree Narayan Das :
Shri Harish Chandra Mathur :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Himatsingka :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Hem Barua :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri C. K. Bhattacharyya :
Shri Vishram Prasad :
Dr. L. M. Singhvi :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the assessment of China's capabilities and her programme for the manufacture of nuclear weapons made by the U.S. Defence Secretary at the Ministrial meeting of NATO held in Paris; and

(b) if so, Government's reaction thereon?

The Minister of External Affairs (Shri Sawaran Singh) : (a) *Yes, Sir.*

(b) Government view with concern the efforts being made by the People's Republic of China to develop an independent nuclear weapons capability. The implications of this are obvious for Asia and the world in view of China's aggressive and expansionist policies. Government consider that this development makes it all the more urgent to secure agreement on non-proliferation of nuclear weapons, on the prohibition of all nuclear weapons, test and on general and complete disarmament under effective international control. India is continuing its efforts in these directions in the Disarmament Committee which is meeting in Geneva.

आयात किये जाने वाले कच्चे माल का प्रतिस्थापन

*116. **डा० चन्द्रभान सिंह :**

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये अपेक्षित अत्यावश्यक माल को देश में बनाने के लिये प्रोत्साहन देनेके हतु क्या उपाय किय गये हैं अथवा करने का विचार है; और

(ख) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5500/66।**]

पाकिस्तानी दूतावासों द्वारा भारत विरोधी प्रचार

***117. श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बागड़ी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान सरकार ने विदेशों में अपने दूतावासों को विदेश दिया है कि वे आर्थिक प्रोत्साहन दे कर विदेशी समाचारपत्रों में भारत विरोधी लेख और समाचार प्रकाशित करायें; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये है?

वैदेशिक-कार्य मं ी (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु अस्त्र–विहीन राष्ट्रों के लिये गारन्टी

***118. श्री श्रीनारायण दास :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेऐ संकेत मिले हैं कि अण्विक परीक्षणों और आण्विक अस्त्रों के निर्माण में वृद्धि को रोकने के लिये बड़े परमाणु-अस्त्र-राष्ट्रों ने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमरीका और मध्य यूरोप में परमाणु अस्त्र-विहीन क्षेत्रों को गारण्टी देने की पक्की कोशिश का इरादा प्रकट किया है; और

(ख) यदि हां, तो उपलब्ध संकेत ठीक ठीक किस प्रकार के हैं?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : बड़े परमाणु-अस्त्र वाले राष्ट्रों ने निःशस्त्रीकरण के मामले में परमाणु अस्त्र-विहीन क्षेत्रों के स्थापित करने के सांपार्श्विक उपाय का सिद्धांत रूप से समर्थन किया है क्योंकि यह आण्विक-अस्त्रों की वृद्धि को रोकेगा।

प्रधान मंत्री की आसाम यात्रा

*119. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह आसाम में व्याप्त शांति, सुरक्षा तथा अन्य समस्याओं का अध्ययन करने के लिए फरवरी, 1966 के प्रथम सप्ताह में वहां गयीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी यात्रा के दौरान उन्हें सरकार तथा अन्य प्रतिनिधि संस्थाओं ने मांग-ज्ञापन दिये थे; और

(ग) उनके मुख्य पर्यवेक्षण क्या थे और उन पर्यवेक्षणों के आधार पर विभिन्न समस्याओं को हल करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). एक वक्तव्य सभा के पटल पर रख दिया गया है।

वक्तव्य

प्रधान मन्त्री जी 5 और 6 फरवरी, 1966 को आसाम के दौरे पर गये। यह दौरा मुख्यतः आसाम मीरी गोष्ठी के तेईसवें वार्षिक अधिवेशन के सिलसिले में था। इस दौरे में सरकार द्वारा अथवा किन्हीं प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा कोई नियमित मांग-पत्र पेश नहीं किये गये, किन्तु कुछ अभिनन्दन पत्रों में नेफा के आसाम के साथ एकीकरण के प्रश्न की, अधिक उद्योगों की स्थापना की, संचार व्यवस्था में सुधार की, कृषि की, बढ़ती हुई किमतों आदि की चर्चा की गई थी। प्रधान मन्त्री जी ने हमारी जनता की--विशष रूप में आसाम में--बहुत विभिन्नता का ज़िक्र किया। उन्होंने समस्याओं के सुलझाने के लिए एकता और मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आसाम के--खास तौर पर आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के--कल्याण लिए के की जाने वाली कार्यवाहियों को सरकार बहुत महत्व देती है। उन्होंने बताया कि चौथी पंचवर्षीय योजना में आवंटन करते समय आदिवासी लोगों के कल्याण लिए के आर्थिक व्यवस्था में काफी वृद्धि कर दी गई थी। तीन साल पहले चीनी आक्रमण से उत्पन्न गम्भीर स्थिति का सामना करने के लिए आसाम के लोगों ने जो साहस दिखाया उसकी प्रधान मन्त्री जी ने बहुत सराहना की। उन्होंने खाद्य और मूल्य-वृद्धि की समस्याओं की भी चर्चा की और लोगों को विश्वास दिलाया कि इन मसलों और दूसरे मसलों को सुलझाने के लिए सरकार अधिक से अधिक प्रयत्न कर रही है।

अन्तरिक्ष गवेषणा टेकनालाजी केन्द्र

411. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई अन्तरिक्ष गवेषण टैकनालौजी केन्द्र स्थापित करने का विचार है ;

(ख) क्या कुछ अन्य देश भी राकेट टैकनालौजी में भाग लेंगे; और

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) केरल प्रान्त में त्रिवेन्द्रम में थुम्बा स्थित विषुवदीय राकेट छोड़ने के केन्द्र के समीप वेली नामक पहाड़ी पर अन्तरिक्ष विज्ञान तथा टैकनालाजी केन्द्र स्थापित करने की योजना परमाणु ऊर्जा विभाग के विचाराधीन है।

(ख) तथा (ग) : इस केन्द्र को, जिसमें भारतीय राकेटों का विकास किया जायगा, राकेट टैक्नालाजी के एक जापानी विशेषज्ञ के तकनीकी पथप्रदर्शन से स्थापित करने की योजना है। सूद एविएशन नामक फर्म, जिसने फ्रांसीसी "सैंट्यौर" साउंडिंग राकेटों का विकास किया है, से प्राप्त लाइसेंस के अन्तर्गत भारत में ऐसे राकेटों का निर्माण किया जा रहा है। तथापि, इन राकेटों को बनाने से देश को ऐसी जानकारी नही मिलती जिसकी सहायता से राकेटों के डिज़ायन बनाने या निर्माण करने का काम पूरी तरह जा सके।

केरल के अफसरों तथा अन्य रैंकों के परिवार के सदस्य को सहायता

412. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाकिस्तान युद्ध में केरल के कितने सैनिक तथा अफसर मारे गये;

(ख) उन के वारिसों को क्या रियायतें तथा सहायता दी गई;

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों ने काश्त करने के लिये भूमि की मांग की थी और कितनों को भूमि दी गई;

(घ) क्या उन के बच्चों को फीस की रियायत दी जाती है; और

(ङ) क्या अफसरों तथा अन्य रैंकों के सनिकों के बच्चों को शिक्षा के संबंध में दी जाने वाली रियायतों में कोई अन्तर है और यदि हां, तो कितना और क्यों ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 5 अफसर, 4 कनिष्ठायक्त अफसर, और 85 अवर श्रेणी सैनिक।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5501/66।**]

(ग) संक्रिया में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों से 6 प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे कि उन्हें भूमि प्रदान की जाए, परन्तु अभी तक किसी को भूमि दी नहीं गई।

(घ) (1) केरल सरकार संक्रिया में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों और आश्रितों (सगे भाई बहिनें, और पत्नियों) को विभिन्न शिक्षा सुविधाएं देती है जिसमें सभी विभागीय, सहायता दिए गए स्कूलों और आर्टस्/विज्ञान कालिजों में नवीं और दसवीं श्रेणीं में निश्शुल्क शिक्षा सम्मिलित हैं। शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और नर्सिग प्रशिक्षण पाने वाली, संक्रिया में मारे गए या या निर्योग्य हो गए सेविवर्ग की पत्नियों, बच्चों और आश्रितों को पूरे शुल्क की सुविधा भी दी जातीं है। पुस्तकें और लिखने पढ़ने का सामान खरीदने के लिए निम्न दरों पर भत्त भी दिए जाते हैं :—

निम्न प्राईमरी स्कूलों में प्रति छात्र . .	10 रुपये वार्षिक
उच्च ,, ,, ,, ,, ,,	15 ,, ,,
हाई स्कूलों में प्रति छात्र . . .	25 ,, ,,
शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रति छात्र . . .	30 ,, ,,
विश्वविद्यालय पूर्व प्रति छात्र	40 ,, ,,
स्नातक श्रणियों में प्रति छात्र . .	50 ,, ,,

(2) रक्षा मंत्रालय द्वारा लारेंस मिलिट्री और सैनिक स्कूलों में, संक्रिया में मारे गए अफसरों और जवानों के बच्चों को कुछ संख्या में छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। सभी हालतों में छात्र-वृत्तियों में शामिल है पूरी फीस से विमुक्ति जिस में सम्मिलित है शिक्षा पर खर्च, खाना खोराक और वास्यस्थान, पाठ् पुस्तकें, स्टेशनरी, खेल और पंजीयकरण, परन्तु इस में वस्त्रों पर का खर्च सम्मिलित नहीं है।

(3) सेवाओं के उन अफसरों के बच्चों को जो ऐसे कारणोंवश मर जाएं; जो सेवा के कारण माने गए हों, या उससे प्रवर्धित आर्थिक स्थिति के कारण आवश्यकता की हालतों में सामान्य नियमों के अधीन शिक्षा भत्ता दिया जा सकता है, जो प्रति बच्चा 480 रुपये वार्षिक अधिक न हो, परन्तु ऐसा विशेष कुटुम्ब पेन्शन के अतिरिक्त हैसीयत सीमा संबंधी शर्तों के पूरा होने पर हो सकेगा। अफसर पद से नीचे पेन्शन नियमों में ऐसा उपबन्ध कभी भी नहीं रहा है। इस संबंध में नियमों में अन्तर हाल की संक्रियाओं में मारे गए अफसरों और सेविवर्ग के मामलों पर पहले 7 वर्षों में प्रभावी नहीं होगा। क्योंकि दोनों हालतों में इस अवधि में मृत द्वारा अन्तिम प्राप्त आधार वेतन की दो तिहाई के बराबर समन्वित एक विशेष कुटुम्ब पेन्शन देय है। और उसके पश्चात् अफसर पद से नीचे सेविवर्ग के संबंध में अफसरों की हालत के विरुद्ध विशेष कुटुम्ब पेन्शन, पेन्शन नियमों की दरों की डेढ़ गुना होगी, परन्तु इस शर्त से कि, वह अधिकाधिक वह अन्तिम प्राप्त आधार वेतन के तुल्य होगी, अगर वह अधिक लाभ कर हो।

डबोलिम हवाई अड्डा (गोआ)

413. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या रक्षा मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस समझौते की शर्तें क्या है, जिसके अन्तर्गत पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म द्वारा गोआ के डबोलिम हवाई अड्डे के लिए विमानों को ठीक ढंग से उतारने वाला राडार का सामान दिया जाना था;

(ख) क्या उक्त उपकरण प्राप्त हो गया है और लगा दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो कब तक इसके लगाये जाने की संभावना है; और

(घ) भुगतान किस प्रकार किया जाएगा?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) साज़सामान के लिए दिया गया आडर करार की उन सामान्य शर्तों से अनुशासित है जो इंडिया सप्लाई मिशन लन्दन द्वारा अपनाई गई हैं और जिनकी एक प्रति संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5502/66।**]

(ख) साज़सामान अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) साज़सामान के मार्च 1967 तक भारत पहुंचने की प्रत्याशा है, और उसके पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र ही स्थापित कर दिया जाएगा।

(घ) फर्म को अदायगी विदेशी मुद्रा में की जाएगी।

जमावरोधी तत्व (एन्टी फ्रीज कंटेन्ट)

414. **श्री राम हरख यादव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर स्थित प्रतिरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला ने अधिक ऊंचे प्रदेशों में प्रयोग के लिये एक देशी जमावरोधी तत्व तयार किया है;

(ख) यदि हां, तो जमावरोधक के रूप में इसकी क्या उपयोगिता है; और

(ग) इससे इसके स्थानापन्न तत्व के आयात पर क्या प्रभाव पड़ा है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसी गाड़ियों के रेडिएटर शीतक संयत्र में एक जमावरोधक यन्त्र का प्रयोग आवश्यक है, जो शुन्य से नीचे तापमान स्थितियों में चलती हैं। कानपुर की रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला (सामान) द्वारा विकसित देशीय जमावरोधक यन्त्र प्रयोगशाला निरीक्षणों तथा क्षेत्रीय परीक्षणों दोनों में सन्तोषप्रद पाया गया है, और सेवाओं के प्रयोग के लिए स्वीकार कर लिया गया है।

(ग) इस उपयुक्त प्रतिबदल के विकास के कारण विदेशी सामान का आयात बन्द कर दिया गया है।

बरेली के निकट विमान दुर्घटना

415. **श्री राम हरख यादव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि 23 दिसम्बर, 1965 को पिछले पहर में भारतीय वायुसेना के एक विमान की बरेली के निकट दुर्घटना हो गई थी ?

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस मामले में जांच का आदेश दे दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) विमान जो प्रशिक्षण उड़ान पर था बरेली से लगभग 60 मील उत्तर पूर्व ध्वस्त हो गया था। विमान को इतनी हानि पहुंची थी कि आर्थिक दृष्टि से वह मुरम्मत योग्य न रहा था।

(ग) जी, हां।

पूर्वी तट पर गश्त

416. **श्री तवंर :** क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत्रु देशों की नौ सैनिक गतिविधियों के कारण तथा पूर्वी तट पर मद्रास से कन्याकुमारी तक के प्रदेश के महत्व और भेद्यता को ध्यान में रखते हुए इस प्रदेश में गश्त को मजबूत करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे सैनिक साज-सामान और कमचारियों को लाने ले जाने के लिये इस प्रदेश में सड़कों की पर्याप्त सुविधाएं हैं ; और

(ग) चालू प्रतिरक्षा व्यय में सामरिक महत्व की इस योजना को क्या प्राथमिकता दी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं। इस क्षेत्र में किसी शत्रु देश की कोई नौसैनिक संक्रियाएं नहीं देखी गई।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

भारत और नेपाल के अधिकारियों की बैठक

417. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या वदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में विरट नगर में भारत और नेपाल सरकार के अधिकारियों की एक बैठक करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो किन बातों पर चर्चा किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या पहले दोनों देशों के अधिकारियों के सहयोग हे सीमान्त तस्कर व्यापार रोकने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो किन वस्तुओं के सम्बन्ध में और उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य-मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : लोहा और इस्पात, पैट्रोलियम पदार्थ, धातुएं, बड़े-बड़े टायर, वायरलैस सेट, गेहूं और अन्य खाद्यान्य, चीनी और सीरा जैसी अभाव वाली कुछ चीज़ों को छोड़कर भारत नेपाल में होने वाली अन्य किसी चीज़ को दोनों देशों में लाने-ले जाने पर कोई प्रतिबंध या नियंत्रण नहीं है। जिन चीज़ों पर प्रतिबंध लगा है, उन्हें सीमा के इधर-उधर लाने-ले जाने की सीमा स्थित चौकियों पर जांच की जाती है।

नागाओं द्वारा टिकटों का बनाया जाना

418. **श्री कोल्ला वैंकैया :** **श्री कर्णी सिंहजी :**
श्री म० ना० स्वामी : **श्री हेम बरुआ :**
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री 8 नवंबर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 278 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छिपे हुए नागाओं द्वारा टिकटों के बनाये जाने, उनकी बिक्री और इस्तेमाल के बारे में जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : हमारी जाँच-पड़ताल के फलस्वरुप यह पता चला है कि ससेक्स, इंग्लैंड, के मेसर्स प्राउड मैले के श्री इ० डब्ल्यू बैले ने श्री जाल कूपर को पांच टिकटों का एक सैट भेजा था। श्री प्राउड ने इन टिकटों के साथ जो पत्र भेजा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें ये टिकट लंदन में नागा प्रतिनिधिमंडल से मिले थे । उन्होंने यह भी लिखा था कि "ये टिकटें बहुत कम मिलती हैं और इनके एक सेट की कीमत 10–10 पौण्ड तक है।"

जाल कूपर के और प्रश्नों के उत्तर में श्री प्राउड ने लिखा था कि उन्हें इस बारे में कोई सूचना नहीं मिल सकी है कि ये टिकटें कितनी छापी गई थी और न ही वे इनके इस्तेमाल किए हुए लिफ़ाफे ही प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) चूंकि इन टिकटों का डाक या राजस्व में कहीं इस्तेमाल किए जाने की नागालैंड अथवा कहीं और से कोई खबर नहीं मिली है, इसलिए कोई कार्रवाई करने का सवाल नहीं नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत पाकिस्तान संघर्ष में बस मालिकों तथा ठेकेदारों की मृत्यु

419. **श्री गुलशन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में कितने गैर-सरकारी बस मालिकों और ठेकेदारों की मृत्यु हुई; और

(ख) क्या मृत-व्यक्तियों के परिवारों को कोई प्रति कर दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) एक भी नहीं। असैनिक गाड़ियों के तीन चालक एक कण्डक्टर और पांच क्लीनर युद्ध के दौरान मारे गए थ, जो किराये पर ली गई थीं/अधिग्रहण की गई थीं। इन नौ व्यक्तियों में से एक भी गाड़ी का मालिक या ठेकेदार न था।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तदपि रक्षा कार्य में मारे गए असैनिक चालकों और क्लीनरों को कुटुम्ब पेन्शन देने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं, जो सेना में समतुल्य असैनिक चालकों और क्लीनरों के वेतनमान में कम से कम पर आधारित है। उपरोक्त (क) में उल्लिखित व्यक्तियों से संबंधित दावे पहले जारी हो चुके सरकारी आदेशों के अनुसार निपटाएं जाएंगे। अभी तक केवल एक ही दावा प्राप्त हुआ है।

राष्ट्रीय रक्षा कोष

420. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री बागड़ी :**
श्री बाल्मीकी : **श्री रामेश्वरानन्द :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री भानु प्रकाश सिंह :**
श्री बड़े :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये धन इकट्ठा करने में अनियमिताओं के बारे में सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी, और इनके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय रक्षा कोष के इकट्ठा करने में अनियमितताओं के संबंध में सरकारको कोई गंभीर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। छोटी मोटी शिकायतें तो समय समय पर मिलती रहती हैं। उनको उचित कार्यवाही के लिये संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है क्योंकि चन्दा इकट्ठा करने की मुख्य ज़िमेदारी आरम्भ से ही उन्होंने की है।

Unidentified Plane over Jammu City

422. **Shri Bade :** **Shri Yashpal Singh :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Vishwa Nath Pandey :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the particulars of the plane which caused an explosion over Jammu city on the 17th December, 1965 have since been found out;

(b) if so, to which country it belonged and the causes of the explosion, and

(c) the action taken in the matter?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) It is likely that the sound heard was that of the sonic bang caused by our own aircraft breaking the sound barrier in Jammu area where these were operating on that day.

(b) and (c). Do not arise.

उत्तर प्रदेश में परमाणु बिजलीघर

423. श्री राम हरख यादव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री लाटन चौधरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री शिंकरे :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री भावगत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में एक परमाणु बिजलीघर स्थापित करने का निश्चय किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार से परामर्श लेकर विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्टेशन को स्थापित करने की संभाव्य स्त्रिथि क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत केवल केन्द्रीय सरकार को ही यह निर्णय करने का अधिकार है कि क्या कोई परमाणु बिजलीघर स्थापित किया जाय तथा, यदि किया जाय तो किस क्षेत्र में।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

National Defence Fund

424. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have provided facilities to the persons residing abroad to contribute towards the National Defence Fund;

(b) if so, the total collections received in the National Defence Fund from abroad; and

(c) the details thereof?

Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes. Contributions towards the National Defence Fund by persons residing abroad are received by our Missions concerned, who afford necessary credit for the same in the Missions' accounts which are received and adjusted by the Accountant General, Central Revenues in due course.

(b) & (c). A statement is placed below. [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5503/66।]

भारत का विदेशों में प्रचार

425. **श्री नारायण रेड्डी :** **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया : **श्री च० का० भट्टाचार्य :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार भारत के पड़ोसियों, विशेषकर चीन और पाकिस्तान का व्यवस्थित अध्ययन करने की एक योजना पर विचार कर रही है जिससे शांति तथा युद्ध काल में प्रचार सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये उपयुक्त जानकारी इकट्ठी की जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे संभवतः कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

वदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क), (ख) और (ग) : इस तरह का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। किंतु, विदेश मंत्रालय के सामान्य काम-काज में उन सभी देशों की नीतियों का बराबर व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है जिनके साथ भारत के राजनयिक संबंध हैं; ऐसा न केवल प्रचार के उद्देश्य से किया जाता है बल्कि अपनी नीतियां निर्धारित करने के उद्देश्य से भी जब आवश्यकता होती है, इस तरह के अध्ययन को व्यापक बना दिया जाता है और परिवर्तनीय स्थितियों के अनुरूप किया जाता है।

टेलिविजन संबंधी अन्तरिम रिपोर्ट

426. **श्री नारायण रेड्डी :** **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :**
श्री रामेश्वर टांटिया : **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में टेलिविजन के सम्बन्ध तीसरी अन्तरिम रिपोर्ट सरकार को मिल गई है,

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है, और

(ग) उसमें दिये गए सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कायवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट का एक संक्षिप्त विवरण नत्थी किया गया है।

(ग) रिपोर्ट में दिये गये सुझाव विचाराधीन हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5504/66**]

विद्रोही नागाओं के साथ प्रधान मंत्री की भेंट

427. **श्री लाटन चौधरी :** **श्री मधु लिमये :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री क० ना० तिवारी : **श्री किशन पटनायक :**
श्री ईश्वर रेड्डी : **श्री यशपाल सिंह :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी : **श्री हेम बरुआ :**
श्री रामेश्वर टांटिया : **श्री च० का० भट्टाचार्य :**

श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री कोल्ला वैंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री गुलशन :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री रा० बरुआ :
श्री बसुमतारी :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हेम राज :
श्री धर्मलिंगम :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने विद्रोही नागा नेताओं से भेंट की थी ;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर विचार किया गया था; और

(ग) क्या नागा समस्या को सुलझाने के लिये विद्रोही नेताओं से कोई समझौता हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां। नागा नेताओं ने 18 और 19 को दिल्ली में प्रधान मंत्री से भेंट की थी।

(ख) और (ग) : यह बातचीत छिपे नागा नेताओं की प्रधान मंत्री के साथ प्रारम्भिक बातचीत थी ताकि जल्दी शांतिपूर्ण हल निकालने में सहायता मिले। शांति सुनिश्चित करने, लड़ाई बंद रखने के वर्तमान समझौते पर कारगर रूप से अमल करने के तरीकों और उपायों के बारे में और समझौता तोड़ने की शिकायतों की शीघ्र जांच करने और उन्हें तय करने के बारे में विचार विमर्श किया गया।

नागा समस्या को सुलझाने के लिए कोई विशेष समझौता नहीं हुआ है लेकिन इस वर्ष अप्रैल में और आगे बातचीत होगी।

फल फूल तथा पशु पक्षियों पर विकीरण (रेडिएशन) का प्रभाव

428. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री दाजी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से केरल के "मोनाजाइट" क्षेत्रों में फल, फूल तथा पशु पक्षियों पर प्राकृतिक विकीरण के प्रभावों का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां। मानव तथा उसके पर्यावरण पर होने वाले दीर्घकालीन विकीकरण से सम्बन्द्ध अध्ययनों के एक भाग के रूप में केरल तथा मद्रास प्रान्तों के मोनोज़ाइट क्षेत्रों में फल-फूलों पर तथा कुछ सीमा तक पशु-पक्षियों पर परीक्षण किए गए हैं।

(ख) परमाणु ऊर्जा संस्थान के जीव-विज्ञान ग्रुप ने मोनाज़ाइट क्षेत्रों के विस्तृत रिडियोलाजिकल सर्वेक्षण किए हैं, जिनका उद्देश्य इस क्षेत्र में बहुतायत से मिलने वाले बहुत से पौदों में रेडियधर्मिता के वर्तमान स्तरों का पता लगाना है। यह पाया गाया है कि अल्फा तथा गामा रेडियधर्मिता के पौदों में मौजूद स्तर मोनाजाइट रहित क्षेत्रों में मिलने वाले पौदों की अपेक्षा मोनाजाइट युक्त क्षेत्रों में मिलने वाले पौदों में अधिक हैं। अब तक किए गए अध्ययनों से मालूम हुआ है कि इन पौदों में रेडियधर्मिता के वर्तमान स्तरों का कारण पौदों द्वारा भूमि से रेडियम के आइसोटोपों का अवशोषण करना है। पौदों द्वारा रेडियधर्मी तत्त्वों के अवशोषण की प्रक्रिया पौदों की ज़ड़ों की प्रकृति तथा पौदों की विभिन्न किस्मों के वृद्धि के गुण पर निर्भर करती है। पौदों में प्राकृतिक थोरियम तथा यूरेनियम के रेडियधर्मी तत्वों के अवशोषण, संचरण तथा अवस्थापन के सम्बन्ध में मात्रा सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रयोग किए जा रहे हैं।

रेडियधर्मी मापन के अतिरिक्त, मोनाज़ाइट क्षेत्रों में दीर्घकालीन विकिरण से पौदों पर होने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया गया है। परिणामों से पता चलता है कि कोशीय स्तर पर विनाश मोनाज़ाइट रहित क्षेत्रों में पैदा होने वाले पौदों की अपेक्षा मोनाज़ाइट युक्त क्षेत्रों में पैदा होने वाली पौदों में अधिक होता है। ऐसा मालूम होता है कि कुछ पौदों पर अन्य पौदों की अपेक्षा दीर्घकालीन किरणीयन का प्रभाव अधिक पड़ता है।

मोनाजाइट युक्त क्षेत्रों में कीड़ों पर प्राकृतिक विकिरण से होने वाले सम्भावित प्रभावों का भी अध्ययन किया गया है। कालेम्बोला जाति के कीड़ों पर किए गए प्राथमिक कोशिकात्मक अध्ययनों से पता लगा कि केरल के मोनाजाइट युक्त तथा मोनाजाइट रहित क्षेत्रों में पाये जाने वाले कीड़ों में कोई पता लगने वाला अन्तर नही। इस प्रकार ही मोनाज़ाइट क्षेत्रों में चूहों पर प्राकृतिक विकिरण से पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन से उनमें किसी तरह का आनुवंशिक विनाश नहीं पाया गया।

वियतनाम स्थिति

429. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री वारियर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री काजरोलकर :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुहम्मद इलियास :
डा० रानेन सेन :
श्री सेझियान :
श्री राजाराम :
श्री केप्पन :

श्री किशन पटनायक : **श्री कोल्ला वैंकैया :**

श्री यशपाल सिंह : **श्री म० ना० स्वामी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वियतनाम समस्या के हल तथा वहां पर युद्ध बन्द कराने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये गये हैं ;

(ख) क्या भारत सरकार ने संबंधित सरकारों के सामने कोई ठोस प्रस्ताव रखे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन सरकारों की इन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क), (ख) और (ग) : भारत उन देशों के संपर्क में रहा है जो यह चाहते हैं कि वियतनाम में शांति हो जाए। अभी तक प्रमुख रूप से संबद्ध पक्षों के विचारों में समझौता कराना सम्भव नहीं हो पाया है।

सेनाओं के हटाये जाने के बारे में जनरल मरम्बियों की बातचीत

430. **श्री विश्राम प्रसाद :** **श्री स० चं० सामन्त :**

डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री सुबोध हंसदा :**

श्री बागड़ी : **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री राम सेवक यादव : **श्री किन्दर लाल :**

श्री किशन पटनायक : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री महेश्वर नायक : **श्री लिंग रेड्डी :**

श्री रामेश्वर टांटिया : **श्री रा० बरुआ :**

श्री हिम्मतसिंहका : **श्री क० ना० तिवारी :**

श्री मधु लिमये : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री यशपाल सिंह : **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**

श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :**

श्री शिकरे : **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री हरि विष्णु कामत :**

श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री रामपुरे :**

श्री भागवत झा आजाद : **श्री धर्मलिंगम :**

श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 5 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान की सेनायें जिन स्थानों पर जमी हुई थीं उन स्थानों तक उन्हें हटाये जाने के संबंध में बातचीत करने के लिये संयुक्त राष्ट्र महा-सचिव के विशेष दूत के रूप में क्या चिली के जनरल मरम्बियों ने दोनों देशों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा उन से की गई बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में महासचिव के प्रस्तावों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जनरल तूलियो मरम्बियों ने महासचिव की ओर से, युद्धविराम सुनिश्चित करने और सभी सशस्त्र सेविवर्ग के 5 अगस्त 1965 से पहले की स्थितियों पर लौटने में सहायता देने के लिए भारत और पाकिस्तान का भ्रमण किया।

(ख) भारत और पाकिस्तान के सैनिक प्रतिनिधियों से प्रारम्भिक बातचीत के पश्चात् 29 जनवरी 1966 को एक समझौता करार पाया। इस करार में शामिल था भारत के सेनाध्यक्ष और पाकिस्तान के मुख्य सेनापति के बीच सेनाओं के हटाने, रक्षानिर्माणों को तोड़ने तथा ताशकन्द घोषणा के फलस्वरूप सेनाओं की वापसी संबंधी करार। इस करार में सेनाओं की वापसी के लिये क्रिया के नियम भी शामिल थे।

(ग) अपने कर्तव्य की सम्पूर्ति में महासचिव के प्रतिनिधि को भारत सरकार ने पूरी पूरी सहायता की थी।

नागाओं से शांति वार्ता

431. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री दे० द० पुरी :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्रोही नागा नेताओं से शांति वार्ता में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या शांति वार्ता में भाग लेने के लिये श्री फिजो को भी आमंत्रित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो शांति वार्ता का ब्योरा क्या है और यह शांति वार्ता कब तक समाप्त हो जायेगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) लड़ाई बंद रखने की अवधि 15 अप्रैल 1966 तक बढ़ा दी गई है। इस विषय में पिछली बार सदन की जब सूचना दी गई थी तब से नागाओं के साथ बातचीत में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।

(ख) श्री फ़िज़ो को भारत आने का निमंत्रण शांति मिशन ने दिया था कि वे भारत आएं और इस मामले पर उनसे विचार-विमर्श करें।

(ग) शांति वार्ता जारी है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि नागा समस्या का शांतिपूर्ण हल निकल आए। इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि यह वार्ता कब तक पूरी हो जाएगी।

आयुध कारखाने

433. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने आयुध कारखाने हैं; और

(ख) वर्तमान संकट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न कारखानों में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) हेवी विहीकल फैक्टरी आवड़ी सहित फैक्ट्रियों की संख्या 25 है। चान्दपुर, अम्बाझारी और तिरुचिरापल्ली में तीन आयुध कारखाने और स्थापित किए जा रहे हैं; टुण्डला के निकट एक जमा कर सुखाए गए मांस के उत्पादन के लिए एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है और एक कारखाना जबलपुर में गाड़ियों के उत्पादन के लिए ;

(ख) आपात स्थिति की आवश्यकताओं का सामना करने के लिए, साज़सामान की कई नई मदों के निर्माण के लिए पहले स्थापित निर्माण को बढ़ाया गया है, और कई नई मदों के निर्माण के लिए पहले स्थापित निर्माण को बढ़ाया गया है, और कई नई मदों के निर्माण के लिए क्षमताएं स्थापित की गई हैं।

Atomic Energy Commission

434. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the posts of the Secretary and Chairman of Atomic Energy Commission are held by one and the same person;

(b) whether it is also a fact that the desired results in the field of atomic energy research are not forthcoming due to the above reasons;

(c) if so, whether Government propose to appoint two different persons on these posts; and

(d) if not, the reasons therefor?

Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes;

(b) No; on the contrary, as the House is aware, atomic energy work in this country has produced results of which all of us can be justifiably proud;

(c) Now that the country has unfortunately been deprived of the wise guidance and dynamic leadership of the versatile genius that was Dr. Homi Bhaba. Government has to consider what, in the changed circumstances, would be the most suitable set-up for the atomic energy organisation. The matter is receiving attention and various possibilities are being examined.

(d) Does not arise.

Pak. Army Officials getting training in China

435. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Bagri :
Dr. L. M. Singhvi :
Shri Gulshan :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :
Shrimati Renuka Barkataki :
Shri Ram Harkh Yadav :
Shri R. S. Pandey :
Shri Ravindra Varma :
Shri Rajeshwar Patel :
Shri Hem Raj :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri Subodh Hansda :
Shri P. C. Borooah :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the reports that a contingent of the Pakistan army has been sent to China to receive training in gurilla warfare;

(b) whether Government have tried to find out the number of Pakistani Military personnel of this contingent ; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) We have seen press reports.

(b) & (c). The Government of India have no confirmation of this report, but we have had information that some individual Pakistani army personnel have gone to China.

External Publicity

436. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Bagri :
Shri Vishram Prasad :
Dr. L. M. Singhvi :
Shri Linga Reddy :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Yashpal Singh :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri Mohan Swarup :
Shri D. N. Tiwary :

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Madhu Limaye :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti : **Shri S. V. Ramaswamy :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India's stand in regard to Kashmir has not been effectively publicised in other countries; and

(b) if so, whether Government have given any specific instructions in this regard to their Diplomatic representatives abroad and have taken any other steps to streamline their external publicity abroad?

The Minister of External Affairs (Shri Swarn Singh) : (a) & (b). Prompt and effective steps are taken to give publicity abroad to our view points on various issues, including the Kashmir question. This is done by regular briefings to Indian and foreign correspondents at Headquarters. Our Missions are supplied daily with news and comments and are also sent publicity directives and background material on a regular basis.

We are constantly examining our entire publicity machinery, both at home and abroad, with a view to presenting our case vigorously through all available media.

भारत पाक सीमा का रेखांकन

437. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बाल्मीकी :
श्री बागड़ी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत—पूर्वी पाकिस्तान सीमा के रेखांकन के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल सीमा पर सीमा खम्भे लगा दिये गये है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारत-पूर्व पाकिस्तान सीमा को 2,519 मील की कुल लंबाई में से 1,686 मील की लंबाई के साथ-साथ खंभे लगाकर सीमांकन का काम पूरा किया गया है।

(ख) जी हां। 550 मील लंबी त्रिपुरा-पूर्व पाकिस्तान सीमा में 184 मील की लंबाई तक सीमा के खंभे बना दिए गए है; और 1349 मील लंबी पश्चिम बंगाल-पूर्व पाकिस्तान सीमा में 1079 मील की लंबाई तक।

(ग) पूरी सीमा पर कार्य समाप्त कर लेने की कोई पक्की तारीख बताना मुश्किल है।

नागाओं द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन

438. **श्री यशपाल सिंह :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री बाल्मीकी : **श्री राम सेवक यादव :**
श्री श्रीनारायण दास : **श्री किशन पटनायक :**
श्री रामेश्वर टांटिया : **श्री मधु लिमये :**

श्री हिम्मतसिंहका : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री नारायण रेड्डी : **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री बागड़ी : **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 नवम्बर, 1965 से अब तक नागालैण्ड में नागा विद्रोहियों ने कितनी बार युद्ध विराम उल्लंघन किया ;

(ख) उल्लंघन की ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन उल्लंघनों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार भी युद्ध-विराम अवधि को समाप्त करने का है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) युद्ध-विराम की शर्तों के 110 बार उल्लंघन।

(ख) (1) उठा ले जाने के—54
(2) धन इकट्ठा करने के—17
(3) हथियार लेकर और वर्दी में गांवों में घूमना—37
(4) हत्या के—1
(5) सुरक्षा चौकियों पर गोली बारी के—1

(ग) युद्ध-विराम की शर्तों का उल्लंघन करने के तमाम मामलों की रिपोर्ट शांति मिशन को दी जा रही है कि वे छिपे नागाओं को ऐसी कार्रवाइयां न करने के लिए कहें। अपराध संबंधी मामलों में कानूनी कार्रवाही भी की जा रही है। नागालैंड की सरकार ने प्रशासकीय अधिकारियों को पहले ही निदेश दे दिए हैं कि वे छिपे नागाओं द्वारा की जाने वाली ग़ैर-कानूनी कार्रवाइयों को रोकें और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थानीय पुलिस शक्ति का उपयोग करें तथ्य यह सुनिश्चित करें कि छिपे नागा लोग सामान्य प्रशासन में दखल न दे सकें।

(घ) जी नहीं। सरकार का इरादा है कि नागा समस्या का समाधान खोजने के लिए शांतिपूर्ण बातचीत के ज़रिय सभी संभावनाओं का पता लगाया जाय।

नेपाल में चिकित्सा कालेज और छोटे पैमाने के उद्योग

439. श्री यशपाल सिंह : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री बाल्मीकी : **श्री किशन पटनायक :**
श्री बागड़ी : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **वैदशिक-कार्य** मंत्री 22 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1012 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) नेपाल में चिकित्सा कालेज स्थापित करने और छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने की दिशा में और क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों के किसी विषेषज्ञ ने नेपाल का वहां पर उद्योगों के विकास के बारे में सर्वेक्षण करने के लिये दौरा किया; और

(ग) यदि हां, तो उन्होंनें क्या प्रतिवेदन दिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) नेपाल में एक मेडिकल कालिज खोलने की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने नेपाल में जो अधिकारी नियुक्त किया था उसने एक रिपोर्ट पेश की है और यह रिपोर्ट नेपाल के महामहिम की सरकार को विचारार्थ भेज दी गई है ।

(ख) और (ग) : लघु उद्योगों का एक विशेषज्ञ नेपाल में लघु उद्योग स्थापित करने की सम्भावनाओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंकड़े इकट्ठे करने आजकल नेपाल गया हुआ है ?

नेपाल में कमला बांध

440. श्री बाल्मीकी :

श्री यशपाल सिंह :

श्री बागड़ी :

क्या **वैदेशीक कार्य** मंत्री 22 नवम्बर, 1965 के अतारिंकित प्रश्न संख्या 1019 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल के कमला बांध के सम्बन्ध में स्परेखा (ब्लू प्रिन्ट) इस बीच तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितना धन व्यय किये जाने की आशा है; और

(ग) क्या इस परियोजना का सारा व्यय भारत सरकार वहन करेगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) अभी नहीं।

(ख) अभी मालूम नहीं है ।

(ग) जी, हां ।

परमाणु बिजली घर, दिल्ली

441. श्री बाल्मीकी :

श्री यशपाल सिंह:

श्री बागड़ी:

डा० राम मनोहर लोहिया :

श्री किशन पटनायक :

श्री राम सेवक यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बिजली की कमी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में एक परमाणू बिजली घर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) देहली में परमाणू बिजलीघर बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, राजस्थान में राणा प्रताप सागर पर बनने वाला बिजलीघर जब चालू हो जायेगा तब उससे राजस्थान-दिल्ली-पंजाब क्षेत्र की बिजली सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी की जा सकेंगी।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

पाकिस्तन व्दारा वायू क्षेत्र का उल्लंघन

442. श्री बाल्मीकी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बड़े :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री बसुमतारी :
डा० श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :
श्री रामपुरे :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने गत तीन महीनों में भारतीय वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी बार और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत दिसम्बर में किसी पाकिस्तानी विमान को मार गिराया गया था;

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पाकिस्तान द्वारा ऐसे उल्लंघनों की रोकथाम के लिये सरकार नें क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : 21 नवम्बर 1965 से 7 7 जनवरी 1966 तक की अवधि में पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय अन्तरिक्ष क्षेत्र के 54 उल्लंघन हुए हैं, और उसके पश्चात् केवल एक 31-1-1966 को। यह उल्लंघन जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिमी क्षेत्र में अपनी आग्रम चौकियों पर हुए।

(ग) तथा (घ) : जी हां, एक पाकिस्तानी ए० ओ० पी० विमान भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों द्वारा 16 दिसम्बर, 1965 को अमृतसर नगर से 7 मील पर मार गिराया गया था।

(ङ) इन उल्लंघनों के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रों के प्रेषकों को शिकायतें की गई थीं। जैसे कि उपरोक्त (ग) में बताया गया दूसरी कार्यवाही भी की गई थी।

भारत–श्रीलंका समझौता

443. **श्री बाल्मीकी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री मधु लिमये :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री लंका में भारतमूलक राज्यहीन व्यक्तियों के बारे में दोनों देशों के बीच हुए समझौते को क्रियान्वित करने की दिशा में सरकार ने और क्या कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : करार पर अमल करने के लिए जुलाई 1965 में जो सम्मिलित समिति स्थापित की गई थी, उसकी नियमित रूप से मीटिंग हो रही है। भारत-श्रीलंका की राष्ट्रिकता के लिए नोटिसे जारी करने से पहले समिति में वचार-विमर्श किया जाता है। एक विशेष आवेदन फार्म तैयार किया जा रहा है और वह भारतीय नागरिकता वाले आवेदकों को दो भाषाओं में (तमिल और अंग्रेजी) दिया जाएगा।

खान अब्दुल गफ्फार खां को निमन्त्रण

444. **श्री बाल्मीकी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में खान अब्दुल गफ्फार खां को 1966 में भारत आने का निमंत्रण दिया है;

(ख) क्या उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है;

(ग) क्या कोई तिथि निश्चित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क), (ख) और (ग) : जनवरी 1965 में खान अब्दुल गफ्फार खां को निमंत्रण दिया गया था कि वह किसी समय सुविधानुसार भारत आएं। जवाब में, खान अब्दुल गफ्फार खां ने कहा था कि वह किसी उचित अवसर भारत आएंगे। निमंत्रण अब भी खुला है लेकिन इस यात्रा की कोई तारीख अभी निश्चित नहीं हुई है।

युद्ध विराम के पश्चात् हताहत हुए व्यक्ति

445. श्री रा० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बादशाह गुप्त :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युद्ध विराम के पश्चात् सभी अंचलों में पाकिस्तान द्वारा किये गये उल्लंघनों के कारण कितने भारतीय हताहत हुए ; और

(ख) सरकार ने इन जवानों के परिवारों की सहायता के लिये क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) युद्धविराम के पश्चात् सभी क्षेत्रों में पाकिस्तान द्वारा युद्धविराम उल्लंघन के कारण भारतीय कुल हताहतों की संख्या 2062 है। इन में से 459 मारे गए थे। 1348 घायल हुए, 239 लापता है और 6 युद्धबन्दी बना लिए गए थे।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी० 5505/66**]

अन्तरिक्ष की खोज

446. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के राष्ट्रपति ने अन्य राष्ट्रों को अन्तरिक्ष विशेषकर सूर्य तथा बृहस्पति ग्रह की खोज करने में भाग लेने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस खोज में भाग लेने के निश्चय किया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठते।

अणु बम के लिये पाकिस्तान की योजनायें

447. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हेम राज :
श्री दलजीत सिंह :
श्रीमती रेणुका बडकटकी :
श्री मधु लिमये :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विश्राम प्रसाद :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री शिंकरे :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हेम बरुआ :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

श्री भावगत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री रा० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना से प्रकाशित होने वाले "सर्चलाइट", दिनांक 23 दिसम्बर, 1965 के प्रातःकालीन संस्करण में "पास्कितान स्मिलट्स ऐटम" शीर्षक वाले समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान वैज्ञानिक ऐसी स्थिति में हैं कि वे निकट भविष्य में अणुबम और प्रक्षेपणास्त्र बना सकें; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। इस समाचार से पता चलता है कि पास्कितान ने एक अमरीकी स्त्रोत से खोज कार्य के लिए एक ऐसा रिऐक्टर खरीदा है जिसकी तुलना सन् 1957 में भारतीय वज्ञानिकों द्वारा बनाये गए स्विमिंग पूल किस्म के रिऐक्टर "अप्सरा" से की जा सकती है।

(ख) परमाणु बिजलीघर, ईंधन पुनर्शोधक संयंत्र अथवा विसरण संयंत्र जैसे परमाणु शक्ति से सम्बन्ध रखने वाले किसी ऐसे प्रतिष्ठान, जिससे पाकिस्तान बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार तैयार कर सकें, के पाकिस्तान में मौजूद होने की जानकारी भारत सरकार को नहीं है।

(ग) क्योंकि पाकिस्तान आंशिक परमाणु परिक्षण प्रतिबन्ध समझौते का सदस्य है अतः यह आशा की जाती है कि वह परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिमय कार्यों के लिए ही करेगा।

विदेशों में भेजे गये संसदीय प्रतिनिधि मण्डल

448. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सावंत
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री प० ह० भील :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री हेमराज :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की गुट-निरपेक्षता की निति और चीन तथा पाकिस्तान के आक्रमणकारी इरादों का मुकाबला करने के सम्बन्ध में भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिये विभिन्न देशों में भेजे गये संसदीय प्रतिनिधी मण्डलों के प्रतिवेदनों का पूरा पूरा अध्ययन कर लिया गया है।

(ख) यदि हां, तो ये प्रतिनिधी मण्डल उक्त देशों में भारत के प्रति अनुकुल वातावरण पैदा करने में कहां तकसफल रहे हैं; और

(ग) क्या उनके प्रतिवेंदनों की प्रतियां अथवा उनके सारांश सभापटल पर रखे जा येंगे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, विभन्न देशों को भेजे गये सद् भावना शिष्टमंडलों ने सरकार को अपने जो विचार बताएं थे उनका मुल्याकंन किया गया है ।

सीमावर्ती क्षेत्रों में मिडियम वेव ट्रांसमीटर

449. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती:**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री शिंकरे :
श्री बड़े :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रा० बरुआ :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य सरकार ने पाकिस्तान तथा चीन के भारत-विरोधी प्रचार का प्रभावशाली ढंग से मुकाबला करने के लिये सीमावर्ती क्षेत्रों में मीडियम वेव ट्रांसमीटरों वाले नये केन्द्र स्थपित करने के लिये कार्यवाही की है;

(ख) क्या प्राथमिकता के आधार पर ये ट्रांसमीटर प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है;

(ग) क्या विद्यमान ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने का विचार है; और

(घ) आन्तरिक सेवाओं के लिये प्रसारण केन्द्र जाल में विस्तार करने की कहां तक व्यवस्था की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। प्राथमिकता के आधार पर क्रमशः सामान मंगाने की आज्ञा दी गई है ।

(ग) जी हां, जहां आवश्यकता हो।

(घ) योजना की सीमा के अंतर्गत और सीमावर्ती प्रसारण तथा विदेशों के लिए प्रसारण जैसे अधिक प्राथमिकता के कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए आंतरिक प्रसारण का भी विस्तार किया जाएगा`

Protection of Human Rights in Tibet

450. Shri Kishen Pattnayak :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Bagri :
Shri Madhu Limaye :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri P. C. Borooah :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S. N. Banerjee :
Dr. L. M. Singhvi :
Shri Linga Reddy :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :
Shri Shree Narayan Das :
Shrimati Maimoona Sultan :
Shri Hem Barua :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the attitude adopted by Government towards the proposal made in U.N.O. by seven countries on the question of protection of human rights in Tibet?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : The Government of India supported the 7 power resolution at the XX session of the U.N. General Assembly which called for restoration of the human rights and fundamental freedoms of the Tibetan people.

अरब राज्यों को भारतीय शिष्टमण्डल

451. श्री हेमराज :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 में कितने भारतीय शिष्टमण्डलों ने अरब राज्यों का दौरा किया; और

(ख) वे उन देशों में भारत-विरोधी प्रचार का किस सीमा तक खंडन कर सकें हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) उप राष्ट्रपति की कुवाइत, सऊदी अरब, जोर्डन, यूनान और तुर्की की यात्रा के अलावा, तीन शिष्टमंडल भी थे: पहला श्री नुरुद्दीन अहमद के नेतृत्व में मक्का को, दूसरा सद्भावना शिष्टमंडल श्री अली ज़हीर के नेतृत्व में कुवाइत, ईरान, लबनान, जोर्डन, इराक आदि देशों को और तीसरा सद्भावना शिष्टमंडल श्री सी० डी० पांडे, संसद सदस्य के नेतृत्व में मास्कों, अल्जीरिया और ट्युनीसिया आदि को।

(ख) ये शिष्टमंडल जिन देशों में गए वहां के नेताओं के साथ खुलकर विचारों का आदान-प्रदान हुआ, जिससे भारत की घरेलु और विदेश नीतियों दोनों को अच्छी सराहना की गई। इस तथ्य से कि इन शिष्टमण्डशों का आदर-सत्कार किया गया और संबद्ध अरब देशों में प्रचार माध्यम के द्वारा इनके बारे में पर्याप्त रुप से चर्चा की गई, यह आशा की जाती है कि भारत के दृश्टिकोण को प्रस्तुत करने और भारत के विरुद्ध किसी झूठ प्रचार का प्रतिकार करने में वे प्रभावकारी सिद्ध हुए।

Rev. Michael Scott

452. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Rev. Michael Scott is again being summoned from England;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that he got arms aid from China and Pakistan during the Indo-Pak. conflict and induldged in virulent propaganda against India; and

(d) if so, the action taken by Government against him?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) & (b). Rev. Michael Scott had gone to the United Kingdom for Medical Treatment on the 11th July and returned to India on 1st November, 1965.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Flag Day

453. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Flag Day was observed on the 7th December 1965, with greater zeal as compared to the last year; and

(b) if so, the amount collected as compared to that of the last year?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) Information regarding the total amount collected for the Flag Day, 1965, is not available at present. It will only be available in the first week of July, 1966 as the accounts of the Flag Day of each year are kept open from 1st July of that year to 30th June of the next year.

Problems of Ex-Servicemen

454. **Shrimati Renuka Barkataki :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Fourth Annual Meeting of Indian Soldiers, Seamen and Airmen was held on the 23rd December, 1965 in Delhi to consider the problems of ex-servicemen;

(b) if so, the subjects discussed therein; and

(c) the suggestions accepted by Government?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c). A statement giving the information desired is attached.

[पुस्तकालय में रखा गया देखीये संख्या एल० टी० 5506/66]

सामुदायिक रेडियो सेट

455. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री राजेश्वर पटेल :**
श्री रवीन्द्र वर्मा : **श्री रा० बरुआ :**

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियों सेट लगाने के कार्य को उच्च प्राथमिकता देने के लिये राज्य सरकारों को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो सीमावर्ती राज्यों में इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा और नेफ़ा के सीमावर्ती क्षेत्रों में 5911 पंचायती रेडियों लगा दिये गए हैं। आसाम, बिहार, राजस्थान, नागालैण्ड और पश्चिमी बंगाल से अभी सूचना आने वाली है।

हिन्द महासागर में सैनिक अड्डा

456. **श्री उमानव :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अमरीका तथा ब्रिटेन को हिंद महासागर में सैनिक अड्डा स्थापित करने के उनके प्रयत्न के विरुद्ध अपना विरोधपत्र नहीं भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) हिंद महासागर में सैनिक अड्डे की स्थापना के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : हिंद महासागर में सैनिक अड्डों की स्थापना के प्रति भारत सरकार का कड़ा विरोध इस सदन में तथा अन्य जगहों पर व्यक्त कर दिया गया है और वह सबकों पहले ही मालूम है।

(ग) और (घ) : यह प्रस्ताव अब भी योजना की स्थिति में मालूम होता है।

थुम्बा राकेट छोड़ने का केन्द्र

457. **श्री उमानाथ :**
श्री अ० कं० गोपालन् :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "थुम्बा ईक्वेटोरियल राकेट लांचिग स्टेशन" से प्रथम बार रूसी वैज्ञानिकों का एक दल वास्तविक प्रयोग करेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके किस विशेष काम में सहयोग प्राप्त किया जायेगा ;

(ग) इस संयुक्त प्रयोग का क्या उद्देश्य है;

(घ) क्या यह सहयोग अल्पकालीन है अथवा दीर्घकालीन ; और

(ङ) क्या थुम्बा परियोजना को रूसी विज्ञान अकादमी से किसी रूप में सहायता मिलेगी ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख), (ग), (घ) तथा (ङ) : सोवियत सोशलिस्ट गणराज्य संघ से थुम्बा विषवदीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र को मिलने वाली सहायता तथा संयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्यक्रम का विवरण उस ज्ञापन समझौता पत्र में दिया गया है जो परमाणु ऊर्जा विभाग और सोवियत सोशलिस्ट गणराज्य संघ की हाईड्रोमेट्रोलाजिकल सर्विस के मध्य 13 जनवरी, 1964 को हुआ। इस ज्ञापन पत्र की एक प्रति सदन के सभापटलपर 29 नवम्बर, 1965 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1470 के उत्तर में रखी गई थी। इसकी एक प्रति सदन के सभा पटल पर फिर रखी जाती है। संयुक्त सहयोग कार्यक्रम की समाप्ति के लिये कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 5507/66]**

आकाशवाणी के स्टाफ़ आर्टिस्ट

458. श्री उमानाथ : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के उन स्टाफ़ आर्टिस्टों की, जो संकट में हों, सहायता करने के लिये एक निधि स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है, और

(ग) यह मामला इस समय किस स्थिति में है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) से (ग) : जी, हां। उन सभी प्रसिद्ध गायकों वादकों, नर्तकों, और नाटककारों को, जिन्होंने आकाशवाणी तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के अन्य विभागों की सफलता में अच्छा योग दिया है, आर्थिक सहायता देने के लिये एक योजना बनाई गई है। सम्बन्धित मन्त्रालयों के परामर्श से इस योजना को पक्का किया जा रहा है। ज्योंही यह योजना अंतिम रुप से मंजर हो जाएगी, उसकी एक प्रति सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी।

सशस्त्र सेनाओं के विकलांग अधिकारी

459. श्री उमानाथ : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार के विभिन्न नियोजक मंत्रालयों से अनूरोध किया है कि सशस्त्र सेनाओं के विकलांग अधिकारियों के लिये सरकारी उपक्रमों में उपयुक्त पद नियत किये जाएं ;

(ख) यदि हां, तो वे पद क्या क्या हैं और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों की क्या प्रतिक्रिया है और उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ; परंतु उन्हें यू० पी० एस० सी० के विशेष चयन बोर्ड के सामने प्रस्तुत करने और उन्हें प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों की नियुक्ति में पहली प्राथमिकता देने का प्रश्न विचाराधीन हैं, कि जिन के लिए भर्ती आयोग द्वारा प्रतियोग्यतात्मक परीक्षा के परिणामों के फलस्वरुप नियुक्तियों के अतिरिक्त साधारणतः यू० पी० एस० सी० द्वारा की जाती है, अगर वह अन्यथा ऐसे स्थानों के लिए अर्ह हों। सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अधीन तीसरी और चौथी श्रेणी के स्थानों के लिए तीसरी प्राथमिकता के अन्दर नियोग्य सेविवर्ग को प्रथम प्राथमिकता देने का निर्णय किया है, जो कामदिलाऊ कार्यालयों द्वारा पुरा कीया जाता हैं, और जिनके लिए उनकी व्यवसायिक रूचि हो, और उनकी नियोग्यता को सामने रखते हुए वह उपयुक्त समझे जाएं।

(ख) तथा (ग) : यह प्रश्न इस प्रावस्था में नहीं उठते।

विकलांग सैनिक

460. **श्री उमानाथ : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक विशेषज्ञों का एक दल हाल के युद्ध में विकलांग हुए सैनिकों के लिये एसे व्यवसायों तथा शिलपों का पता लगा रहा है, जिनके लिये उन सैनिकों की विशेष रूचि अथवा तरजीह है;

(ख) क्या जांच पूरी कीं जा चुकी है;

(ग) यदि हां, तो उसकी क्या सिफारिशें हैं; और

(घ) इन सिफारिशों पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) कामचलाऊ कार्यालयों से संलग्न व्यवसायिक पथप्रदर्शन अधिकारी (न कि सैनिक विशेषज्ञ दल) सैनिक इस्पतालों का भ्रमण कर रहे हैं, जहां ऐसे सैनिक चिकित्सा अधीन हैं जिनको सेवा से मुक्त होना है, ताकि उनकी व्यवसायिक रूचि तथा उनकी निर्योग्यता को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष असैनिक व्यवसाय के लिये उनकी उपयुक्तता निर्धारित की जा सके।

(ख) काम प्रगतिशीलता से हो रहा है।

(ग) उन व्यक्तियों को सीधे असैनिक नियुक्तिएं प्राप्य करने के पग उठाए जाएंगे जिनकी व्यवसायिक पथप्रदर्शन अफसर सिफारिश करें कि वह ऐसी नियुक्ति के लिए सीधे ही उपयुक्त हैं। ऐसे व्यतियों के संबंध में, कि जिनके लिए किसी व्यवसाए विशेष में प्रशिक्षण दिए जाने के पश्चात् नियुक्ति की सिफारिश की गई आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए उपाय किये जाएंगे, और प्रशिक्षण सम्पूर्ण हो जाने पर काम दिलाने के ।

ई० एम० ई० कर्मचारियों की छंटनी

461. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
डा० राम मनोयर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 29 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 379 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई० एम० ई० संगठन के फालतू कर्मचारियों को इस बीच अन्यत्र उपयुक्त वैकल्पिक कामों पर लगा दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो 31-1-1966 के बाद उनके लिये क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या 1-11-1965 के बाद कोई अधिक सेवामुक्ति (डिस्चार्ज) नोटिस जारी किये गये हैं; और

(घ) क्या सेना की मोटरगाड़ियों को रद्द करने से सम्बन्धित नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार किया जा रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : 593 फालतू कार्मूकों के सिवाए दूसरों को समतुल्य अथवा अल्प कुशल/अर्धकुशल स्थानों में वैकल्पिक नियुक्तिएं दे दी गई हैं, रक्षा संगठन और उससे बाहर दोनों क्षेत्रों में जिन्हें अब तक समतुल्य अथवा अल्पकुशल/अर्धकुशल स्थानों में वैकल्पिक तौर पर नियुक्त नहीं किया गया, वह 30-4-66 तक काम करते रहेंगे, जिस अवधि में उन्हें वैकल्पिक समतुल्य अथवा निम्न पदों में देने के लिए प्रयास जारी रहेंगे।

(ग) जिन फालतू कर्मचारियों ने पेश किए जाने पर समतुल्य अथवा निम्न वैकल्पिक कुशल अर्धकुशल नियुक्तियों से इनकार कर दिया है उन्हें संगठन में सेवा के लिए फालतू होने के कारण नोटिस के अतिरिक्त सेवासमाप्ति के नोटिस भी दिए जा रहे हैं।

(घ) जी नहीं।

कच्छ न्यायाधिकरण

462. श्री मधु लिमये :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हुकम कन्द कछवाय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री काजरोलकर :
श्री बसुमतारी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ न्यायाधिकरण यथोचित रूप से गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कौन-कौन सदस्य है और इसके निर्देश पद क्या है।

(ग) इसके द्वारा अपना निर्णय कब तक दिये जाने की संभावना है ?

वदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ट्रिब्यूनल में एक अध्यक्ष और दो सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नामजद किए गए अध्यक्ष, स्वीडन के जज लैगरग्रेन है और भारत तथा पाकिस्तान द्वारा नामजद किए गए दो सदस्य क्रमशः युगोस्लाविया के डाक्टर एलिस बेबली और ईरान के नसल्ला एन्तज़ाम हैं। यह ट्रिब्यूनल भारत तथा पाकिस्तान के बीच हुए करार के द्वारा निर्मित हुआ है और वह इन देशों के अलग-अलग दावों तथा उसके सामने प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की रोशनी में सीमा का निश्चिय करेगा। ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्ष उससे बाध्य होंगे।

(ग) यह ऐसा मामला है जिसका निर्णय ट्रिब्यूनल करेगा।

युद्ध न करने का समझौता

463. श्री मधु लिमये :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूबखां ने भारत के साथ युद्ध न करने का समझौता करने की पेशकश की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने भी पाकिस्तान के साथ युद्ध न करने का समझौता करने के लिये भारत सरकार की पेशकश को दोहराया था; और

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के स्वर्गीय प्रधान मंत्री की पेशकशों में क्या अन्तर है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 13 दिसंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने भाषण देते हुए राष्ट्रपति अयूब ने कहा था ;

"अपनी ओर से, इस विश्व मंच पर खड़े होकर मैं यह प्रस्ताव करता हूं । भारत अपने पिछले वादों के अनुरुप कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय के अधिकार की अनुमति देने के लिये अपने करार का पालन करे, जैसा कि हम करेंगे । भारत बातचीत तथा मध्यस्थता के उन्ही शांतिपूर्ण तरीकों के ज़रिये भारत-पाकिस्तान के मतभेदों को भी हल करने के लिए सहमत हो, जैसा कि हम करेंगे, अथवा अगर वे कामयाब न हों तो वह पंच फैसले के लिए राजी हो; और फिर भारत और पाकिस्तान युद्ध नहीं करार पर हस्ताक्षर करे ।"

(ख) जी, हां ।

(ग) जबकि भारत के प्रस्ताव के साथ कोई पूर्व शर्त नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति अयूब का प्रस्ताव शर्त सहित है ।

एशियाई संगठन

464. **श्री मधु लिमये :** **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

श्री श्रीनारायण दास : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

डा० रानेन सेन : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने ओ० ए० यू० के नमूने पर एक एशियाई संगठन की स्थापना का प्रस्ताव किया था :

(ख) यदि हां, तो इसमें सम्मिलित होने के लिए किन देशों को आमंत्रित किया जायेगा; और

(ग) इस संगठन के क्या कार्य होंगे ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

U. N. Observers

465. **Shri Bhagwat Jha Azad :** **Shri Bagri :**

Shri M. L. Dwivedi : **Shri Vishram Prasad :**

Shri S. C. Samanta : **Shri Yashpal Singh :**

Shri Subodh Hansda : **Shri Madhu Limaye :**
Shrimati Savitri Nigam : **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the term of United Nations Military Observers watching the implementation of Indo-Pak. cease-fire has been extended beyond the 22nd December, 1965;

(b) if so, the date upto which it has been extended; and

(c) Government's reaction thereto?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The U.N. Secretary General made a proposal to continue the functioning of the United Nations India and Pakistan Observers Mission (UNIPOM), for a second period of three months as from 22nd December, 1965.

(c) The Government of India agreed to the proposal, without prejudice to the position on financing, already taken by them.

Hindustan Aeronautics Limited

466. **Shri Bhagwat Jha Azad :** **Shri Yashpal Singh :**
Shri M. L. Dwivedi : **Shri Karni Singhji :**
Shri S. C. Samanta : **Shri Kapur Singh :**
Shri Subodh Hansda : **Shri P. K. Deo :**
Shri P. C. Borooah : **Shri A. K. Gopalan :**
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether any attempts are being made in the Hindustan Aeronautics Limited to make engines for Jet Planes; and

(b) the present position in regard thereto?

Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) and (b). Hindustan Aeronautics Limited (Bangalore Division) is already manufacturing Jet Engines. The Jet Engines under manufacture at present are Orpheus 701 for Gnat Aircraft and Orpheus 703 for the HF-24 Aircraft. In addition HAL have undertaken the design and development of a Jet Engine for Kiran, the Basic Jet Trainer.

Use of Hindi in Indian Embassy in Nepal

467. **Shri Bhagwat Jha Azad :** **Shri Yashpal Singh :**
Shri M. L. Dwivedi : **Shri Shinkre :**
Shri S. C. Samanta : **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Subodh Hansda : **Shri Jagdev Singh Siddhanti :**

Shri P. C. Borooah : **Shri Bibhuti Mishra :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has objected to the official used of Hindi by the Indian Embassy in Nepal; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) & (b). The Embassy's proposal to use Hindi for official purposes has not been rejected but is under the consideration of the Government of India.

प्रतिरक्षा परियोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा

468. श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय को वर्ष 1962-63, 1963-64 और 1964-65 में विभिन्न परियोजनाओं के लिय कितनी विदेशी मुद्रा आवंटित की गई ;

(ख) वास्तव में कितनी रकम खर्च की गई।

(ग) पूरी रकम का इस्तेमाल न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस मंत्रालय को आवंटित राशि का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिये उसे गतिशील बनाने और आत्म निर्भरता सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) :

(करोड़ रुपये में)

		निर्धारण	व्यय
मुक्त विदेशी मुद्रा . . .	1962–63	49.76	49.76
"	1963–64	91–86	91.79
"	1964–65	66.48	65.11

(ग) देखा जाएगा कि मन्त्रालय के लिए जो राशि निर्धारित की गई थी वास्तव में व्यय कर दी गई है। निर्धारण वह सीमा है, जिस तक मन्त्रालय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग की जांच के लिए अपने मामले भेज सकता है, और सरकार को वास्तविक भेजे गए आर्डरों पर अन्तिम विचार करना होता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न प्राप्य ऋणों और मुक्त विदेशी मुद्रा का सर्वोत्तम उपयोग हो रहा है। इसीलिए दर्शाई सीमा और वास्तविक कमिटमेण्ट में प्राय: कुछ थोड़ा सा अन्तर रहता है ।

कलपक्कम में परमाणु बिजलीघर

469. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
भानु प्रकाश सिंह
श्री बागड़ी :
डॉ० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री रा० बरुआ :
श्री मुथिया :
श्री से० वें० रामस्वामी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलपक्कम में परमाणु बिजली घर के लिये सर्वाधिक उपयुक्त स्थान निश्चित करने के लिए जांच-कार्य, जिसमें जल-सर्वेक्षण तथा बर्मे से छेद करने का काम भी शामिल है, पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां तो यह निर्माण कार्य कब आरम्भ हो जायेगा और इस कार्य में कौन सा देश सहयोग दे रहा है और किस सीमा तक ;

(ग) इस बिजली घर को चलाने तथा इसकी निगरानी करने वाले अपेक्षित तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की क्या व्यवस्था की गई है; और

(घ) क्या कुछ कर्मचारियों को प्रशिक्षण के हेतु विदेश भी भेजा गया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं। जांच-कार्य में काफी प्रगति हो चुकी है तथा वह अभी जारी है।

(ख) परमाणु बिजलीघर को बनाने में व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा की व्यवस्था पूरी करने का कार्य अधूरा रहते हुए भी प्रारम्भिक निर्माण कार्य बहुत शीघ्र ही आरम्भ कर दिए जायेंगे ।

जैसा कि 20 सितम्बर, 1965 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2474 के उत्तर में बताया गया था, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा एटामिक एनर्जी आफ कैनाडा के बीच तकनीकी-सहयोग के लिये हुए समझौते के अन्तर्गत प्राप्त मूल डिज़ायन की सहायता से स्टेशन का निर्माण कार्य भारतीय इंजीनियरों द्वारा किया जायेगा।

(ग) तथा (घ) : अब परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे में तथा बाद में तारापुर परमाणु बिजलीघर और राजस्थान परमाणु बिजलीघर में प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी मद्रास परमाणु बिजलीघर को चलाने तथा उसका प्रबन्ध करने के लिए उपलब्ध हो सकेंगे । उनमें से कुछ को यूरोप, कनाडा तथा अमरीका में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

भारत पाकिस्तान संघर्ष में शहीद हुए जवान

470. श्री गुलशन :
श्री रा० बरुआ :
श्री बादशाह गुप्ता :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में राज्यवार कितने सिपाही शहीद अथवा घायल हुए ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : हाल के पाकिस्तान से संघर्ष में मारे गए तथा घायल हुए सेवाओं के सेविवर्ग की संख्या का राज्यवार ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5513/66]**

कमीशन प्राप्त पदाधिकारी का पद

471. **श्री गुलशन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एक कनिष्ट कमीशन प्राप्त पदाधिकारी को अवैतनिक कमीशन प्राप्त पदाधिकारी के पद पर पदोन्नत किये जाने से पहले उसे सब मेजर के रूप में कितने वर्ष कार्य करना पड़ता है?

रक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : लेफ्टिनेंट अथवा कैप्टेन के तौर मानास्पद कमीशन देने के लिए कोई कम से कम सेवावधि नियत की गई। मानस्पद कमीशनों के लिए उम्मीदवारों का कम से कम स्थायी सूबेदार अथवा रिसालदार होना आवश्यक है, और सेना में की गई उनकी सेवा भी विशेषतौर पर विशिष्ट होनी चाहिए। विभिन्न गुणांकों का जैसे कि की गई सेवा का स्वरुप और अवधि, सेवा विमुक्ति के बीच शेष सेवावधि, अच्छ आचरण और शौर्य के लिए प्राप्त हुए पुरस्कार इत्यादि का ऐसी कमीशनें प्रदान करने के लिए विचार किया जाता है।

Defence Training Institutes

472. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri Ramchandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the steps taken for the development of various Defence Training Institutes for getting increased number of trained personnel in defence works in view of the danger on borders;

(b) the percentage of additional persons likely to be trained as a result thereof;

(c) whether apart from regular training institutes, training work has also been started in camps and buildings requisitioned for the purpose, and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (d). The capacity of Defence Training Institutions was enhanced to the extent required and new Defence training institutions started to meet the increased requirements of the Services. Some of the training establishments were located in temporary structures and similar accommodations. It is not in public interest to disclose the absolute or percentage increase of the persons trained or likely to be trained as a result thereof.

Grant of leave to Jawans during cease-fire period

473. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state the details of the arrangements made by Government to grant leave during the cease-fire period to Jawans and

officers posted in the border areas to enable them to see their kith and kin or to attend to their other personal affairs?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : During the cease-fire period, Service personnel of all the three Services posted in the border areas were given leave as under :—

Army

(i) Upto 30 days annual leave at home.

(ii) Upto the full 60 days annual leave on extreme compassionate grounds.

All restrictions on leave have been lifted with effect from 13th January 1966.

Air Force

Upto 30 days' leave at home.

Navy

Upto the extent to which it could be granted at the discretion of the Officer Commanding without detriment to the operational necessities. All restrictions on grant of leave have since been removed.

भारतीय वायु सेना

474. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री नारायण रेड्डी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागडी :
श्री राम हरख यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच भारतीय वायुसेना को स्थल सेना की तरह देश की प्रतिरक्षा के पूर्ण अंग के रूप ऊंचा उठाने का निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 15 अगस्त, 1947 से सेना, नौसेना और वायु सेना देश की रक्षा के सम्पूर्ण अंगों के तौर पर कार्य कर रही ह ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Poison in food of N.C.C. Cadets

475. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to starred Question No. 664 on the 6th December, 1965 and state :

(a) whether the Court proceedings against the person who attempted to poison the food prepared for N.C.C. Cadets at Patna has been completed;

(b) if so, its findings; and

(c) whether it has been established that he was a spy of any foreign country?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). The matter is still under investigation by the Police.

Gold for National Defence Fund

476. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Rameshwaranand : Shri Bade : Shri Yudhvir Singh :**

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of States which have offered to weigh her in gold for subscription to the National Defence Fund;

(b) the number of States which have already done so; and

(c) the quantity of gold already received or likely to be received by Government in this manner?

Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No such offer has been received from any State.

(b) & (c). Do not arise.

संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से जैट विमानों का निर्माण

477. **श्री बागड़ी : श्री स० चं० सामन्त :**
श्री यशपाल सिंह : श्री सुबोध हंसदा :
श्री बाल्मीकी : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ : श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री म० ला० द्विवेदी : श्री धुलेश्वर मीना :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से जेट विमानों के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या कुछ पड़ौसी देशों के आक्रमक रवैये को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना के कार्य में शीघ्रता की जा रही है; और

(ग) जेट विमानों का निर्माण कब आरम्भ होगा?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग) तक। तकनीकी अफसरों का एक दल० एच० ए० एल० द्वारा अक्तूबर 1965 में यू० ए० आर० भेजा गया था। दल वापस लौट आया है और उसने एक विस्तृत रिपोर्ट दी है। यह निरीक्षण अधीन है।

नागालैंड में शक्तिशाली ट्रांसमीटर

478. **श्री बागड़ी : श्री उटिया :**
श्री किशन पटनायक : श्री राम सेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया : श्री यशपाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 29 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1677 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड राज्य में एक शक्तिशाली रेडियों ट्रांसमीटर लगाने के लिये कोई उपयुक्त स्थान चुन लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो वह स्थान कहां है और ट्रान्समीटर कब लगाया जायेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीविजन सेट खरीदने के लिये आर्थिक सहायता

479. श्री बागड़ी : श्री बिश्राम प्रसाद :
श्री किशन पटनायक : श्री राम सेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया : श्री यशपाल सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 8 मार्च 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 766 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक केन्द्रों के लिये टेलीविजन सेट खरीदने के लिये स्वयं सेवी संस्थाओं को राज सहायता देने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : जी, नहीं। प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

संयुक्त अरब गणराज्य का फिल्म समारोह

480. श्री बागड़ी : श्री बिश्राम प्रसाद :
श्री किशन पटनायक श्री राम सेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया : श्री यशपाल सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गत दिसम्बर और जनवरी में नई दिल्ली में संयुक्त अरब गणराज्य फ़िल्म समारोह का आयोजन किया था,

(ख) यदि हां, तो समारोह में कितनी फ़िल्में दिखाई गई,

(ग) इस पर सरकार ने कुल कितना धन व्यय किया, और

(घ) इस समारोह में टिकटों की बिक्री से कितना धन प्राप्त हुआ ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 17 दिसम्बर, 1965 से 23 दिसम्बर, 1965 तक नई दिल्ली में संयुक्त अरब गणराज्य की फ़िल्मों का एक समारोह हुआ था।

(ख) छः फ़ीचर फ़िल्में और पांच डाकुमेंटरी।

(ग) 19,609.72 रुपये।

(घ) 17,664.11 रुपये।

इन्डोनेशियाई चलमुद्रा का अवमूल्यन

481. क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्डोनेशियाई चलमुद्रा के अवमूल्यन का इन्डोनेशिया स्थित भारतीय मूलक लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सरकार को इस बात का पता नहीं है कि हिंदेशिया में रहने वाले भारतमूलक लोगों पर हिंदेशियाई मुद्रा के अवमूल्यन का जो असर पड़ा, वह उसके कारण सामान्य लोगों पर पड़े असर से किसी क़दर भिन्न है।

नागाओं सम्बन्धी विषय का गृह-कार्य मंत्रालय को हस्तान्तरण

482. **श्रीमती सावित्री निगम :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री मधु लिमये : **श्री बसुमतारी :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागाओं सम्बन्धी विषय का वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से गृह-कार्य मंत्रालय को बदलने के बारे में अन्तिम निणय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब से लागू किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : जैसा कि भूत-पूर्व प्रधान मंत्री ने 29 नवम्बर, 1965 को लोकसभा में श्री लखमू भवानी के प्रश्न संख्या 1404 के उत्तर में बताया कि चूंकि सरकार ने सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार कर लिया है कि नागालैंड भारत का अभिन्न अंग है, नागालैंड से संबंधित मामले सामान्यत: वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं और उनके संबंध में कार्यवाही गृह-कार्य मंत्रालय को करनी चाहिये। तथापि वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

उदकमण्डलम में दूरबीन

483. **श्री राम हरख यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदकमण्डलम में एक शक्तिशाली दूरबीन लगाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित बेलनीय दूरबीन की क्षमता क्या होगी ;

(ग) इसके द्वारा कब काम आरम्भ किये जाने की संभावना है ; और

(घ) भारत द्वारा लम्बी अवधि से आयातित कीमती उपकरणों पर निर्भरता को मिटाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। उदकमण्डलम में एक रेडियो दूरबीन लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) रेडियो दूरबीन में 1,700 फुट लम्बा तथा 100 फुट चौड़ा एक परबलयिक सिलिंडर होगा। इसकी संग्रहण शक्ति 500 फुट व्यास की एक परवलयिक तश्तरी के बराबर होगी। इस दूरबीन का उपयोग हमारे ब्रम्हांड में दूरी परस्थित रेडिय-आकाशगंगाओं का अध्ययन चन्द्रमा-प्रच्छादन की विधि से करने के लिए किया जायेगा।

(ग) लगभग सन् 1967 के अंत तक।

(घ) रेडियो दूरबीन का डिज़ायन भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार किया है तथा इसका निर्माण पूरी तरह भारत में किया जायेगा। इसके 95% हिस्से भारत में बने हुए होंगे।

शक्तिशाली ट्रांसमीटर

484. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 8 नवम्बर, 1965 के अतांराकित प्रश्न संख्या 252 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में शक्तिशाली ट्रांस-मीटर लगाने के बारे में इस बीच क्या अग्रेतर प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) शक्तिशाली ट्रांसमीटरों को हासिल करने और लगाने में अब तक जो प्रगति हुई है, वह इस प्रकार है :—

1. शक्तिशाली मीडियम वेव ट्रांसमीटर, कलकत्ता

ट्रांसमीटर लगाने के लिये उचित स्थान प्राप्त कर लिया गया है और रूसी विशेषज्ञों की सहायता से भूमि की जांच की जा चुकी है। बिजली और टेलीफोन आदि लगाने की व्यवस्था पूरी की जा रही है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को कह दिया गया है कि जब तक मुख्य ट्रांसमीटर-भवन के डिजाइन व नक्शे, जो रूस से जुलाई-अगस्त, 1966 में आने वाले हैं, नहीं आ जाते, तब तक बाकी निर्माण काम शुरू कर दें।

2. शक्तिशाली मीडियम वेव ट्रांसमीटर, राजकोट

सम्भरण तथा निकासी महानिदेशक ने यूगोस्लाविया की एक फर्म से 17 नवम्बर, 1965 को एक करार किया है, जिसके अनुसार 1968 के पूर्व भाग में ट्रांसमीटर आएगा। ट्रांसमीटर को लगाने के लिये सौराष्ट्र में स्थान चुन लिया गया है। रक्षा मन्त्रालय तथा अन्य अधिकारियों से इस स्थान पर स्वीकृति ली जा रही है।

3. शक्तिशाली शार्ट-वेव ट्रांसमीटर, दिल्ली

कुछ ही महीनों में ट्रांसमीटर प्राप्त होने की आशा है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से भवन के नक्शे तैयार करने को कहा गया है।

4. शक्तिशाली शार्ट-वेव ट्रांसमीटर

सम्भरण तथा निकासी महानिदेशालय ने, 250 किलोवाट के दो शार्ट-वेव ट्रांसमीटरों के लिये बाकायदा आर्डर दे दिया है। आशा है 1966 के अन्त तक यन्त्र आदि निरीक्षण के लिए तैयार हो जायेंगे। अलीगढ के निकट इन ट्रांसमीटरों को लगाने के लिये स्थान चुन लिया गया है। रेडियो और केबुल बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद स्थान का अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

Gallantry Awards

485. Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Badshah Gupta :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the particulars of gallantry awards given to the army personnel during the recent Indo-Pak. conflict and the total number thereof;

(b) the number out of them awarded to soldiers only; and

(c) the number of awards given to the army personnel from Jammu and Kashmir, Punjab and Rajasthan separately?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a)

Param Vir Chakra	2
Maha Vir Chakra	26
Vir Chakra	55
TOTAL	83

(b) 27.

(c)

Punjab	43
Jammu & Kashmir	1
Rajasthan	1

पाकिस्तान को अमरीकी सहायता

486. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री मधु लिमये :**
डा० रानेन सेन : **श्री किशन पटनायक :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीका स्थित भारतीय राजदूत से अथवा किसी अन्य सूत्र से इस बारे में अधिकृत सूचना मिली है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां की हाल की अमरीकी यात्रा के बाद, विशेषकर काश्मीर प्रश्न पर पाकिस्तान को अमरीकी समर्थन के सम्बन्ध में पाकिस्तान को अमरीका से सहायता मिलने की क्या संभावनाएं उत्पन्न हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) प्रेसिडेंट अयूब की संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा के संबंध में हमें अपने वाशिंगटन-स्थित राजदूत से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) अपने प्रतिनिधियों द्वारा भेजी गई गोपनीय रिपोर्टों को जनसामान्य को नहीं बताया जाता और न ऐसा करना जनहित ही में है। इसलिए सरकार इन रिपोर्टों का विवरण देने में असमर्थ है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार

487. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती प्रचार सम्बन्धी उच्चाधिकार प्राप्त केन्द्रीय समिति की सिफारिशों और प्रस्तावों पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम हुआ है; और

(ग) अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क), (ख) और (ग) : एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये एल० टी० संख्या 5508/66]**

शान्ति दल स्वयं सेवक

488. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी शान्ति दल के स्वयं सेवकों की तरह विभिन्न देशों को भेजे जाने के लिये विभिन्न श्रेणियों के शान्ति दल स्वयं सेवकों का संगठन करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या इस दल में शामिल होने के लिये कोई अपील जारी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसका कितना स्वागत किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) शांति दल स्वयंसेवकों का संगठन बनाने अथवा विभिन्न श्रेणियों के शांति दल स्वयं सेवकों को विभिन्न देशों में भेजने की कोई योजना नहीं है। किंतु, संयुक्त राज्य अमरीकी सरकार से निमंत्रण मिला था कि हम 5 से 10 स्वयंसेवकों को 9 महीने से एक वर्ष के लिए 'अमेरिकन कम्यूनिटी ऐक्शन प्रोग्राम' के अंतर्गत कार्य करने के लिए भेजकर इसमें हिस्सा लें। इसका खर्च अमरीका सरकार अपने अमरीकी सहायता कार्यक्रम के अधीन उठाएगा।

(ख) यह कार्यक्रम भारत में अमरीकी शांति दल स्वयं सेवकों की तरह से शांति दल स्वयं सेवकों का आदान-प्रदान करने की एक प्रायोगिक प्रायोजना है। भारत सरकार ने प्रतिवर्ती शांति दल के विचार पर, लगभग एक प्रायोगिक प्रायोजना के ही रूप में, तदर्थ आधार पर इसमें हिस्सा लेने का निश्चय किया है।

(ग) जैसा कि ऊपर (क) में बताया गया है।

(घ) भारत सरकार ने 5 स्वयं सेवकों का एक दल चुना था जो पिछले वर्ष जून में संयुक्त राज्य अमरीका के लिए रवाना हो गया है।

भारत–पाकिस्तान संघर्ष में अपंग हुए भारतीय सैनिक

489. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले भारत-पाकिस्तान संघर्ष में घायल हुए प्रतिरक्षा कर्मचारियों में से कितने व्यक्तियों ने अपना कार्य संभाल लिया है;

(ख) उन में से कितने व्यक्ति स्थायीरूप से अपंग हो गये हैं;

(ग) कितने व्यक्ति जख्मों के कारण मर गये हैं; और

(घ) उनमें से कितने व्यक्तियों की अभी चिकित्सा की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 5,585 ने अब तक अपना काम संभाल लिया है, और 336 जो बीमारी की छुट्टी पर हैं, अपनी छुट्टी की समाप्ति पर अपने काम पर लौट आएंगे।

(ख), (ग) तथा (घ) : अपने घावों के कारण 477 मर गए हैं, 2,046 अभी चिकित्साधीन हैं, जिन में से लगभग 462 शायद स्थायी निर्योग्यता के कारण सेवा से विमुक्त कर दिए जाएंगे।

पाकिस्तान द्वारा सिख महिलाओं का अपहरण

490. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दे० द० पुरी :
श्री राम हरख यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा जिन सिख महिलाओं का अपहरण किया गया था क्या उनके बारे में जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो हमारी ओर से यदि कोई भूल अथवा लापरवाही हुई है तो उसके लिये किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है; और

(ग) क्या उन्हें वापस लाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) तक : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रतिरक्षा मंत्री ने 17 नवम्बर 1965 को हुई आधे घंटे की चर्चा के दौरान तथा 6 दिसम्बर 1965 को उत्तर दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 656 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह वचन दिया था कि सिख लड़कियों तथा स्त्रियों को पंजाब के फ़ाज़िलका क्षेत्र से पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा व्यपहरण किये जाने तथा इस आरोप के सम्बन्ध में कि भारतीय सैना ने कोई कार्यवाही न करने के आदेश दिये थे तथ्यों का पता लगाने के लिये जांच कराई जावेगी।

2. इस मामले की जांच सैनिक अधिकारियों द्वारा की गई थी। जांच अदालत की अध्यक्षता एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारी द्वारा की गई थी तथा फ़ीरोजपुर के अतिरिक्त ज़िला-धीश उस के सदस्य थे। जांच अदालत ने 19 गवाहों को जिनमें एक सैनिक अधिकारी, फ़ाज़िल्का के उप-विभाग अधिकारी, फ़ाज़िल्का नगर पालिका के अध्यक्ष तथा झंगरे और पक्का ग्रामों के सरपंच शामिल थे, भुगतया। अदालत के निष्कर्ष यह हैं :—

(1) पाकिस्तानी सैना ने 6 सितम्बर की सायं को सीमावर्ती ग्रामों पर जिनमें झंगेर, बेरिवाला तथा पक्का शामिल हैं अचानक हमला किया।

(2) ग्रामों के सीमा से निकट होने के कारण निवासियों को बाहर निकल कर आने का समय नहीं मिल सका।

(3) ग्राम झंगेर को जो क़रीब करीब सीमा पर ही है सब से अधिक हानि हुई। 141 व्यक्तियों में से 72 बाहर नहीं आ सके।

(4) पक्का में जो एक मील और पीछे की ओर है, 1573 की आबादी है और वहां से केवल 38 बाहर नहीं आ सके।

(5) इन दो ग्रामों में जो व्यक्ति रह गये थे उनमें स्त्री और पुरुष दोनों ही थे और वे सब विभिन्न आयु के हैं।

(6) पीछे रह गये लोगों के बारे में किसी ने अक्टूबर 1965 के प्रथम सप्ताह तक नहीं दी जब कि स्थानीय असैनिक अधिकारियों ने जीवन तथा सम्पत्ति की हानि के सम्बन्ध में जांच शुरू की थी।

(7) लड़कियों तथा स्त्रियों के व्यपहरण जैसी कोई भी घटना 6/7 सितम्बर 1965 को अथवा उसके पश्चात् नहीं हुई है।

(8) स्थानीय सैनिक कमाण्डर द्वारा कोई आदेश आरोपित व्यपहरण की हुई स्त्रियों को वापस न लाने के लिये नहीं दिया गया था।

(9) फ़ाज़िल्का क्षेत्र में सैनिक अधिकारी नागरिकों के प्रति बहुत ही सहायक तथा सहयोगी थे।

3. अदालत के निष्कर्षों से स्पष्ट है कि कोई साक्ष्य पाकिस्तानी सैना द्वारा लड़कियों तथा स्त्रियों के व्यपहरण किये जाने के पक्ष में नहीं है और न यह सत्य है कि स्थानीय सैनिक कमाण्डर ने आरोपित व्यपहरण की हुई स्त्रियों को वापस न लाने के लिये आदेश दिये थे। वास्तविकता यह है कि फ़ाज़िल्का तहसील के झंगेर, बेरीवाला तथा पक्का ग्रामों पर पाकिस्तानी सैना ने 6 सितम्बर की शाम को अचानक हमला कर दिया था जिसके बाद कुछ ग्रामीण लापता थे।

4. पंजाब सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार झंगेर और पक्का ग्रामों में 110 लोग लापता थे। अभी तक मिली हुई सूचना के आधार पर वैदेशीय कार्य मंत्रालय ने जो इस समस्या पर कार्य कर रहा है फ़ाज़िल्का क्षेत्र के 116 व्यक्ति (53 पुरुष; 58 स्त्रियां और 45 बच्चे) के प्रत्यावर्तन की व्यवस्था की है। वस्तुतः यह अन्तर झंगेर और पक्का को छोड़ कर फ़ाज़िल्का क्षेत्र के ग्रामों से लापता व्यक्तियों के कारण है।

शस्त्रों में आत्म-निर्भरता

491. **श्री वारियर :** **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री वासुदेवन नायर : **श्री मधु लिमये :**
श्री प्रभात कार : **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश को शस्त्रास्त्रों के उत्पादन के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थॉमस) : हथियारों और गोली बारूद के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किए गए मुख्य उपाय हैं :—

(1) 4 नए आयुध कारखानों की प्रायोजना बनाई गई है, जिनमें से एक में उत्पादन कार्य आरंभ हो चुका है, और दूसरे के कुछ ही मासों में उत्पादन आरंभ कर देने की प्रत्याशा है ;

(2) वर्तमान आयुध कारखानों में दो शिफ्टों में तथा देर तक काम करके उत्पादन अधिकाधिक बढ़ा कर ; वर्तमान उत्पादन रेखाओं का यथा आवश्यकता और यथासंभव आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है और उन्हें बढ़ाया भी जा रहा है ;

(3) हथियारों और गोली बारूद की नयी मदों का उत्पादन स्थापित करके, जिनका अब तक आयात किया जाता था ;

(4) जंगी सामान के असैनिक क्षेत्र में उत्पादन के लिए प्राप्य क्षमता का प्रयोग; और

(5) रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कारखानों में असैनिक खपत के सामान का उत्पादन स्थगित करके/घटाकर ।

अमरीका के साथ पाकिस्तान का शस्त्र करार

492. **श्री काजरोलकर :**
श्री दे० द० पुरी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काहिरा के साप्ताहिक 'रोज अल यूसफ' के अनुसार पाकिस्तान ने अमरीका के साथ शस्त्र करार किया है ;

(ख) क्या यह समझौता सेंट्रल ट्रीटी आरगनाइज़ेशन (केन्द्रीय संधि संगठन) के स्थान पर इस्लामिक प्रतिरक्षा मैत्री गुट की दिशा में एक नया कदम है ; और

(ग) यदि हां, तो अन्य कौन से देश इसका अनुसरण करेंगे ?

वैदशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को इस प्रकार के किसी शस्त्र करार का पता नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

1000 किलोवाट के ट्रांसमिटर

493. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री 29 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 516 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 1,000 किलोवाट के ट्रांसमीटर कब लगाये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : मास्को के 'एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कारपोरेशन' प्रोमाशेक्सपोर्ट, से जो करार हुआ है, उसके अनुसार 1967 की दूसरी छपाही में सामान प्राप्त होने की सम्भावना है । इसके बाद ट्रांसमीटर लगाने में 6 से 8 महीने तक और लगेंगे ।

तारापुर अणुशक्ति परियोजना

494. **श्री मधु लिमये :**

श्री दे० द० पुरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) तारापुर अणुशक्ति परियोजना के निर्माण-कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस परमाणु बिजली घर में उद्योगों के प्रयोग में लायी जाने वाली बिजली का उत्पादन कब आरम्भ हो जायेगा ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) : तारापुर परमाण बिजलीघर बनाने का काम प्रोग्राम के मुताबिक चल रहा है, तथा निर्माण-कार्य का अधिकांश भाग दिसम्बर, 1967 तक पूरा कर दिया जायेगा। आशा है कि अक्तूबर, 1968 तक बिजलीघर 380,000 किलोवाट की अपनी पूरी उत्पादन क्षमता प्राप्त कर लेगा।

Chinese Economic and Trade Relations with other countries

495. **Shri Kishen Pattnayak :**

Shri Madhu Limaye :

Shri Bagri :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that China is strengthening her economic and trade relations with the industrialised countries of Western Europe and Japan;

(b) whether Government are aware that China is trying to promote her trade gradually with Asian, African and Latin American countries; and

(c) if so, its effect on the Indian trade and political relations with those countries?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) & (b). Yes, Sir.

(c) The increase in China's trade and economic relations with the countries mentioned in (a) and (b) above, has not been such as to affect India's trade or political relations with those countries.

विस्थापित व्यक्तियों के लिए नकदी में अनुदान

496. **श्री कर्णी सिंहजी :**

श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब, राजस्थान और जम्मू तथा काश्मीर में विस्थापित लोगों के लिये कोई नकदी में अनुदान की समान दर निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिये जाने वाली सहायता के अन्तर्गत निर्धारित नकदी में अनुदान की समान दरों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1 सदस्य के परिवार को	–	30 रुपये प्रति मास।
2 सदस्यों के परिवार को	–	40 ,, ,, ,,
3 सदस्यों के परिवार को	–	50 ,, ,, ,,
4 सदस्यों के परिवार को	–	57.50 ,, ,,
5 सदस्यों के परिवार को	–	65 ,, ,, ,,
6 सदस्यों के परिवार को	–	70 ,, ,, ,,
6 से अधिक वाले परिवार को	–	75 ,, ,, ,,

(ग) जनवरी 1966 के तीसरे सप्ताह तक 51,42,022 रुपये का व्यय हो चुका है।

काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा पर संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक

497. श्री कर्णी सिंहजी : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री हेम बरुआ : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी आक्रमण को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर युद्ध-विराम रेखा के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों को वहां रखने के सम्बन्ध में भुगतान बन्द करने का कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख): भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को सूचित कर दिया है कि जम्मू और कश्मीर में युद्ध-विराम रेखा पर जो अतिरिक्त प्रेक्षक भेजे गए हैं, उनके खर्च में भारत से अंशदान की आशा नहीं की जा सकती क्योंकि भारत आक्रमण का शिकार हुआ है। स मामले में भारत सरकार ने अपनी स्थिति सुरक्षित रखी है।

भारत सरकार जम्मू और कश्मीर में काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के उन प्रेक्षकों के लिए धन देती रहेगी जो वहां 5 अगस्त 1965 से पहिले काम कर रहे थे क्योंकि वे वहां पहिले से ही मौजूद थे।

छावनी बोर्ड अधिनियम, 1924

498. श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बार बार ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन में छावनी बोर्ड अधिनियम 1924 के उपबन्धों में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने छावनी बोर्डों के वर्तमान गठन के अनुसार इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों में परिवर्तन करने की आवश्यकता की छानबीन की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) छावनी अधिनियम 1924 के कई उपबन्धों में संशोधन करने संबंधी कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) तथा (ग) : वर्तमान के दौरान आपात स्थिति के दौरान छावनी अधिनियम में भारी संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करना स्थगित कर दिया गया है

छावनी निधि कर्मचारी नियम

499. श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छावनी निधि कर्मचारी नियमों को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि पहले दिये गये आश्वासन के विपरित अखिल भारतीय छावनी बोर्ड कर्मचारी संघ (रजिस्टर्ड) को अवसर दिये बिना ही इन नियमों को अन्तिम रूप दिया गया ;

(ग) क्या नियमों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायगी ;

(घ) क्या सरकार ने नियमों में भर्ती, पदोन्नति और स्थानान्तरण सम्बन्धी मामलों के लिये उपयुक्त उपबन्ध करने के बारे में राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के सभी निदेशों का पालन किया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) छावनी निधि कर्मचारी नियम 1937 में बनाए गए थे । इनके कुछ प्रस्तावित संशोधन 20-11-65 को रक्षा राजपत्र अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 378 दिनांक 16-11-65 को प्रकाशित किए गए थे ।

(ख) जी नहीं । नियमों के प्रारूप 31-10-64 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे, और आपत्तिएं और सुझाव आमन्त्रित किए गए थे । अखिल भारतीय छावनी बोर्ड कर्मचारी संघ समेत विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं से आपत्तिएं और सुझाव प्राप्त हुए थे । नियमों को अन्तिमरूप देने से पहले उन पर उचित विचार किया गया था ।

(ग) से (ङ) तक : छावनी निधि सेवक (संशोधन) नियमों 1965 की एक प्रति संलग्न है । यह ठीक है, कि भर्ती, पदोन्नति और तबादले संबंधी राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिबुनल 1958 के निर्णय की सभी आवश्यक उपबंध इन संशोधन नियमों में शामिल नहीं किए गए । यह इसलिए कि अब तक ऐसा अनुभव किया जाता था कि ट्रिबुनल के निदेश कार्यान्वित उतने तक नहीं किए जा सकते जब तक की छावनी अधिनियम 1924 को संशोधित न किया जाए । अब ऐसा विचार किया जाता है कि वर्तमान छावनी अधिनियम की परिसीमा में भी भर्ती पदोन्नति और तबादले के संबंध में ट्रिबुनल के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाना संभव होना चाहिए ; और इसमें कार्य पहले से शुरू कर दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 5509/66]**

भारतीय वायुसेना अधिकारी के लिये मरणोपरान्त पुरस्कार

500. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना के उस अधिकारी को जिसने गत सितम्बर में अपना विमान टकरा कर पाकिस्तान के रेडार सिग्नल संस्थापन को नष्ट कर दिया था, मरणोपरान्त पुरस्कार देने का प्रश्न बड़ी देर से सरकार के विचाधिरान है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस की वर्तमान स्थिति क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) तक : अन्य सिफारिशों के साथ सक्वा० ली० जसबीर सिंह को पुरस्कार देने संबंधी वायु सेना मुख्यालयों से एक सिफारिश प्राप्त हुई थी । सक्वा० ली० जसबीर सिंह से संबन्धित उल्लेख में बताया गया था कि गुजरांवाला हवाई अड्डे के निकट रडार स्टेशन पर अपने अंतिम आक्रमण में, जबकि उसे अपने लक्ष्य के बहुत निकट नीचे जाना

पड़ा था, उसके विमान पर स्थल से गोलियां चलाई गई थीं, और उसे लक्ष्य के निकट उध्वस्त होते देखा गया था। उल्लेख पर विचार करने के पश्चात् सक्वा० ली० जसबीर सिंह के लिए वीर चक्र पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई थी। राष्ट्रपति ने सिफारिश को स्वीकार कर ली थी और पुरस्कार 1 जनवरी 1966 को समाचारपत्रों में प्रकाशित कर दिया गया था।

पोलैण्ड के फिल्म विशेषज्ञ

501. **श्री सुबोध हंसदा :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलैण्ड के फिल्म विशेषज्ञ को भारत आने का निमंत्रण दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो वह कब भारत आया; और

(ग) इस विशेषज्ञ को निमंत्रित करने का क्या प्रयोजन था ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) 27 दिसम्बर, 1965 को।

(ग) पोलैण्ड के विशेषज्ञ को भारत-पोलैण्ड सांस्कृतिक विनिमय समझौते के अन्तर्गत, भारतीय फ़िल्म संस्थान देने के लिए आमंत्रित किया गया है।

N.D.F. Collection by Nari Raksha Samiti

502. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Shri Yashpal Singh :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government have received a complaint regarding the unauthorised collection of funds for National Defence Fund on behalf of the Nari Raksha Samiti, New Delhi;

(b) whether Government have conducted any inquiry into it; and

(c) if so, the details thereof?

Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes.

(b) & (c) An enquiry was conducted in the matter and the conclusion reached was that there was no substance in the complaint.

अन्तरिक्ष किरण सम्बन्धी प्रयोग

505. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अणुशक्ति आयोग ने अन्तरिक्ष किरण सम्बन्धी प्रयोग करने के लिये भारत में राकेट बनाने की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो ये कब बनाये जायेंगे और किस संस्थान में ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) तथा (ख): जैसा कि तारांकित प्रश्न संख्या 849 के उत्तर में सदन को 12 अप्रैल, 1965 को बताया गया था, परमाणु उर्जा संस्थान ट्राम्बे ने फ्रांस की सूद एविएशन के लाइसेन्स से 'सेन्ट्योर' साउंडिंग राकेट बनाना आरम्भ कर दिया है। इन राकेटों का प्रयोग, 130 से 180 किलोमीटर की उंचाई पर विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन, जिनमें कास्मिक किरणों का अध्ययन भी शामिल है, करने के लिय किया जायेगा। आशा है कि भारत में बना पहला सेन्ट्योर राकेट चालू वर्ष में तैयार हो जायेगा।

Radio set in Border Villages

506. **Shri P. L. Berupal :** Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is fact that Government have formulated a scheme to provide a radio set to each village in the border areas;

(b) if so, the number of villages in Ganganagar, Bikaner, Barmer and Jaisalmer districts of Rajasthan which will be provided with these radio sets; and

(c) when these are likely to be provided?

The Minister of Information and Boradcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) No Sir. No scheme as such has been formulated to this effect but our ultimate aim is to provide a radio set to each village in the border areas.

(b) and (c). Do not arise.

Magazines Published from Different States

507. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names and number of daily, bi-weekly, weekly, fortnightly, monthly and quarterly periodicals and magazines published from different States;

(b) the quantity of paper supplied to each of them;

(c) whether Government have ascertained after enquiry that the paper supplied is properly utilised; and

(d) if not the punishments awarded to those who misused and sold the paper in black market?

Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) The information is contained in Part II of the Ninth Annual Report of the Registrar of Newspapers for India released recently. A copy of the Report is also being laid on the Table of the House today.

(b) Out of 10,256 newspapers on the records of the Registrar of Newspapers for India, as on 31st December 1964, only about 2,500 apply for newsprint each year. The quantity is determined by the basic circulation, size, page level, periodicity and regularity of publication of each newspaper or periodical and varies from year to year in accordance with the percentage of increase or cut decided in the Newsprint Allocation Policy which is announced at the beginning of the year. A total quantity of 114,450 metric tonnes of newsprint (in addition to about 31,000 metric tonnes of white printing paper) has been allotted to newspapers and periodicals.

(c) & (d). In allotting newsprint quota a strict scrutiny of the circulation, periodicity, size, regularity of publication, etc. which constitute the basis of newsprint allocation, is carried out to prevent any recipient from getting an excess quota which may find its way to the market for unauthorised sales. The R.N.I. also conducts probes into the circulation claims of the newspapers in the country. Suspected cases of misuse are referred to appropriate investigation authorities.

ताशकन्द को प्रतिनिधि मंडल

508. श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाकिस्तान वार्ता के लिये ताशकन्द (रूस) में जो प्रतिनिधि मंडल गया था उस के सदस्यों के नाम क्या है ; और

(ख) उक्त प्रतिनिधि मंडल पर कितना व्यय हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जो भारतीय तिनिधिमंडल ताश द गया था उसके सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

(1) श्री लाल बहादुर शास्त्री, प्रधान मंत्री

(2) सरदार स्वर्ण सिंह, विदेश मंत्री

(3) श्री वाई० बी० चव्हाण, रक्षा मंत्री

(4) श्री एल० के० झा०, प्रधान मंत्री के सचिव

(5) श्री सी० एस० झा०, विदेश सचिव

(6) श्री एल० पी० सिंह, सचिव, गृह मंत्रालय

(7) श्री टी० एन० कौल, भारत का राजदूतावास, मास्को

(8) श्री केवल सिंह, भारत का हाई कमिश्नर, पाकिस्तान

(9) श्री ले० ज० पी० पी० कुमारमंगलम, उप-सेना अध्यक्ष

(10) श्री डी० आर० कोहली, सह-सचिव, रक्षा मंत्रालय

(11) श्री सी० पी० श्रीवास्तव, प्रधान मंत्री के सह-सचिव

(12) श्री आई० जे० बहादुरसिंह, सह-सचिव, विदेश मंत्रालय

(13) श्री आर० जयपाल, मंत्री, भारत का राजदूतावास, मास्को

(14) श्री वी० एल० शर्मा, विशेषाधिकारी, विदेश मंत्रालय

(15) ब्रिगेडियर बी० एम० सरकार, रक्षा मंत्रालय

(16) श्री के० एस० बाजपेयी, विशेषाधिकारी, विदेश मंत्रालय

(17) श्री जे० एस० तेजा, प्रथम सचिव, भारत का राजदूतावास, मास्को

(18) श्री जेड० एस० वैंस, विदेश मंत्री के निजी सचिव

(19) श्री इस० एम० एस० चड्ढा, अवर सचिव, विदेश मंत्रालय

इस प्रतिनिधि मंडल की सहायता के लिए निम्नलिखित अधिकारी भी गए थे :—

(1) श्री एम० एम० एल० हूजा, गृह मंत्रालय
(2) श्री एस० के० मलिक, प्रथम सचिव, भारत का राजदूतावास, मास्को
(3) ब्रिगेडियर हरी सिंह, मिलट्री अटैची, भारत का राजदूतावास, मास्को
(4) एयर कोमोडोर कृष्ण राव, एयर अटैची, भारत का राजदूतावास, मास्को
(5) श्री आर० एस० गोयल, अवर सचिव, विदेश मंत्रालय
(6) श्री जी० एस० वोयला, गह मंत्री के निजी सचिव
(7) श्री एन० सेठी, उप-प्रमुख सूचना अधिकारी
(8) डा० आर० एन० चुग, स्टाफ सर्जन
(9) श्री एम० एम० एन० शर्मा, प्रधान मंत्री के निजी सहायक
(10) श्री वी० पी० जोशी, रक्षा मंत्री के सचिव के निजी सहायक
(11) श्री जे० एम० त्रेहन, प्रधान मंत्री के सचिव के निजी सहायक
(12) श्री पी० एल० मदान, विदेश सचिव के निजी सहायक
(13) श्री पी० आर० चेना, आकाशवाणी के संवाददाता
(14) श्री एम० एम० वैद्य, न्यूजरील कैमरामैन
(15) श्री के० नारायणस्वामी, स्टिल फोटोग्राफर
(16) श्री राम नाथ, प्रधान मंत्री के निजी सेवक
(20) मास्को-स्थित भारतीय राजदूतावास के कर्मचारी वर्ग के चार सदस्य।

(ख) इस प्रतिनिधि मंडल पर अनुमानित खर्च इस प्रकार है :—

विदेशी मुद्रा . . .	70,447.00 रुपए
भारतीय मुद्रा .	19,746.70 रुपए

परमाणु बम का निर्माण

509. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री लाटन चौधरी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री धर्मलिंगम :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री राम पुरे :
श्री राम हरख यादव :
श्री बड़े :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा परमाणु बम तथा परमाणु हथियारों के निर्माण के मामले में कोई पुनर्विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रतिरक्षा उत्पादन के लिये विदेशी मुद्रा

510. **श्री दलजीत सिंह : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा के लिये सामान बनाने के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की गयी है ; और

(ख) इस संबंध में हमारा देश कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) रक्षा आवश्यकताएं जुटाने के लिए आवश्यक प्राथमिकता तथा विदेशी मुद्रा संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, विदेशी मुद्रा के लिए समय समय पर निर्धारण होते रहते हैं। विदेशी मुद्रा का निर्धारण करते समय रक्षा उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) इस विषय में आत्मनिर्भरता एक निरन्तर प्रक्रिया है और इस प्रावस्था में कोई अवधि नियत नहीं की जा सकती ।

शंघाई में बन्दी भारतीय राष्ट्रजन

511. **श्री हेम बरुआ : क्या वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शंघाई जेल में पांच वर्ष का कारावास भुगत रहे एक भारतीय राष्ट्रजन, श्री एम० एल० दास के साथ चीनी अधिकारियों ने अमानवीय व्यवहार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस कैदी के साथ उचित व्यवहार कराने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) श्री एम० एल० दास के प्रति बर्ताव करने में, जो कि शंघाई जेल में पांच साल की सज़ा भुगत रहे हैं, चीन सरकार ने कानून के सुपरिचित सिद्धांतों और इन्सानियत के मामूली उसूलों का कोई ख्याल नहीं रखा है।

(ख) श्री एम० एल० दास के प्रति जो बर्ताव किया गया है, उसका पूरा ब्योरा भारत सरकार के उन कई नोटों में दे दिया गया है जो उसने चीन सरकार को भेजे हैं; इनमें हमारा 2 नवंबर 1965 का नोट भी शामिल है। इस नोट की एक प्रति 15 नवंबर 1965 को सदन की मेज़ पर रख दी गई थी ।

(ग) भारत सरकार ने मांग की है कि चीन सरकार श्री एम० एल० दास पर अत्याचार करना बंद करे और उसके मामले पर फिर विचार करे। भारत सरकार ने यह मांग भी की है कि पीकिंग-स्थित भारतीय राजदूतावास को श्री एम० एल० दास को पूरी कोंसली सुरक्षा प्रदान करने की सुविधाएं प्रदान की जाएं।

श्री एवरेल हैरिमेन की यात्रा

512. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती रेणू चक्रवर्ती :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री विभूति मिश्र :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री नारायण दास :
श्री रा० बरुआ :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के राष्ट्रपति के विशेष दूत श्री एवरेल हैरिमैन ने 2 जनवरी, 1966 को नई दिल्ली में स्वर्गीय प्रधान मंत्री से मुलाकात की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : भारतीय नेताओं के साथ बातचीत में, श्री एवरेल हैरीमैन ने मुख्य रूप से वियतनाम के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया ।

Recruitment to Defence Forces

513. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have issued any special instructions that the people belonging to particular areas will be best-suited for fresh recruitment to the various units of the Defence Forces;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the names of the States and the number of people belonging to those States recruited during 1965 together with their branches in the Defence Forces?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) No Sir, On the contrary, recruitment is open to people belonging to all parts of the country, irrespective of class, creed and place of residence.

(b) Does not arise.

(c) It is not in the public interest to disclose the information on the floor of the House.

पाकिस्तान में भारतीय पत्रकारों को हुई हानि

514. **श्री हेम बरुआ :** क्या **वदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाकिस्तान सशस्त्र संघर्ष में पाकिस्तान में पांच भारतीय पत्रकारों तथा उनके परिवारों को हुई हानि का पूरा प्रतिकर देने की भारत की मांग का कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी पनडुब्बियां

515. **श्री हेम बरुआ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने अपने पनडुब्बियों के बेड़े को 'बैलिस्टिक मिसाइल्स' से सज्जित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे हमारी सुरक्षा के लिए खतरे का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) चीन द्वारा 1965 में एक प्राक्षेपक अस्त्र-वाहक पनडुब्बी का निर्माण सम्पूर्ण कर लेने का ज्ञान है ।

(ख) सरकार नौसेना के पनडुब्बी विरोधी संघटक को सशक्त बनाने के उपाय कर रही है, परन्तु उन्हें प्रकट करना लोकहित में नहीं हैं ।

जोधपुर पर हवाई हमले

516. **श्री कृष्णपाल सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच पिछले संघर्ष के दौरान जोधपुर में हवाई हमलों से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी ;

(ख) हवाई हमलों के कारण कितने व्यक्ति हताहत हुए तथा खास जोधपुर शहर को कितना नुकसान पहुंचा ; और

(ग) क्या इन हवाई हमलों से क्षतिग्रस्त लोगों को कोई प्रतिकर दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी नहीं ।

(ख) अधिक क्षति जोधपुर के जेल हस्पताल को हुई थी, जिस पर पाकिस्तानी वायुसेना ने बम्बारी की थी, उसमें 33 व्यक्ति मारे गए थे जिन में 29 रूग्ण थे, और कई अन्य घायल हुए थे ।

(ग) राज्य सरकार से सूचना मांगी जा रही ।]

Compensation for land acquired for aerodrome in Meerut District

517. **Shri Prakash Vir Shashtri :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that compensation for the land acquired in Chamraval village, etc. in Meerut District has not so far been paid;

(b) whether it is also a fact that the farmers, whose lands have been acquired for the airport near Hindon, are being paid compensation every six months; and

(c) if so, the time by which the residents of these villages would get compensation?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) to (c). The land in Chamraval village was first requisitioned and then acquired but, as the period between requisition and acquisition was very small, the Land Acquisition Officer decided that no rental for that period need be paid. The compensation payable to the villagers concerned towards acquisition, is likely to be disbursed in about six weeks' time.

The land for the airfield near Hindon was also first requisitioned and then acquired. The rental payable for the period of requisition, is being assessed. In the meantime, 'on account' payment of rental aggregating to Rs. 6.36 lakhs has been made to the villagers concerned. No recurring payment on this account is made after every six months. The cost of acquisition of the land will be paid to the owners concerned after the assessment has been made by the Land Acquisition Officer.

भारत–पाकिस्तान कमान्डरों की बैठक

518. **श्री किन्दर लाल :** **श्री तुला राम :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री बसुमतारी :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1966 के आरम्भ में भारत तथा पाकिस्तान के कमांडरों की बैठकें लाहोर और अमृतसर में हुई थीं; और

(ख) यदि हां, तो उनमें किन-किन प्रश्नों पर चर्चा हुई और क्या क्या निर्णय लिये गये ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां। मीटिंग संयुक्त राष्ट्रों के महासचिव के प्रतिनिधि जनरल तूलियो मरास्वियों के तत्वाधान में हुई थीं।

(ख) बातचीत दोनो देशों के सशस्त्र सेविवर्ग की उन द्वारा 5 अगस्त, 1965 से पहले संभाली स्थितियों पर वापसी के संबंध में हुई थी। 29-1-1966 को हुई बैठक में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें सेनाध्यक्ष भारत और पाकिस्तान के मुख्य सेनापति के बीच सैनिकों को हटाने, रक्षा निर्माणों के गिराने तथा सेनाओं की वापसी संबंधी करार भी शामिल था। सेनाओं की वापसी कार्यान्वित करने के लिए प्रक्रिया के स्थल नियमों पर सहमति दी गई।

पश्चिमी देशों का भारत के प्रति रवैया

519. **श्री काजरोलकर :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खां की ब्रिटेन तथा अमरीका यात्रा के फलस्वरूप, पश्चिमी देशों के भारत के प्रति रवैये में कोई बुनियादी परिवर्तन हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो किस दिशा में और किस रूप में ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हमारे देखने में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि प्रेसिडेंट अयूब की ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा से भारत के प्रति पश्चिमी देशों के रूख में कोई मौलिक अन्तर आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान को विरोध-पत्र

520. **श्री काजरोलकर :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को दिसम्बर, 1965 के दूसरे सप्ताह में 20 नवम्बर और 3 दिसम्बर, 1965 के बीच आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर अनेक घटनाओं के बारे में दिये गये विरोध-पत्र का पाकिस्तान सरकार ने कोई उत्तर दे दिया है ;

(ख) क्या पाकिस्तान ने अपहृत भारतीय राष्ट्रजनों को वापस कर दिया है और पूर्वी पाकिस्तान के पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा ले जाये गये धान के भण्डार और पशुओं के लिये क्षतिपूर्ति दे दी है; और

(ग) क्या विरोध पत्र में करीमगंज क्षेत्र में भी अन्य गोलीकाण्ड की घटना का उल्लेख है, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं।

(ग) नोट में करीमगंज क्षेत्र में गोली चलाने की एक घटना का उल्लेख है, अर्थात् 3 दिसंबर 1965 को 18.30 बजे कराल बौनी के निकट भारतीय सीमांत गश्ती दल की ओर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाना। इस घटना के बारे में भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

युद्ध पीड़ितों को सहायता

522. श्री रा० बरुआ :

श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में मृत तथा विकलांग सैनिकों के परिवारों को सहायता देने तथा उनके पुनर्वास के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ख) उनके पुनर्वास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य को इस उद्देश्य के लिए कोई विशिष्ट सहायता नहीं दी गई। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5510/66]**

उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये रेडियो सेटों का दिया जाना

523. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1966 के अन्त तक उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रेडियो सेट दिये गये. और

(ख) 1966–67 के दौरान उक्त राज्य को कितने रेडियो सेट दिये जाने का विचार किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 8,780.

(ख) 1966–67 का निर्धारण अभी नहीं हुआ है।

उड़ीसा को रेडियों सेटों का सम्भरण

524. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री 22 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1071 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965–66 में उड़ीसा को वास्तव में कितने रेडियो सेट दिये गये ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : 340 सेट (सहायक यन्त्रों को छोड़ कर)।

नई दिल्ली में आकाशवाणी के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कलाकार

525. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 जनवरी, 1966 को आकाशवाणी के नई दिल्ली केन्द्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने स्टाफ़ आर्टिस्ट तथा कर्मचारी थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
स्टाफ़ आर्टिस्ट	2	1
नियमित कर्मचारी	36	1
कुल . .	38	2

Bogus Displaced Persons

526. Shri Bhagwat Jha Azad :

Shri S. C. Samanta :

Shri Subodh Hansda :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of bogus refugees has increased on account of facilities being provided by Government to the persons who have been rendered homeless following Pak. aggression on India and are now living in various refugee camps and at other places; and

(b) whether any screening has been done with a view to provide facilities to the bonafide displaced persons?

Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

नाइजीरिया की सरकार को मान्यता

528. श्री दी० चं० शर्मा : **श्री राम हरख यादव :**

श्रीमती सावित्री निगम : **श्री मुरली मनोहर :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइजीरिया की नई सरकार को मान्यता प्रदान कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) और (ख) : नाइजीरिया में संघीय सैनिक सरकार ने पिछली सरकार को 16 जनवरी 1966 को बदल दिया था। नए शासन को मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठा है और लागोस में हमारा मिशन सामान्य राजनियक संबंध बराबर बनाए हुए है। अपनी ओर से नई सरकार ने वर्तमान संबंधों को बनाए रखने और नाइजीरिया की पिछली सरकार द्वारा की गई संधियों और करारों का आदर करने का वचन दिया है।

चीन से टिप्पण (नोट)

529. श्री दी० चं० शर्मा : **श्री लाटन चौधरी :**
श्रीमती सावित्री निगम : **श्री काजरोलकर :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने भारत द्वारा जनवरी, 1966 के प्रथम सप्ताह में आरोपित अतिक्रमण किये जाने के बारे में एक बहुत कड़ी चेतावनीभेजी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त टिप्पण में क्या लिखा हुआ है; और

(ग) भारत द्वारा यदि कोई उत्तर भेजा गया है, तो क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : चीन सरकार ने अपने 6 जनवरी 1966 के टिप्पण में भारत द्वारा नवम्बर 1962 से सितम्बर 1965 तक सीमा पर किये गये अतिक्रमणों के झूठे आरोपों को दोहराया है और इन आरोपों को अपने तथाकथित आत्म-रक्षा के उपायों के लिये औचित्य बताया है। हमने अपने 8 फरवरी 1965 के उत्तर द्वारा चीन सरकार की इन अनर्गल प्रादेशिक मांगों और धमकियों को रद्द कर दिया है। यह भी पता चला है कि चीन सरकार 'आत्म-रक्षा' के बहाने से अपने ही आश्वासनों तथा घोषणाओं को पालन न करते हुए 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' को पार कर रही थी और पश्चिमी इलाक़े के 20 किलोमीटर के सैनिक-विहीन क्षेत्र को पुनः सैनीकृत कर रही थी और थागला रिज तथा लांगजू क्षेत्रों में सेना भेज रही थी। चीनी टिप्पण तथा हमारे उत्तर की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जा रही हैं।

परमाणु हथियारों के बारे में विश्व संधि

530. श्री मलाइछामी : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तारीख 31 दिसम्बर, 1965 के "हिन्दू" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि जापान के प्रधान मंत्री ने परमाणु हथियारों पर एक विश्व संधि के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस प्रस्ताव का समर्थन करने तथा विश्व शांति की दिशा में एक कदम के रूप में इसे विश्व-व्यापी रूप देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) और (ख) : सरकार ने अखबारों में उस बयान से संबद्ध खबरें देखी है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वह जापान के प्रधान मंत्री ने दिया था और उसमें उन्होंने परमाणु अस्त्रों पर एक सार्वदेशिक संधि करने के विचार का ज़ोरदार समर्थन किया था जिसमें परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने और परमाणुविहीन राष्ट्रों की सुरक्षा की गारंटी देने की व्यवस्था हो।

(ग) जापान के प्रधान मंत्री का कथित प्रस्ताव भारत के पास नहीं आया है। बहरहाल, भारत सरकार ने ऐसे सभी प्रस्तावों का बराबर समर्थन किया है जिनका उद्देश्य परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकना है ; उसने इस बात का भी ज़ोरदार समर्थन किया है कि परमाणु-अस्त्रों के फैलाव को रोकने के लिए जल्दी ही संधि होनी चाहिए जिसमें परमाणु अस्त्रों वाले राष्ट्रों और परमाणु अस्त्रविहीन राष्ट्रों में उत्तरदायित्वों से संबद्ध परस्पर सहमत सन्तुलन हो।

विकलांग भूतपूर्व सैनिक

531. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे प्रस्ताव मिले हैं कि उन विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को, जिन्होंने बनावटी अंग लगवा लिये हैं, लिफ्ट चालकों, रिसेपनिस्टों और संदेशवाहकों आदि कार्यों में प्राथमिकता देने के सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :(क) जी हां, सरकार को ऐसे सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ख) उन व्यवसायों में जिनमें उनकी व्यवसायिक रूचि हो, और उनकी निर्योग्यता को ध्यान में रखते हुए जिन के लिए वह उपयुक्त हों भूतपूर्व निर्योग्य सैनिकों को केन्द्रीय सरकार के अधीन काम के लिए तीसरे वर्ग की प्राथमिकता में सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है।

चीनियों द्वारा भारतीयों का अपहरण

532. **श्री द० व०राजू** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 दिसम्बर 1965 से 15 जनवरी, 1966 तक भारत-तिब्बत सीमा पर चीनी सशस्त्र कर्मचारियों द्वारा कितने पुलिस के सिपाहियों तथा अन्य व्यक्तियों का अपहरण किया गया ; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में चीन सरकार को कोई विरोध-पत्र भेजा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) सिक्किम-तिब्बत सीमा पर सिक्किम भूसत्ता क्षेत्र में 12 दिसम्बर 1965 को होने वाली घटना के फलस्वरूप 5 भारतीय सेविवर्ग मारे गए थे, 3 बन्दी बना लिए गए थे और 1 लापता है। बाद में चीनियों ने 6 शव जिन में एक बन्दी बनाए गए व्यक्ति का था जो हरासत में मर गया, और दो बन्दी बनाए गए सेविवर्ग लौटाए थे।

(ख) इस घटना के संबंध में चीनी सरकार को एक विरोध-पत्र भेजा गया था।

प्रधान मन्त्री की अमरीका यात्रा

533. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री लाटन चौधरी :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के राष्ट्रपति ने प्रधान मंत्री को वहां आने का निमंत्रण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निमंत्रण को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ग) क्या कोई तारीख निश्चित कर ली गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

सशस्त्र सैनिकों की वापसी

534. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री लाटन चौधरी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री राम पुरे :
श्री धर्मलिंगम :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 अगस्त, 1965 की स्थिति पर सेनाओं को हटा लेने के सम्बन्ध में भारत तथा पाकिस्तान के सेनापतियों के बीच हुई बैठकों के क्या परिणाम निकले है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : भारत के सेनाध्यक्ष और पाकिस्तान सेना के मुख्य सेनापति के बीच 22-1-66 को हुए करार की प्रति संलग्न है।

2. इस करार के पश्चात् भारत सरकार और पाकिस्तान के सैनिक प्रतिनिधियों ने जनरल मरम्बियों, संयुक्त राष्ट्रों के महासचिव के प्रतिनिधि के संरक्षण में 29-1-66 को मिल कर यह भी माना कि सेनाएं हटाने संबंधी प्रक्रिया के स्थल नियम बनाए जाएं।

3. दोनों सेनाध्यक्षों के बीच करार के अनुसार सैनिकों को हटाने के कार्य सुविधा से किया गया और निर्धारित 5 दिनों के अन्दर सम्पूर्ण हो गया। रक्षा निर्माणों को गिराने का काम पाकिस्तानी और सन्तोषपूर्वक हो रहा है। आशा है कि सेनाओं की वापसी का काम 25-2-66 तक सम्पूर्ण हो जाएगा, जसे कि ताश्कन्द घोषणा में निर्धारित किया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5512/66**]

भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

535. **श्री दशरथ देव :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा और आसाम में रहने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को पश्चिम बंगाल कार्यालय से प्रत्यावर्तन-प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का आसाम में किसी स्थान पर एक ऐसा कार्यालय खोलने का विचार है, जिससे कि त्रिपुरा और आसाम से स्वदेश लौटने वाले लोगों को वहां से स्वदेश लौटने में सहायता मिल सके ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : त्रिपुरा और असम में रहने वाले जो पाकिस्तानी राष्ट्रिक भारत से जाना चाहते हैं उन्हें, उनकी रिहाइश के इलाक़े के स्थानीय सिविल, प्राधिकरण आसानी से परमिट दे देते हैं। इसलिए, त्रिपुरा अथवा असम में वहां के पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को यात्रा परमिट देने के लिए सरकार की ओर से इस समय कोई और कार्यालय खोलने का सवाल नहीं उठता। लेकिन, अगर पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को पाकिस्तान यात्रा दस्तावजों की आवश्यकता हुई तो, साधारणतः इसके लिए वे पाकिस्तान के सबसे नज़दीकी कार्यालय को जाएंगे।

वाणिज्यिक तथा व्यापार अनुभागों में भारतीय विदेश सेवा के पदाधिकारी

536. **श्री सें० वें० रामस्वामी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विदेश सेवा के पदाधिकारियों को हमारे दूतावासों में वाणिज्यिक तथा व्यापार अनुभागों में मुख्य पदाधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है, हालांकि उन्होंने वाणिज्यिक तथा व्यापारिक मामलों में कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया होता ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वरिष्ठ वाणिज्यिक सचिवों में, जिनको भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ पदाधिकारियों के अधीन कार्य करने के लिये कहा जाता है, असंतोष की भावना व्याप्त है ;

(ग) क्या वाणिज्यिक/व्यापारिक मामलों को इन विषयों के प्रशिक्षण प्राप्त पदाधिकारियों को ही सौंपने तथा उनको केवल इस कारण कि वे भारतीय विदेश सेवा से नीचे की सेवा में हैं, भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ अधिकारियों के अधीन न रखने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या ऐसे वाणिज्यिक सचिवों की, जिनको वाणिज्य मंत्रालय तथा इसके विभागों/निगमों में कम-से-कम 10 वर्ष के कार्य का अनुभव है, एक पदालि बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) जी नहीं। यह कहना ठीक नहीं है कि विदेशों में हमारे राजदूतावासों के वाणिज्यिक और व्यापारिक अनुभागों में भारतीय विदेश सेवा के जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उन्हें वाणिज्य और व्यापार की ट्रेनिंग नहीं होती। वास्तव में, विदेश मंत्रालय का सदा यह प्रयत्न रहता है कि किसी अधिकारी को वाणिज्य से संबद्ध किसी पद पर भेजने से पहले उसे वाणिज्य और व्यापार की ज्यादा-से-ज्यादा ट्रेनिंग दी जाए। यह 1946 में लिए गए मंत्रिमंडल के इस फैसले के भी अनुरूप है कि एक वाणिज्य और राजनयिक एकीकृत विदेश सेवा बनाई जाए। इसी निर्णय के अनुसार विदेश मंत्रालय अपने अधिकारियों को वाणिज्य और व्यापार के विषय में पर्याप्त ट्रेनिंग दिलवाने का प्रबंध करता है; ऐसा वह उनको वाणिज्य मंत्रालय में लगाकर, 'इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ़ फारेन ट्रेड' जैसी संस्थाओं के विशेष कोर्स पूरे करवाकर और यात्रा कार्यक्रमों के जरिए करता है जिसके दौरान ये अधिकारी वाणिज्य और व्यापार जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों से मिलते हैं।

अगर वाणिज्य के क्षेत्र का अनुभव रखने वाला कोई अधिकारी सहज ही उपलब्ध न हो तो इस क्षेत्र का अनुभव रखने वाला भारतीय विदेश सेवा से बाहर का अधिकारी चुन लिया जाता है और वाणिज्यिक-व्यापारिक केंद्र की प्रबंध-व्यवस्था के लिए विदेश भेज दिया जाता है।

(ख) जी नहीं। वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारियों से भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ अधिकारियों के नीचे काम करने के लिए नहीं कहा जाता। वाणिज्य अधिकारी अपने क्षेत्र में मिशन प्रमुख का उतना ही बड़ा सलाहकार होता है जितना कि राजनीतिक/कोंसली प्रभारी अधिकारी अपने क्षेत्र का।

(ग) जी नहीं। यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि घटिया और बढ़िया सेवा का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि किसी केंद्र की आवश्यकताओं और संबद्ध अधिकारी के अनुभव के अनुसार वाणिज्य केंद्रों में भारतीय विदेश सेवा (क) और भारतीय विदेश सेवा (ख) के तथा भारतीय विदेश सेवा से बाहर के अधिकारी भी रहते हैं।

(घ) जी नहीं।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बंगलोर

537. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 'वाल्वज़' के उत्पादन में भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलोर को एकाधिकार प्राप्त है ;

(ख) यदि नहीं, तो और अन्य कितनी संस्थायें 'वाल्व्ज़' बना रही है ; और

(ग) भारत इलेक्ट्रोनिक्स का 'वाल्व्ज़' का वार्षिक उत्पादन कितना है ; और

(घ) क्या भारत इलेक्ट्रोनिक्स में तैयार किये गये 'वाल्व्ज़' को बेचने के लिये पूरे देश में कोई सेलिंग एजेन्ट नियुक्त किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) '(क) तथा (ख) : इस समय देश में केवल भारत इलेक्ट्रानिक्स ही रेड़ियो प्राप्ति वाल्वों के निर्माता हैं।

(ग) 1964–65 में भारत ने 2,270,000 प्राप्ति वाल्वों का उत्पादन किया जिनका मूल्य 62.34 लाख रूपये है। 1965–66 में 31 लाख प्राप्ति वाल्वों के उत्पादन की आशा है, जिनका मूल्य 85 लाख रूपये होगा।

(घ) कम्पनी ने निर्धारित दरों पर वाल्वों के सीधे अथवा अपने एजन्टों अथवा विक्रेताओ द्वारा विक्रय के लिए भारत के मुख्य नगरों में वितरक नियुक्त कर रखे हैं।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रांगण में घटनाएं

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यान दिलाने वाली सूचना लेंगे, श्री हेम बरूआ।

Dr. Ram Manohar Lohia : On a point of order Sir, Rule 40.....

Mr. Speaker : Now I have gone to Calling-attention-notice.

Dr. Ram Manohar Lohia : I want to raise a point of order regarding Question Hour. I have requested Mrs. Vijaya Lakshmi Pandit under Rule 40.

Mr. Speaker : I would request you to see me in my Chamber regarding that matter. I have also invited Mrs. Vijaya Laxmi Pandit.

एक माननीय सदस्य : इसे सभा के सामने लाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने दीजिये। यदि आवश्यक हुआ तो इसे सभा के सामने लाया जायेगा।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दे :—

"3 फरवरी, 1966 को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रांगण में पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों के समाचार"

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : 3 फरवरी, 1966 को जिला अधिकारी तथा पुलिस, जब विश्वविद्यालय के विशष स्वर्णजयन्ती दीक्षान्त समारोह के अवसर पर अगले दिन भारत के राष्ट्रपति के आगमन के संबंध में व्यवस्था करने के लिए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय गए, तो विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी पुलिस के ट्रक के नीचे आ गया जिसके फलस्वरूप बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण पुलिस और विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच बहुत से दंगे हुए। विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाया गया है।

[श्री मु० क० चागला]

2. विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अनुसार, श्री मोहन लाल वर्मा नामक बी०एस०सी० का एक विद्यार्थी आती हुई एक पुलिस गाड़ी के नीचे आ गया। गाड़ी में बैठे व्यक्तियों ने घायल हुए उसे छात्र को सहायता पहुंचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया और पूछताछ करने के लिए गाड़ी रोकी तक नहीं। उधर से गुजरते हुए विद्यार्थियों ने उस विद्यार्थी को विश्वविद्यालय के अस्पताल तक पहुंचाया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस घातक दुर्घटना की खबर और पुलिस की लापरवाही से विद्यार्थियों तथा विश्वविद्यालयों के कैम्पस में बाहर के लोगों में बहुत उत्तेजना फैल गई। पुलिस के कर्मचारी एक बगल के दरवाजे से जाने लगे। किन्तु पुलिस की एक गाड़ी मुख्य दरवाजे की ओर गई और उसे दुर्घटना के स्थान के पास रोक लिया गया। विद्यार्थी तथा बाहर के लोगो की भीड़ ने, जो दुर्घटना स्थल पर इकट्ठी हो गई थी, गाड़ी पर पत्थर फेंके। गाड़ी में बैठे लोग इधर उधर भागे और गाड़ी को छोड़ दिया, जिसे बाद में आग लगा दी गई।

दण्ड विधान संहिता की धारा 144 के अधीन कैम्पस के अन्दर तथा बाहर 5 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया। 3 बजे के कुछ देर के बाद ही जिलाधीश (District Magistrate) वर्दीधारी पुलिस दल के साथ खोई हुई दो गाड़ियों तथा कुछ पुलिस कमचारियों की तलाश में विश्वविद्यालय के अधिकारियों की सलाह न मानकर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से अन्दर गए। पुलिस ने उनको इतना समय भी नहीं दिया जिससे वे विद्यार्थियों को तितर-बितर अथवा उन्हें नियंत्रित कर पाते जिसके लिये अधिकारियों ने पुलिस से प्रार्थना भी की थी। यह सुनकर कि पुलिस गेट का ताला तोड़कर तथा लाठी चार्ज करके कैम्पस में घुस आई है, विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने जिलाधीश को सुझाया कि यदि पुलिस जहां की तहां खड़ी रहे, तो यह उनका जिम्मा होगा कि जो विद्यार्थी वहां वहां एकत्र हो गए हैं वे शीघ्र ही तितर-बितर हो जाएं। भीड़ तितर-बितर हो ही रही थी कि पुलिस का एक दल पीछे से आया और अंधाधुंध लाठी चलाने लगा जिसके कारण कुछ विद्यार्थी बुरी तरह से घायल हो गए। उसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस में व्यवस्था कायम की।

अतिरिक्त जिलाधीश को विश्वविद्यालय के अस्पताल में ले जाया गया, जहां बाहर की हालत को देखते हुए रोके गए तीन पुलिस के सिपाहियों को उन्हें सौप दिया गया। इसी बीच, कुछ अध्यापकों तथा विद्यार्थियों ने जिलाधीश को बताया कि पुलिस ने मेशेज विज्ञान विभाग, केन्द्रीय कार्यालय तथा इन्टरनेशनल हाउस को घेर लिया है तथा कुछ विद्यार्थियों और स्टाफ के कुछ सदस्यों को पीटा गया है। इसके वाद पुलिस चली गई।

3. उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालय के दो विद्यार्थी जो एक साथ साइकिल पर सवार थ, उनकी साइकिल एक रिक्शा से टकरा गई जिसके कारण वे कैम्पस में सड़क के बीच में गिर पड़े तथा प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस (P.A.C.) की एक ट्रक के पिछले पहिए से टकरा गए। ड्राइवर ने ट्रक रोक दी ओर जो थोड़े से विद्यार्थी वहां इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने घायल विद्यार्थी को अस्पताल में पहुंचा दिया। ट्रक के ड्राइवर को तुरंत निलम्बित (suspend) करके गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्घटना के कुछ देर बाद ही विद्यार्थियों की एक भीड़ दुर्घटना स्थल पर इकट्ठी हो गई और ट्रक के एक पुलिस दल पर हमला किया तथा ट्रक को जला दिया। निश्शस्त्र पुलिस वालों पर पत्थर फेंके गए जिसके कारण उनमें से कुछ बुरी तरह घायल हो गए। कुछ पुलिस वाले तो विश्वविद्यालय के कैम्पस से बाहर आ सके, किन्तु कुछ कैम्पस में ही फंस गए और गैर कानूनी तरीके से विद्यार्थियों द्वारा घेर लिए गए, जिन्होंने और अधिक हिंसा की धमकी दी। यह सूचना मिलने पर, विश्वविद्यालय के अधिकारियों से फोन पर इस विषय में बातचीत करने के बाद, जिलाधीश पुलिस के एक दल के साथ, घरे हुए पुलिस के व्यक्तियों तथा पुलिस के ट्रको को छड़ाने के लिए उस स्थान पर पहुंचे। दण्ड विधान संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत एक आदर्श जारी कर दिया गया। था किन्तु पुलिस का रास्ता रोक-

दिया गया और इसलिए, कैम्पस में दाखिल होने के लिए भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। कैम्पस में पुलिस और विद्यार्थियों की फिर मुठभेड़ उस समय हुई जब भीड़ ने उनपर पत्थर फेंकने शुरू किये और कुछ पुलिस वालों को घायल कर दिया। अनियंत्रित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का सा लाठी चार्ज करना पड़ा। उसके फौरन बाद, खोए हुए पुलिस वालों की तलाश में गई हुई एक पुलिस टुकड़ी जब अपने मुख्य दल से मिलने के लिए जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि वे उत्तेजित विद्यार्थियों द्वारा घेर लिए गए हैं जो उनपर फबतियां कस रहे थे और ढले फेंक रहे थे, तब पुलिस को फिर हल्का सा लाठी चार्ज करना पड़ा। खोए हुए पुलिस वालों को बचाने के बाद पुलिस की टुकड़ी वापस चली गई।

4. इससे पता चलेगा कि राज्य सरकार से प्राप्त तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों से प्राप्त मामले के तथ्यों में महत्वपूर्ण भेद हैं। राज्य सरकार ने जांच अधिनियम आयोगों (Commissions of Enquiry Act) के अधीन, उच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड जज को एक सदस्यीय आयोग के रूप में नियुक्त किया है जिसे तमाम घटना की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए सिविल कोर्ट के अधिकार होंगे ताकि घटना के सही तथ्यों और कारणों का पता लग सके और उनकी जिम्मेदारियों तथा सीमाओं का निर्धारण किया जा सके। आयोग मामले की जांच कर रहा है। और उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने 8 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधान सभा में यह घोषणा की है कि जांच के बाद यदि कोई अधिकारी दोषी पाया गया, तो उसे उपयुक्त सज़ा दी जाएगी।

5. इस तथ्य को देखते हुए कि मामले की जांच चल रही है, यह उचित नहीं होगा और न ही न्याय के हक में होगा कि इस समय घटनाओं पर वाद-विवाद किया जाए, क्योंकि इससे जांच पर असर पड़ेगा।

श्री हेम बरुआ : 3 फरवरी को मुख्य द्वार का ताला तोड़ कर और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में घुसकर पुलिस ने अवर्णनीय विध्वंसक कार्य किये हैं.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मंत्री महोदय के अन्तिम कथन पर ध्यान दें, जिससे मैं भी सहमत हूं।

श्री हेम बरुआ : मैं उसे याद रखूंगा तथा उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जब तक जांच पूरी नहीं कर ली जाती तथा तथ्यों का पता नहीं लग जाता, हमें इन बातों पर चर्चा नहीं करनी चाहिये।

श्री हेम बरुआ : वक्तव्य में यह बात स्वीकार की गई है कि 500 पुलिसवालों में 100 पुलिसवाले लोहे के टोप पहने हुये थे तथा उनके पास बंदूकें थीं तथा उन्होंने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा प्रशासनिक अधिकारियों पर अत्याचार किये हैं। मैं विश्वविद्यालय के प्रांगण में गया हूं तथा मुझे तथ्यों की जानकारी है। इस बात को देखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की सम्माननीयता तथा स्वायत्तता की रक्षा करने के लिये तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि पुलिस ने जैसे उल्लंघन बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में किये हैं, ऐसे और कहीं न किये जायें, सरकार ने क्या कार्यवाही की है? माननीय मंत्री ने स्वयं माना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण मतभेद है, तथा इस बात को देखते हुये कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय सीधे केन्द्रीय सरकार तथा संसद के नियंत्रण में है, केन्द्रीय सरकार ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अधीन जांच कराने का आदेश क्यों नहीं दिया। उत्तर प्रदेश सरकार का अत्याचारों में हाथ है तथा उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने अत्याचार किये हैं। मेरे दोनों प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर दिया जाये।

श्री मु० क० चागला : मैं इस पक्ष में हूं कि विश्वविद्यालय स्वायत्त हों तथा इन की स्वायत्तता को बनाये रखने के लिये हर संभव कार्यवाही की जाये, परन्तु न्यायाधिकरण का प्रतिवेदन प्राप्त किये बिना मैं कोई निर्णय नही दे सकता । अतः उसकी प्रतीक्षा करनी है। माननीय सदस्य का कहना है कि वह वहां गये हैं तथा उन्होंने तथ्यों की जानकारी प्राप्त की है, परन्तु उन ही तथ्यों को सुनिश्चित करना है। जिलाधीश तथा उपकुलपति की रिपोर्टें भिन्न हैं अतः इसलिये मुख्यमंत्री ने ट्रिबुनल नियुक्त किया है। हमें इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी है।

अध्यक्ष महोदय : अभी माननीय मंत्री ने जो बातें बताई है, इन बातों को बताने का जिम्मेदार कौन हैं ?

श्री मु० क० चागला : एक ओर मुझे उपकुलपति से तथ्यों की जानकारी प्राप्त हुई है तथा दूसरी ओर जिलाधीश से तथ्य प्राप्त हुये हैं और मैं ने उन्हें ज्यों का त्यों सभा के सामने रख दिया है। जैसा कि मैं कह चुका हुं, दोनों तथ्य भिन्न है। यही कारण है कि न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया है ताकि कोई निर्णय करने से पहले तथ्यों का सुनिश्चित किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री से पूर्णतः सहमत हूं कि जब तक तथ्यों की जानकारी न हो, कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती और इस बारे में आगे चर्चा भी नहीं की जा सकती। परन्तु एक बात मैं अभी तक नहीं समझ सका हूं । वह यह है कि जब सरकार स्वयं कुछ तथ्य पेश करती है और उनके आधार पर यह स्वीकार करती है कि अत्याचार अथवा ज्यादतियां हुई हैं तो सदस्यों को यह पूछने का अधिकार है कि अन्तिम निर्णय करने से पहले जो न्यायधिकरण के निर्णय के बाद किया जायेगा, क्या प्रारम्भिक कार्यवाही की गई है ?

श्री मु० क० चागला : हमें तथ्यों की जानकारी नहीं है। जैसा कि मैं ने कहा है कि उपकुलपति तथा जिलाधीश दोनों ही जिम्मेदार अधिकारी हैं। मैं उपकुलपति की बहुत महत्व देता हूं। परन्तु जिलाधीश ने भी तथ्य पेश किये हैं। अतः हम यह सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं कि कौनसे तथ्य सही हैं ? (**अन्तर्बाधाये**) यदि हमें तथ्यों की जानकारी हो तो क्योंकि बनारस विश्वविद्यालय एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है अतः यह हमारी जिम्मेदारी है कि आवश्यक कार्यवाही की जाये, परन्तु मैं दिल्ली में बैठा हुआ यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं हूं कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन वहां पर क्या घटना हुई है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रश्न मैं नियम 40 अथवा 41 के अन्तर्गत उठाना चाहता हूं, मुझे सही जानकारी नहीं है। यह प्रश्नों के उत्तरों से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें किसी निश्चित नियम का उल्लेख करना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : मान लीजिए यह नियम 40 के अन्तर्गत है। मैं केवल आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने कहा है कि मामला न्यायधिकरण के विचाराधीन है। जब मामला न्यायधिकरण के विचाराधीन है तथा एक सेवानिवृत न्यायधीश इस की जांच कर रहे हैं तो क्या केन्द्रीय मंत्री अथवा राज्य के मंत्री को यह हक है कि वह उन तथ्यों के बारे में वक्तव्य दे सकें। राज्य के मंत्री श्री हुकमसिंह ने वहां जा कर विद्यार्थियों की जिस में विदेशी विद्यार्थी भी सम्मिलित हैं निन्दा की है। तथा शिक्षा मंत्री ने यहां वक्तव्य दिया है। जब मंत्रियों को यह अधिकार है कि वे वक्तव्य दे सकें, तो क्या हमें प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्होंने मुझे इसे नियम 40 मानने को कहा है। नियम 40 के अनुसार गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सारा मामला यहीं खत्म हो जाता है। दूसरे मंत्री महोदय ने चाहे जो कुछ भी कहा हो और यदि मुझे भी इस का उत्तर देना होता तो भी वह नियम का उल्लेख नहीं कर सके हैं। फिर भी यदि मंत्री महोदय ने कुछ अविवेक-पूर्ण बातें कही है तो भी हमें जांच के निर्णय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अन्यथा यहां की जाने वाली किसी चर्चा से जांच पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ सकता है। अतः हम विस्तार-पूर्वक इस पर चर्चा नहीं कर सकते (**अन्तर्बाधायें**) शांति, शांति। कृपया सब सदस्य बैठ जाये। मैंने स्वयं मंत्री महोदय से प्रश्न पूछा है, इस लिये आगे प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ तथ्य प्राप्त हुये हैं। उनका कहना है कि दोनों तथ्य भिन्न भिन्न है तो भी उन्होंने इनके आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचने का पूर्ण प्रयत्न किया है। यह उनकी अपनी जानकारी नहीं है। जांच के परिणामों की प्रतिक्षा की जा रही है। इस समय दूसरी बातों के बारे में कि जांच कौन से चरण में है, जांच कौन कर रहा है तथा जांच के कब तक समाप्त होने की संभावना है प्रश्न पूछे जा सकते हैं, परन्तु जांच के औचित्य के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

श्री हेम बरुआ : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय संसद् के तथा केन्द्रीय सरकार के अधीन है, फिर केन्द्रीय सरकार इस मामले की जांच क्यों नहीं करवाती है ?

श्री वारियर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जांच एक सेवानिवृत न्यायाधीश को सौंप दी गई है और क्या उक्त न्यायाधीश अभी उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन काम कर रहे हैं।

श्री मु० क० चागला : जहां तक मेरी जानकारी है वह इलाहबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और सेवानिवृति के बाद उन्हें किसी ट्रिबुनल का सदस्य नियुक्त किया गया था।

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, on a point of order. I am refering to a certain rule. I am not in a position to quote the number at present. Under that rule we are entitled to ask questions for eliciting information from the hon. Minister and he is requested to furnish the information. The rule reads "for the purpose of eliciting informations".

Mr. Speaker : I know that we are conducting the proceedings according to that.

Dr. Ram Manohar Lohia : The Hon. Minister is not giving the information.

Mr. Speaker : The rule providing for eliciting information also states that no question can be asked in regard to a matter, which is under judicial or semi-judicial enquiry.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को देखते हुये कि यह एक बहुत गंभीर मामला है तथा उपकुलपति सहित बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों की आज्ञा के विरुद्ध पुलिस के विश्वविद्यालय के प्रांगण में बलपूर्वक घुसने की निन्दा की है और इस बात को देखते हुये कि बहुत से राज्यों में विश्वविद्यालय के अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है, मैं जानना चाहती हूं कि एक अर्द्ध-न्यायिक व्यक्ति को जिस के बारे में गंभीर संदेह प्रकट किया जा रहा है यह जांच का कार्य क्यों सौंपा गया तथा जांच के लिये कोई उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश क्यों नियुक्त नहीं किया गया ? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस पर विश्वविद्यालय का भविष्य निर्भर है।

अध्यक्ष महोदय : इस से पहले कि माननीय मंत्री उत्तर दें, मैं माननीय सदस्यों को एक सुझाव देता हूं। सामान्यतः हम यह सुझाव देते हैं कि न्यायिक जांच करवाई जाये। और जब यह सुझाव स्वीकार कर लिया जाता है तो हम यह भेद करना आरम्भ कर देते है कि यह व्यक्ति इतना प्रतिष्ठित नहीं है, जितना वह व्यक्ति..... (**अन्तर्बाधायें**), शांति, मैंने सब समझ लिया है। मुझे अपना कथन पूरा करने दीजिय।

Dr. Ram Manohar Lohia : I am informing you that the officers responsible in the matter have been suspended by the U.P. Government themselves. This is such a serious matter.

अध्यक्ष महोदय : फिर केवल यह प्रश्न पूछा जाना चाहिये कि क्या उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप हैं, तथा क्या उसके पूर्व चरित्र पर कोई सन्देह है, अन्यथा यह तुलना करना कि यह न्यायाधीश उतना दक्ष नहीं है जितना वह, आवश्यक नहीं है। (**अन्तर्बाधायें**)

श्री ही० ना० मुकर्जी : जैसे कि आपको पहले जानकारी दी जा चुकी है यह न्यायाधीश किसी ट्रिबुन्ल में कार्य कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें पहले ही लाभपद दे रखा है। इसलिये इसे न्यायिक जांच करना केवल शब्द जाल है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करुंगा कि न्यायपालिका तथा न्यायाधिशों के विरुद्ध टिप्पणी करते समय वे संयम से काम लें। (**अन्तर्बाधायें**) जब दो कहानियों में इतना महत्वपूर्ण भेद था तो न्यायधीश नियुक्त करते समय यह प्रयत्न किया जाना चाहिये था कि ऐसा न्यायधीश नियुक्त किया जाये, जिस में सब का विश्वास हो। (**अन्तर्बाधायें**)

श्री मु० क० चागला : मैं आप को वही बताता हूं, जो मैंने किया है। कोर्ट के 12 सदस्यों ने जिस में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे कि भूतपूर्व न्यायाधीश तथा भूतपूर्व उपकुलपति शामिल थे यह शिकायत की थी कि यह ट्रिबुनल ठीक नहीं है। विद्यार्थियों का एक शिष्टमंडल भी मुझ से मिला था और उन्होंने भी असंतोष प्रकट किया था। अतः मैंने मुख्यमंत्री को लिखा है कि ऐसे ट्रिबुनल से कोई लाभ नहीं होगा, जिस में लोगों का विश्वास नहीं है।

श्री रंगा : यह संघ सरकार तथा राज्य सरकार का मामला है। इसे पूर्ण गोपनीय रखा जाना चाहिये था तथा इस के बारे में यह सूचना सभा में नहीं दी जानी चाहिये थी। परन्तु मंत्री महोदय ने एक नया दृष्टांत स्थापित किया है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नही है परन्तु मैं सरकार को इस बारे में सचेत करता हूं। (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : इसे पूर्वदृष्टांत नहीं बनाया जा सकता। यह केवल मंत्री के विवेक पर निर्भर है कि यह सूचना दी जा सकती है अथवा नहीं। (**अन्तर्बाधायें**)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : न्यायपालिका पर टिप्पणी करने के बारे में मैं आप से पूर्णतः सहमत हूं परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप के विनिर्णय में सेवानिवृत न्यायाधीश भी शामिल है, जिन का वर्तमान में न्यायपालिका से कोई संबंध नहीं है। क्या न्यायाधीश के अन्तरीत वे सेवानिवृत्त न्यायाधिश भी शामिल हैं, जो अन्यत्र नौकरी कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदस्यों को केवल यह सलाह दी है कि वे संयम से काम लें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : शिक्षा मंत्री श्री चागला के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिख गये पत्र की सरहिना करते हुये म यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कल या परसों विद्यार्थियों को जो शिष्टमंडल शिक्षा मंत्री तथा प्रधानमंत्री से मिला था उसने तथा

विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने भी यह निवेदन किया है कि विद्यार्थियों तथा जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिये एक तीन सदस्यीय आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये, जिसका सभापति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से कम नहीं होना चाहिये ।

सरकार की इस विषय में क्या धारणा है ? और क्या यह भी सही है कि फौजदारी के 10 मामले लम्बित हैं और क्या उन्हें वापिस ले लिया जायेगा ?

श्री मु० क० चागला : विद्यार्थियों ने मुझे बताया है कि 10 मामले लम्बित हैं । मुझे यह सूचना मिली है कि 8 मामले लम्बित हैं । मैं चाहता हूं कि मख्य मंत्री और उनके कानूनी सलाहकार इन मामलों पर विचार करें और यदि दोषसिद्ध होने की सम्भावना नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाय । इस मामले में स्वयं मुख्य मंत्री ने फैसला करना है, मैं उस में हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं हूं । मैं नहीं कह सकता कि विद्यार्थियों को रिहा किया जाय या मुकद्दमा न चलाया जाय । परन्तु मैं आशा करता हूं कि मुख्य मंत्री स्वयं अपने कानूनी सलाहकारों की सहायता से इस मामले पर विचार करेंगे और किसी नतीजे पर पहुंचेंगी ।

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है मैं सभा को बता चुका हूं कि मैं ने मुख्य मंत्री को लिख दिया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : सरकार का विचार एक सदस्य का आयोग नियुक्त करने का है या तीन सदस्यों का आयोग नियुक्त करने का ?

श्री मु० क० चागला : न्यायाधिकरण राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है ।

Shri Madhu Limaye : This is a serious matter. Two students from Mauritious have been beaten up. The university has been deprived of its autonomous status and students union has been disbanded. I feel these are the root causes of the resentment found among the students. The Police atrocities have deteriorated the situation further. In the light of these facts, will the Government take adequate steps to maintain the autonomy of the University and to set up again the Students' Union ?

श्री मु० क० चागला : मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि मैं स्वयं इस विश्वविद्यालय की स्वायत्तता बनाये रखना चाहता हूं । परन्तु मुझे रिपोर्ट मिल जायगी तो मैं फैसला कर सकूंगा कि क्या कार्यवाही की जाय ।

Shri Madhu Limaye : Will the Government take steps to form the Students' Union so that the students may have a chance to give expression to what they feel?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं स्वयं मुख्य मंत्री के साथ इस विषय में बात करूंगी और देखूंगी कि क्या कार्यवाही की जा सकती है ।

Shri Kishan Pattanayak : They should tell us about the union.

Shri Madhu Limaye : This is the root cause of the resentment found among the students.

श्री प्र० कु० देव (कालाहांडी) : क्या अन्तरिम कार्यवाही के तौर पर सरकार जिला अधिकारियों को मुअत्तिल करेगी ताकि साक्ष्य पक्षपातपूर्ण न हो और क्या विद्यार्थियों की सभी चीजें तुरन्त उन्हें लौटा दी जायंगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही राज्य सरकार को करनी है, केन्द्रीय सरकार को नहीं । मैं ने इस प्रश्न को अस्वीकार कर दिया है ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को सलाह देने को तैयार है कि वह विद्यार्थियों की सम्पत्ति वापिस कर दे और उन के विरुद्ध मामलों को वापिस ले ले ?

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है उस के बाद मुझे आशा है सभा अब और चर्चा इस पर नहीं करेगी ।

श्री दी० चं० शर्मा : बनारस विश्वविद्यालय एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है । कोर्ट के सदस्यों ने, जिन में भूतपूर्व उपकुलपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश शामिल हैं, इन सब बातों को बुरा बताया है । जब ऐसे अत्याचार होते हैं और जब उपकुलपति को पीटा जाने-वाला था, तो केन्द्रीय सरकार का क्या उत्तरदायित्व है ?

श्री मु० क० चागला : विधि और व्यवस्था बनाये रखने का काम राज्य सरकार का है । हम मुख्य मंत्री को केवल सलाह दे सकते हैं । विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और उस के विद्या सम्बन्धी मामलों का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है । मैं आश्वासन दे चुका हूं कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में दखल नहीं देने दिया जायगा । विधि और व्यवस्था के बारे में प्रधान मंत्री ने सभा को आश्वासन दिया है कि वह यहां पर दिये गये सभी सुझाव राज्य की मख्य मंत्री को सूचित करेंगी । और आशा है कि मुख्य मंत्री इन सुझाओं पर सहानुभूति-पूर्ण ढंग से विचार करेंगी ।

श्री कपूर सिंह : लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 41 के उप-नियम के खंड (15) के अनुसार मेरा एक औचित्य का प्रश्न है । इस नियम के अनुसार कोई ऐसी जानकारी नहीं मांगी जा सकती जो आसानी से उपलब्ध दस्तावेजों से मिल सकती हो । अनुपूरक प्रश्न में यह पूछा गया है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्य क्या हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप यह भी बता दें कि यह जानकारी किस दस्तावेज़ में उपलब्ध है ।

श्री रंगा : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम..... **(अंतर्बाधाएं)**

Shri Madhu Limaye : Sir, I rise on a point of order. This is a Central University and Section 144 has been enforced in the University campus. As a result of which there is a clash between the autonomy of the University and the issue of law and order. I refused to admit that the Centre cannot do anything in the matter. To establish Police Raj in the University Campus is in violation of our law and the Constitution. The Hon. Minister can definitely write to the State Government about this matter.

Mr. Speaker : There is no point of order. Although this is a centrally administered university, Law and Order is in the hands of the State Government.

स्थगन प्रस्ताव के बारें में—जारी

RE : MOTION FOR ADJOURNMENT—*Contd.*

पश्चिम बंगाल तथा देशके अन्य भागों में खाद्य स्थिति और मिट्टी के तेल का संभरण

अध्यक्ष महोदय : अब पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री कलकत्ते में मिट्टी के तेल की कमी के बारे में एक वक्तव्य देंगे।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (1) फरवरी 1966 को लोक सभा में पश्चिमी बंगाल में मिट्टी के तेल के सम्भरण की कमी के बारे में उल्लेख किया गया था। कई माननीय सदस्यों ने इसके बारे में ध्यान आकर्षित नोटिस भी दिये और प्रश्न भी पूछे। राज्य में इस बारे में क्या स्थिति है उस के सम्बन्ध में जानकारी प्रस्तुत करता हूं।

सरकार ने इस बात की व्यवस्था भी की कि स्थानीय प्रयोगशालाओं तथा आयात द्वारा तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया है। मई 1965 तक जो भी स्थानीय साधनों से तेल उपलब्ध हुआ वह आवश्यकता का दो तिहाई था। बाकी का तेल आयात से खुले विदेशी मुद्रा के क्षेत्रों से गैर सरकारी समवादों द्वारा उपलब्ध किया गया। मई 1965 के बाद विदेशी मुद्रा की कठिनाइयां बढ़ गयी और इन समवायों द्वारा तेल का आयात बन्द हो गया। इसके बाद 4,50,000 टन की व्यवस्था भारतीय तेल निगम ने की। 1,88,000 टन तो रुपये के साधनों से और 3,90,000 टन आयात से आने वाले छः मास के लिए लाया गया। भारत सरकार ने यह भी प्रबन्ध किया तट-पर स्थित शोधनशालाओं से अधिक तेल उपलब्ध हो। और प्रत्येक मास की आवश्यकता के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गयी।

मिट्टी के तेल के बारे में गत 3–4 वर्षों की आवश्यकता का अनुमान 2,00,000 टन प्रतिमास रहा है। जुलाई से दिसम्बर 1965 तक सम्भरण भी 2,00,000 टन का रहा है। केवल सितम्बर 1965 को उसमें कुछ कमी की गयी थी।

जब सम्भरण आवश्यकताओं के अनुसार हो गया तो, कीमतों और वितरण का प्रबन्ध करने की आवश्यकता थी। इस लिए सितम्बर 1965 को भारत सरकार ने राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया कि वह तेल की मात्रा पर रोक लगाये, ताकि उसका काला बाजार न हो सके। कुछ राज्य सरकारों ने इस दिशा में पहले ही पग उठाये थे जिससे कि तेल का वितरण और सम्भरण ठीक ढंग से हो जाय। इसके लिए मिट्टी का तेल (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1963 भी है। कई राज्यों में इस तरह के कोई पग न उठाये गये, अतः उचित वितरण न हो सका। इस बात की जरूरत है कि इस दिशा में राज्य सरकारें पग उठाये ताकि तेल का वितरण ठीक प्रकार से हो सके। जहां पर आबादी एक लाख से अधिक हैं वहां मूल्य नियन्त्रण भी लागू होना चाहिए।

जहां तक पश्चिमी बंगाल को तेल की सप्लाई का सम्बन्ध है निम्न मात्रा में तेल जून से दिसम्बर 1965 तक दिया गया :—

जून	1965	21,126 टन
जुलाई	1965	24,480 टन
अगस्त	1965	19,382 टन
सितम्बर	1965	14,771 टन

[श्री अलगेसन]

अक्तूबर	1965 . .	22,221 टन
नवम्बर	1965 . .	24,210 टन
दिसम्बर	1965 . . .	20.123 टन
मासिक औसतन सप्लाई	. . . . .	20,902 टन

गत वर्ष वार्षिक मांग 21,000 टन रही है। जनवरी 1966 के बिक्री के आंकड़े हमारे पास नहीं है। परन्तु मात्रा इतनी थी कि सामान्य मांग पूरी हो जाती थी।

1 फरवरी 1966 को 12,500 टन तेल हासिल किया गया : कुल मिला कर कलकत्ता को 28,100 टन मिट्टी का तेल प्राप्त हुआ। 2,000 टन और आने वाला है। यह सब कलकत्ता के लिए काफी होगा। इसके अतिरिक्त भारत तेल निगम ने कुछ अतिरिक्त मात्रा में भी तेल देना स्वीकार कर लिया है। हमने गैर सरकारी तेल कम्पनियों को भी तेल देने के लिए कहा है ताकि वर्तमान कमी दूर हो जाए।

कीमतों और सम्भरण सम्बन्धी कठिनाइयों की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट करवाया गया है जो कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में महसूस की जा रही है। जून से दिसम्बर 1965 में पंजाब को 8,936 टन तेल दिया गया। 1964 में उनकी मांग 8700 टन रही है। उत्तर प्रदेश को 16,081 टन दिया गया (1965 के सितम्बर मास को छोड़कर)। जब कि 1964 में उनकी मांग 16,900 टन की रही है। बिहार को भी 7,323 और 7,153 टन दिया गया। इसके बावजूद हम और भी अधिक वृद्धि करने की बात कर रहे हैं।

मिट्टी के तेल की कीमतों के बारे में मूल्य नियन्त्रण आदेश, 1963 है। इसके आधार पर मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। राज्य सरकारें मूल्य निर्धारित कर सकती है। कुछ राज्यों ने तो ऐसा कर भी दिया है।

सभी राज्यों को ठीक तरह से तेल मिल सके, इसके लिए राज्यवार कोटा निर्धारित किया जा रहा है। इससे वितरण सामान्य आधार पर अनिश्चित हो जायेगा। इसके अतिरिक्त मूल्य नियन्त्रण आदेश, 1963 में भी संशोधन किया जा रहा है।

इस बारे में राज्यों के सम्भरण मंत्रियों से भी परामर्श किया जा रहा है ताकि उपरोक्त निर्णयों को कार्यान्वित किया जा सके और राज्यवार वितरण और मूल्य नियन्त्रण को उचित आधार पर चलाया जा सके।

1966 में अतिरिक्त शोधन क्षमता भी उपलब्ध हो जायेगी। काफी देश में पैदा हुई तेल मिलने लगेगा और इस दिशा में स्थिति सुधर जायेगी। जब तक ऐसा नहीं होता कमी पूरी करने के लिए हम आयात करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री बनर्जी या श्री दाजी या श्रीमती रेणु चक्रवर्ती मुझे पहली बात यह बताये कि इस वक्तव्य को देखते हुए क्या यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकार इस मामले में असफल रही है और दूसरी बात यह बतायें कि क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस बारे में चर्चा नहीं हो सकती।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : केन्द्रीय सरकार ने न तो मिट्टी के तेल के वितरण की ओर ध्यान दिया और न ही संकट की स्थिति से बचने के लिए जितने तेल की आवश्यकता थी वही दिया। मैं आंकड़े भी दे सकती हूं। पश्चिमी बंगाल में बर्मा शेल के पास 18,558

मेट्रिक टन तेल है परन्तु उन्होंने केवल 8,500 मेट्रिक टन तेल देने का फैसला किया है। क्या केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह देखे कि कितना तेल कम्पनियों के पास है, कितना उन्हें जरूरत के अनुसार देना चाहिये और कितना वास्तव में उन्होंने दिया है ? पश्चिम बंगाल के गांवों में मिट्टी के तेल की एक बूंद तक नहीं है। वहां विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठना है परन्तु तेल नहीं है। इसके बावजूद तेल चोर बाजार में बिकता है। यह बहुत बड़ी असफलता है। चावल के बारे में स्थिति यह है कि श्री सुब्रह्मण्यम ने कहा था कि वह एक लाख मेट्रिक टन चावल दे रहे हैं परन्तु वास्तव में केवल 10,000 मेट्रिक टन चावल पश्चिमी बंगाल पहुंचा है। गेहूं एक लाख मेट्रिक टन देने का वचन दिया गया था परन्तु पिछले माह उन्होंने कहा कि 80,000 मेट्रिक टन गेहूं दिया है। हमारे राज्य में लोग गेहूं बड़ी कठिनाई के साथ खाते हैं। वह चावल खाने वाला राज्य है। इस के अतिरिक्त, वहां पर समाहार शुरू हो गया है। समस्या तो यह है कि जो धान चावल मिलों को दिया जाता है उसे खरीदने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता है। यह आशा थी कि भुवनेश्वर संकल्प के अनुसार वहां चावल मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जायगा परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। अब स्थिति यह है कि चावल मिलों को पैसा देना पड़ता है तब कहीं चावल सरकारी गोदामों में जा सकता है। उस से पहले ऋण नहीं मिल सकता। अब तक पश्चिम बंगाल की सरकार ने 18 करोड़ रुपया लगाया है। अब वह और चावल नहीं खरीद सकती।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य नियम 58(6) के बारे में मेरी तसल्ली करायें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह एक विशिष्ट समस्या है और हम सरकार को निन्दित करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यहां यही तर्क दिया गया है कि वह एक सामान्य चर्चा होगी और यह एक खास समस्या है। क्या सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट की जा सकती है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मिट्टी के तेल की सप्लाई की स्थिति के बारे में मेरे सहयोगी सम्बद्ध मंत्री बता चुके हैं। जहां तक चावल का सम्बन्ध है पश्चिमी बंगाल की सरकार को बता दिया गया है कि 1966 में एक लाख मेट्रिक टन चावल मिल सकेगा और शेष उसे अपने साधनों से लेना होगा, विशेषकर जब कि वहां पर उत्पादन अपेक्षाकृत दृष्टि से कम नहीं हुआ है। **(अन्तर्बाधाएं)** पश्चिम बंगाल के लिए 5 हज़ार मेट्रिक टन चावल पिछले माह नियत किया गया था और 15 हज़ार मेट्रिक टन इस माह में। इस प्रकार हम ने जितना चावल देने का बीड़ा उठाया था वह हम दे चुके हैं।

यही स्थिति गेहूं के बारे में भी है। हम ने जो वचन दिये थे वे हम ने पूरे किये हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : परन्तु यह तो सच है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक लाख मेट्रिक टन चावल तुरन्त देने को कहा है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुझे ऐसा नहीं कहा है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : केन्द्रीय सरकार और राज्य की सरकार, दोनों ने पश्चिमी बंगाल में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि वहां छोटे छोटे बच्चों पर गोलियां चलाई गई हैं। वहां का सामुदायिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। स्कूल बन्द हो रहे हैं। इन सब बातों के बावजूद भी सरकार आकड़े दिये जा रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के समय शायद किसी कारणवश हम सरकार की उस ढंग से निन्दा न कर सकें जिस प्रकार हम इस स्थगन प्रस्ताव के द्वारा करना चाहते हैं। चूंकि केन्द्रीय सरकार अनाज और मिट्टी के तेल के मामले में असफल रही है।

श्री रंगा : पिछले अधिवेशन के दौरान भी पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्य मिट्टी के तेल की संभावित कमी की चर्चा करते रहे और चेतावणी देते रहे। उन सब के बावजूद भी आज यह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। मेरा निवेदन है कि यदि आप खाद्यान्न के विषय में चर्चा के लिए अनुमति न भी दें तो मिट्टी के तेल के बारे में चर्चा विशेष रूप से अवश्य होनी ही चाहिए। चुँकि इस मामले में सरकार स्पष्टतः असफल रही है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मेरा पहला निवेदन तो यह है कि इस से पहले केरल के बारे में स्थगन प्रस्ताव के लिए आप ने अनुमति दी थी। सार्वजनिक महत्व के एक साधारण मामले की भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने तक के लिये स्थगित करना अनुचित बात होगी। दूसरी बात यह है कि अभिभाषण पर चर्चा के नाम पर स्थगन प्रस्ताव पेश करने के हमारे विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। तीसरी बात यह है कि खाद्यान्न के मामले में यह सरकार असफल रही है और हम चाहते हैं कि यह तथ्य सभा के ध्यान में लाया जाय। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस के लिए अनुमति दी जाय।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थगन प्रस्ताव के बारे में चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : हमें कुछ नयी बातें कहनी हैं।

Shri Hukum Chand Kachhavaiya (Devas) : None has been given a chance from my party.

अध्यक्ष महोदय : मैं ने प्रायः देखा है कि जब कभी भी विरोधी दल के पक्ष की बात करता हूं तब भी बाधायें डाली जाती हैं। केरल खाद्य स्थिति का पूर्वोधारणा यहां नहीं दिया जा सकता क्यों कि उस समय हमें मालूम नहीं था कि अभिभाषण पर चर्चा हम कब करने जा रहे हैं। परन्तु अब हम जानते हैं कि अभिभाषण पर चर्चा कल शुरू होगी। फिर भी, चुँकि यह स्थिति वास्तव में गम्भीर है इसलिए मैं श्री स० मो० बनर्जी से कहूंगा कि वह सभा की अनुमति मांगे।

Shri Madhu Limaye : Kerosene oil problem is not confined to West Bengal alone. Therefore you kindly allow Shri Banerjee to make appropriate changes in his Adjournment Motion. We have also given notice of an Adjournment Motion.

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं वे कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाय।

I see that only 37 Members have risen. Because 50 Members have not stood up it cannot be allowed to be taken up.

श्री स० मो० बनर्जी : कुछ माननीय सदस्य उठ कर बाहर गये हैं। मेरा निवेदन है कि आप हमे बाद में लें।

अध्यक्ष महोदय : क्या सदस्यों को लाने के लिए मैं स्वयं बाहर जाऊं? क्या ऐसा कोई नियम है? इस के अतिरिक्त कुछ और स्थगन प्रस्ताव भी हैं परन्तु उन विषयों पर अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विचार होगा।

श्री हेम बरुआ : नागा विद्रोहियों के साथ वार्ता के बारे में वक्तव्य की क्या स्थिति है?

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री 3 बजे वक्तव्य देंगी।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE : QUESTION OF PRIVILEGE-*Contd.*

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : I had written to you about a question of breach of previlege.

Mr. Speaker : I have written to the newspaper concerned. Let me receive a reply and I will inform you about that.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नौ-सेना (वेतन तथा भत्ते) विनियम

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : मैं श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से नौ-सेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौ-सेना (वेतन तथा भत्ते) विनियम, 1966 की, जो दिनांक 5 जनवरी, 1966, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०आर०ओ० 1-ई में प्रकाशित हुये थे, एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5492/66।]**

भारत के स्थल-सेनाध्यक्ष और पाकिस्तान सेना के मुख्य सेनापति के बीच हुई चर्चा का अभिलेख

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): मैं श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से भारत के स्थल-सेनाध्यक्ष और पाकिस्तान सेना के मुख्य सेनापति के बीच 9 तथा 10 फरवरी, 1966 को रावलपिंडी में हुई चर्चा के अभिलेख की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5493/66।]**

प्रसारण और सूचना माध्यम संबंधी समिति के (1) सीमावर्ती देशों के लिये रेडियो कार्यक्रम (कवरेज) (2) ग्रामीण क्षेत्रों के लिये प्रसारण, और (3) भारत के लिये सचित्र रेडियो (टेलीविज़न) संबंधी प्रतिवेदन

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिरामन) : मैं श्री राज बहादुर की ओर से प्रसारण और सूचना माध्यम संबंधी समिति, जिसके अध्यक्ष श्री अ० कु० चन्दा हैं, द्वारा सरकार को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये रेडियो कार्यक्रम (कवरेज) **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5494/66।]**

(दो) ग्रामीण क्षेत्रों के लिये प्रसारण और **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5495/66।]**

(तीन) भारत के लिये सचित्र रेडिओ (टेलीविज़न) **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5496/66।]**

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं इस बारे में स्पष्टीकरण के लिये यह पूछना चाहता हूं कि क्या समिति ने अभी और भी प्रतिवेदन पेश करने हैं ? अब चूंकि सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये रेडियो कार्यक्रम के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, क्या सभा को यह विश्वास दिलाया जा सकेगा कि चीनी प्रचार का मुकाबला करने के लिये अब अखिल भारतीय रेडियो अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करेगा ।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में क्या अश्वासन दिलाया जा सकता है ?

श्री हरि विष्णु कामत : क्या और प्रतिवेदन पेश किये जायेंगे ?

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : जी हां ।

श्री पट्टाभिरामन् : मेरे विचार में उपमंत्री.....

अध्यक्ष महोदय : सभा को यह सूचना तीन बजे तक अवश्य दी जानी चाहिए ।

समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार का वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मैं भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार के वार्षिक प्रतिवेदन, 1965 (भाग II) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 5497/66]**

लोक-लेखा समिति

सैंतिसवा प्रतिवेदन

Public Account Committee
Thirty Seventh Report

श्री मुरारका (झुंझनू) : प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लोक-लेखा समिति (1964-65) ने 19 अप्रैल, 1965 की अपनी बैठक में लेखा परीक्षा प्रतिवदन (सैनिक सेवायें), 1964 के पैरा 12, 13, 14 और 28 के संबंध में अपने 37 वें प्रतिवेदन का अनुमोदन किया था । 28 अप्रैल, 1965 की हुई समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया था कि सीमा की स्थिति को ध्यान में रखते हुये प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को स्थगित कर दिया जाये । 20 जनवरी, 1966 की हुई बैठक में समिति ने निर्णय किया था कि चूंकि सीमा की स्थिति में परिवर्तन हो गया है अतः प्रतिवेदन सभा में पेश किया जा सकता है ।

इसलिए मैं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सैनिक सेवायें), 1964, के पैरा 12, 13, 14 और 28 के संबंध में लोक-लेखा समिति का 37 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री मुरारका ने कहा है कि सीमा को अशांत स्थिति के कारण प्रतिवेदन को लोकहित में पेश नहीं किया गया था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या समिति के इस प्रतिवेदन में एवरो 748 (Avro 748) के संबंध में समिति के निष्कर्ष भी शामिल हैं, अथवा उन्हें निकाल निकल दिया गया है ?

श्री मुरारका : प्रतिवेदन के एक पैरा में एवरो 748 (Avro 748) का विस्तारपूर्वक जिक्र किया गया है ।

ताशकंद घोषणा के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE : TASHKENT DECLARATION—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वर्ण सिंह द्वारा 16 फरवरी, 1966 को प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा, "कि ताशकंद घोषणा पर विचार किया जाये" ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : As the Late Prime Minister had participated in the deliberations at Tashkent and he had signed the agreement there, it is more appropriate that the reply might be given by the Prime Minister herself.

श्री हरि विष्णु कामत : उन्हें कम से कम सभा में उपस्थित तो होना चाहिये ।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : As the Tashkent agreement is a very important document and the late Prime Minister has signed it, it would be desirable that the reply is given by the Prime Minister.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, तथा मैं चाहता हूं कि सभा की यह इच्छा कि प्रधान मंत्री इस बारे में वक्तव्य दें, प्रधान मंत्री तक पहुंचा दी जानी चाहिये । श्री स्वर्ण सिंह का पूर्ण सम्मान करते हुये हम इच्छा प्रकट करते हैं कि ताशकंद घोषणा के बारे में प्रधान मंत्री सभा में वक्तव्य दें ।

अध्यक्ष महोदय : यह निर्णय करना सरकार का काम है । सभा की यह इच्छा प्रधान मंत्री को पहुंचाई जानी चाहिये ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I want to point out that the Prime Minister was not present in the House, when the motion that Tashkent declarations may be considered, was moved. She has not intervened the debate and she is also absent when Shri Swaran Singh is replying the debate "Tashkent declarations."

Mr. Speaker : I agree with you. Your wish will be communicated to her. But should I tell the Hon. Minister not to reply ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : Sir, as you know she was present here and she has to give a statement at 12.30. But as you know sometimes it becomes impossible to predict about the proceedings of the House, it has not been possible for her to give a reply by 12.30. She has gone out to attend a lunch with the Prime Minister of Hungary, which was previously fixed. She has also requested you to be excused for her absence.

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि ताशकंद घोषणा का समर्थन न केवल सत्ताधारी दल के सदस्यों ने किया है, बल्कि विरोधी दल के सदस्यों ने भी इसका पूर्ण समर्थन किया है । इससे यह प्रकट होता है कि हमारे दल इस प्रश्न को राष्ट्रीय प्रश्न समझते हैं ।

माननीय सदस्यों ने ताशकंद घोषणा के पक्ष में जो तर्क पेश किये हैं, उससे मेरा उत्तर देने का कार्य बहुत हल्का हो गया है तथा आलोचक सदस्यों के संदेह को बहुत हद तक दूर कर दिया गया है ।

माननीय सदस्यों ने यह इच्छा प्रकट की है कि ताशकंद घोषणा पर प्रधान मंत्री वक्तव्य दें । मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि माननीय सदस्यों की यह इच्छा प्रधान मंत्री तक पहुंचा दी जायेगी । तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते समय वह ताशकंद घोषणा के बारे में सरकार की नीति तथा अपने विचारों का उल्लेख भी कर सकती हैं ।

हाजीपीर, टिथवाल और कारगील से सशस्त्र सैनिकों की वापसी के प्रश्न के बारे में विभिन्न मत प्रकट किये गये हैं तथा कुछ माननीय सदस्यों ने इस की आलोचना भी की है । घुसपैठियों का प्रश्न भी उठाया गया है । वास्तव में ये दोनों प्रश्न आपस में संबंधित हैं तथा मैं इन दोनों का उल्लेख करूंगा ।

[श्री स्वर्ण सिंह]

भारतीय सेना कारीगल, हाजीपीर तथा टिथवाल में कुछ विशेष उद्देश्यों को सामने रख कर भेजी गई थी। बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठिया सीमा के उस पार से जम्मू तथा काश्मीर के उस क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे थे जो प्रशासनिक तथा हर दृष्टि से हमारे अधीन है। इस मामले की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान दिलाया गया तथा उन्हें बताया गया कि इन घुसपैठियों के कारण स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। परन्तु पाकिस्तान सरकार ने घुसपैठियों की कोई जिम्मेदारी अपने उपर लेने से इंकार कर दिया। इन परिस्थितियों में हमारे लिये यह आवश्यक हो गया कि घुसपैठियों को रोकने के लिये रक्षात्मक कदम उठाये जायें। अतः भारतीय सेना को टिथवाल तथा हाजीपीर को भेजी गई।

इन घुसपैठियों की विध्वंसक तथा भड़काने वाली कार्यवाइयों से लद्दाख में हमारी संचार व्यवस्था को लगातार खतरा उत्पन्न हो गया था। इस लिये हमारी सेनाएं हाजीपीर गई।

इन क्षेत्रों से सेनाओं की वापसी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्णतया गंभीर मामला है। यह स्वीकार करने से पहले कि सेनाओं को वापस बुलाया जाये हम ने इस बात को पूर्णतः सुनिश्चित कर लिया है कि जिन उद्देश्यों के लिये भारतीय सेनाएं वहां भेजी गई थी, वह पूरे हो गये है। समझौते के अन्तर्गत पाकिस्तान ने तीन शर्तों को स्वीकार किया है। पहले दोनों देश इस बात पर सहमत हो गये है कि आपसी मामलों के निपटारे के लिए बलप्रयोग न किया जाए। दूसरे दोनों देश युद्ध-विराम रेखा पर युद्ध-विराम की शर्तों का समान करने को सहमत हुये है तथा तीसरे यह निर्णय किया गया है एक दूसरे के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप न किया जाये। हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है क्योंकि पाकिस्तान ने किसी भी झगड़े के हल के लिये बल-प्रयोग न करना स्वीकार कर लिया है और सशस्त्र घुसपैठियों को भेजना साफ तौर पर बल का ही प्रयोग है। अतः किसी भी तर्क से यह उचित नहीं ठहराया जा सकता कि एक देश को दूसरे देश के क्षेत्र में सशस्त्र घुसपैठिये भेजने का अधिकार है। यह एक बिल्कुल भिन्न प्रश्न है कि पाकिस्तान इस समझौते का सम्मान करेगा अथवा नही।]

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : पाकिस्तान ने यह स्वीकार नहीं किया है कि काश्मीर भारत का भीतरी मामला है। राष्ट्रपति अयूब तथा श्री भुत्तो ने यह स्पष्ट कर दिया है।

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक सर्वथा भिन्न प्रश्न है। पाकिस्तान ने यह भी तो नहीं कहा है कि क्योंकि वे काश्मीर को भारत का आन्तरिक मामला स्वीकार नही करते अतः उन्हें वहां घुसपैठिये भेजने अथवा बल प्रयोग करने का अधिकार है। हमें पाकिस्तान का यह तर्क कि जम्मू तथा काश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, बिल्कुल मान्य नहीं है तथा जम्मू व काश्मीर के किसी क्षेत्र में घुसपैठियों को भेजना और किसी आन्दोलन आदि को सहायता देना हस्तक्षेप समझा जायेगा।

श्री हेम बरुआ : हम कहते रहे है कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तथा यह हमारा आन्तरिक मामला है। जब काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और आन्तरिक मामला है तो इसकी ताशकंद में चर्चा क्यों की गई ?

श्री स्वर्ण सिंह : श्री हेम बरूआ ने कहा है कि यदि काश्मीर भारत का आन्तरिक मामला है तो इस के बारे में चर्चा क्यों की गई ? ताशकंद में जम्मू तथा काश्मीर के बारे में हुई बातचीत के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बातचीत नहीं थी परन्तु इस बारे में अपनी स्थिति को स्पष्ट किया गया था। इस संदर्भ में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री शास्त्री ने इस सभा में यह स्पष्ट किया था कि मैं ताशकंद काश्मीर पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। ताशकंद में भी स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री अयूब खां को स्पष्ट शब्दों में बताया था कि जम्मू तथा काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तथा इस बारे में चर्चा नहीं की जा सकती। जैसा कि विदित है पाकिस्तान के राष्ट्रपति तथा विदेश मंत्री ने अपना

वही मत दोहराया था कि काश्मीर में जनमतसंग्रह होना चाहिये। परन्तु हमने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट की थी कि जम्मू तथा काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। जम्मू तथा काश्मीर के बारे में हम अपनी स्थिति पर अडिग रहे हैं तथा पाकिस्तान को इस बारे में कोई शंका नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार की शंका करना बुद्धिमत्ता नहीं है।

ताशकंद समझौते से यह स्पष्ट प्रतिबिंबित होता है कि जम्मू तथा काश्मीर के बारे में हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अतः भारत के प्रधान मंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात के उत्सुक थे कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच अच्छे पड़ौसियों के संबंध स्थापित किये जाये। वे चाहते थे कि शांति स्थापित की जाये। उनके सामने दोनों दशों के लोगों की खुशहाली तथा शांतिकी बात थी। अतः वे जम्मू तथा काश्मीर के प्रश्न पर पूर्ण असहमत होते हुये भी इस बात पर सहमत हुये थ कि शांति स्थापित की जाये। इसका यह अर्थ निकालना कि काश्मीर के बारे में हम ने अपनी नीति में कोई परिवर्तन किया है उचित नहीं है। घुसपैठियों के संबंध में हमारी सुरक्षा सेनाओं ने कड़ी कार्यवाही की है तथा कारगर कदम उठाये है। इस बारे में जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने तथा वहां के लोगों ने पूर्ण सहयोग दिया है। अतः हम उन के कृतज्ञ हैं। लोगों की सहायता से बहुत से घुसपठियां पकड़े गये और इसी कारण क्योंकि हमें लोगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त था वे अपने इरादों में सफल नहीं हो सके।

हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली है कि उन्होंने घुसपैठियों की सीमा के इस पार भेजा था तथा उन्होंने सदा यही कहा है कि इन घुसपैठियों से उनका कोई संबंध नहीं है, फिर भी हमारे पास इस बात की निश्चित जानकारी है कि युद्ध-विराम के पश्चात उन्होंने घुसपैठियों को वापस आने को कहा है और उनमें से अधिकांश सीमा के उस पार चले गये हैं। युद्ध-विराम के बाद भी हमारी सेनाओं ने घुसपठियों को खदेड़ने की कार्यवाही जारी रखी है क्योंकि प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट किया था कि युद्ध-विराम के बाद भी उस क्षेत्र में शांति बनाये रखना हमारा आन्तरिक मामला है तथा जिस तरह हम चाहें घुसपैठियों से निपट सकते हैं। कुल घुसपठियों में से अधिकांश वापस खदेड़ दिये गये हैं। उनमें से कुछ मारे गये है तथा कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कहना संभव नहीं है कि कितने घुसपैठिये अभी तक मौजूद हैं। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि जो बच गये हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। यदि मुझे यह पता हो कि बचे हुये घुसपैठिये कहा है, तो उन्हें पकड़ा जा सकता है तथा उन्हें गोली का निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि किसी को भी बिना आज्ञा सीमा के इस पार आने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि पाकिस्तान यह कभी स्वीकार नहीं करेगा कि उन्होंने घुसपैठियों को भजा था तथा वापस बुलाया है, परन्तु हमें निश्चित जानकारी है कि ये घुसपैठिये पाकिस्तान द्वारा भेज गये थे और पाकिस्तान ने उन्हें वापस आने का आदेश दिया है। अतः एक तरफ तो वे स्वयं वापस जाना चाहते थे। उनके हौसले पस्त थे। वे कोई कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं थे तथा दूसरी ओर हमारी सेनाओं ने उन पर दबाव डाला। हमारी सशस्त्र सेनाओं के दबाव तथा उन के वापस लौटने की इच्छा दोनों के ही परिणाम निकले हैं। ऐसे मामलों में हमें परिणामों को देखना चाहिये और इस बात पर जोर नहीं देना चाहिये कि इसके बारे में सार्वजनिक घोषणा हो कि उनको वापस बुलाया गया है। पाकिस्तान यह सार्वजनिक घोषणा कभी नहीं करेगा कि उसने उनको वापस बुलाया है, क्योंकि वह तो यह भी नहीं मानता कि उसने उन्हें भेजा था, परन्तु तथ्य यह है कि उसने उन्हें वापस बुलाया है।

बल का प्रयोग न करना, आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, युद्ध-विराम की शर्तों तथा युद्ध-विराम रेखा का पालन करना आदि बातों को स्वीकार कर लिया गया है। सशस्त्र सैनिकों को युद्ध-विराम रेखा के इस पार भेजना युद्ध-विराम रेखा तथा इस की शर्तों का साफ तौर पर उल्लंघन है। हम पूरी तरह सन्तुष्ट है कि इस के बाद घुसपैठियों के बारे में प्रश्न उठने की सम्भावना नहीं है और यह समझौते में भी शामिल है। इसके पश्चात ही हम हाजीपीर और टिथवाल के क्षेत्रों से वापस लौटने के बारे में सहमत हुये हैं क्योंकि इन रास्तों पर हमने कब्जा घुसपैठियों को रोकने के लिये ही किया था।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैंने आपकी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी है। पाकिस्तान ने घुसपैठिया भजे तथा फिर उनकी जिम्मेदारी से इंकार कर दिया। उन्होंने इस बात से भी इंकार किया है कि उन्होंने घुसपैठियों को वापस बुलाया है। अतः वे फिर भी घुसपैठियों को भेज सकते हैं और समय आने पर उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से मुकर सकते हैं। इस बात से हर भारतीय चिन्तित है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या रक्षात्मक कार्यवाही की है जिस की कारण इस प्रकार की घटनाएं फिर न हों ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक भिन्न प्रश्न हैं, मैं उसका भी उत्तर दूंगा। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि समझौते की शर्तों का पालन किया गया तो घुसपैठियों के भेजने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण तथा व्यवहारिक प्रश्न है कि यदि वे समझौते की शर्तों का पालन नहीं करते तो क्या गारंटी है कि घुसपैठिये नहीं भेजे जायेंगे तथा उन्हें शर्तों का पालन करने को बाध्य किया जायेगा। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यदि वे इन शर्तों का पालन नहीं करते और कुछ अन्यथा कार्यवाही करते है तो यह समझौते की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन होगा। तब एक नई स्थिति उत्पन्न होगी और हम उस स्थिति का मुकाबला करने के लिये कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। मैं सभा से निवेदन करता हूं कि इस बात पर ध्यान दिया जाये कि समझौता बिल्कुल स्पष्ट है। अतः यदि वे समझौते की शर्तों का पालन करते हैं तो इसकी शर्तों के अन्तर्गत घुसपैठियों का प्रश्न भी आ जाता है। परन्तु यदि वे शर्तों का पालन नहीं करते तो हमारी शक्ति तथा घुसपैठियों से निपटने की हमारी क्षमता ही एकमात्र हमारी गारंटी है। हमारी गारंटी हमारी शक्ति है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

घुसपैठियों को भेजना स्पष्ट तया हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना है। युद्ध-विराम रेखा के पार सशस्त्र सैनिकों का भेजना युद्ध-विराम संबंधी शर्तों का उल्लंघन है।

श्री नाथ पाई का यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बात की क्या गारंटी है कि घुसपैठिये फिर नहीं भेजे जायेंगे। इस के उत्तर में मैं कहूंगा कि इसकी गारंटी हमारी शक्ति है। यदि वे फिर आये तो उन्हें गोली मार दी जायेगी। यही सब से बड़ी गारंटी है। आखिर पाकिस्तान ने घुसपैठिये भेज कर क्या प्राप्त किया है सिवाय इसके कि अपने हजारों लोगों की जान गंवाई। अतः भविष्य में पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा। पाकिस्तान जम्मू तथा काश्मीर में अपने इरादों में सफल नहीं हुआ है।

अन्त में समझौते की शर्तें ऐसी है जिस में सब बातें आ जाती है। 5 अगस्त की तारीख महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन घुसपैठ आरम्भ हुई थी। 5 अगस्त से पहले के स्थानों पर सभी सशस्त्र सैनिकों को वापस बुलाने में निश्चित रूप से घुसपैठिये भी आ जाते हैं।

मुझे खेद है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यह कहा जा रहा है कि ऐसा प्रतित होता है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री पर कुछ दबाव डाला गया। यह एक बहुत अनुचित बात है कि भारत का कोई नागरिक यह सोचे कि हमारे प्रतिनिधि मंडल ने, जिसने वहां बहुत कठिन कार्य किया है, देश के हितों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है।

श्री लाल बहादुर शस्त्री के साथ जिनका सम्पर्क था, मैं और मेरे साथी श्री चव्हाण तथा प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्य यह कह सकते हैं कि दिल्ली में किये जाने वाले उनके दैनिक कार्य की तुलना में ताशकंद में उन पर कार्यभार कम था। यहां उन्हें अपने प्रशासनिक कार्य के अतिरिक्त बहुत से अन्य कार्य जैसे विपक्षी दल के नेताओं से मिलना तथा अन्य सब वर्गों के बहुत से व्यक्तियों से मिलना आदि थे और वह बहुत व्यस्त रहते थे।

यह धारणा बिल्कुल निराधार है कि समझौता करवाने के लिये सोवियत नेताओं ने कोई दबाव डाला है। सोवियत नेताओं ने जो रवैया अपनाया वह उन्होंने हमारी स्थिति को समझ कर ही अपनाया था। वे हमारी बात अच्छी तरह से समझते थे। वे बिल्कुल निष्पक्ष थे। यह सुझाव कि उन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई दबाव डाला था, सर्वथा गलत है। हम रूसी नेताओं से इस बात के लिये आभारी हैं कि उन्होंने इतनी सूझबूझ से काम लिया। श्री शास्त्री स्थिति के बारे में पूर्णतया जागरूक थे। यह सुझाव कि उन्होंने किसी परिस्थितिवश दबाव अथवा अन्य कारण से ऐसा रवैया अपनाया सर्वथा गलत है। श्री शास्त्री जी ताशकंद राष्ट्र नामक के रूप में गये थे। उन्हें सारे देश का समर्थन प्राप्त था तथा उनकी सेना स्यालकोट और लाहौर के पास पाकिस्तान की सीमा में जमी खड़ी थी। हम सब तरह मजबूत थे तथा हम पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता था। यदि कोई दबाव था तो वह केवल दोनों देशों के 60 करोड़ लोगों के हित का उन की खुशहाली का दबाव था।

उनके सामने केवल शांति का प्रश्न था। कोई दबाव उन पर नहीं पड़ा था। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से शांति के लिए काम किया और करार पर हस्ताक्षर किये। पाकिस्तान के साथ जो हमारा सशस्त्र संघर्ष हुआ, उसका हमने सफलता से मुकाबला किया। उसमें हमारा उद्देश्य इतना ही था कि हम अपने आक्रमण का मुंह तोड़ उत्तर दे। वह हमने किया। ताशकंद में जो करार हुआ है, उसका संसार के सारे देशों ने स्वागत किया है। केवल चीन ही एक ऐसा देश है जिसे यह करार पसन्द नहीं आया। उसे शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धान्त ही पसन्द नहीं। वह नहीं चाहता कि शांति से बातचित द्वारा मतभेद दूर किये जाय। उनका विचार है कि रूस, भारत और पाकिस्तान को निकट लाकर उसी सिद्धान्त को संसार में स्थापित करना चाहते हैं जिसके वे घोर विरोधी है। दुःख की बात यह है कि चीन युद्ध में विश्वास रखता है। ताशकंद करार चीन की नीति पर एक गहरी चोट है, और उस सिद्धान्त का पक्षिक है जिस पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित करना सम्भव है।

मेरा निवेदन यह है कि जो कुछ हमने कहना था, कह दिया है, अब हमें इस करार का समर्थन करना चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि इस दिशा में कठिनाइयां है। फिर भी मेरा कहना है कि यदि शांति से दोनों देशों की समस्या हल हो सके तो इसका परीक्षण किया जाना चाहिए।

मेरा यह भी निवेदन है कि मैं सारे संशोधनों का विरोध करता हूं। केवल श्री कृ० च० पत्र का संशोधन मुझे स्वीकार है।

श्री नाथ पाई : मैं यह बात वैदेशिक-कार्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्योंकि वह बार बार कह रहे हैं कि कोई दबाव नहीं पड़ा है, किस प्रकार हमारे इतने ईमानदार प्रधान मंत्री यह बात भूल गये कि उन्होंने संसद सदस्यों से यह बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कही थी कि हम किसी भी कीमत पर हाजीपीर और टिथवाल नहीं छोड़ेंगे। क्या बात थी कि वह अपना दिया हुआ वचन भूल गये ?

श्री स्वर्ण सिंह : श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के वक्तव्यों का बहुत से माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है। यह ठीक है परन्तु उन्होंने यह भी कहा था कि यदि पाकिस्तान शांति का मार्ग अपना लेगा तो हम भी उसका समुचित उत्तर देंगे। बस, पाकिस्तान ने शांति से चलने का आश्वासन दिया तो हमने भी उसका उत्तर दिया। पुरानी बातों पर अड़े रहने का फिर कोई प्रश्न ही नहीं था।

श्री बड़े : बहुत से माननीय सदस्यों ने पाकिस्तान के नेताओं के भाषणों को पढ़ कर सुनाया है, जो उन्होंने ताशकंद करार पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद दिये हैं ? क्या सरकार ने उसके बारे में उन्हें लिखा है कि इससे उनके बारे में सन्देह उत्पन्न हो गये हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : सन्देह का कोई प्रश्न नहीं है, यदि दोनों देश अपने अपने करार पर कायम रहे तो घुसपैठिये भेजने का कोई प्रश्न नहीं है और सन्देह की भी कोई गुंजाइश नहीं। यह भी मैंने स्पष्ट कर दिया है कि काश्मीर के बारे में हमने अपनी स्थिति सदर अयूब पर स्पष्ट कर दी थी।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : After his return from Tashkent President Ayub Khan in his Id message clearly stated that Kashmiries should continue their liberation struggle and Pakistan will help them. If Pakistan interferes in our affairs like this, it will amount to interference in our internal matters and consequently violation of the Tashkant Agreement. I want to know how India would check this type of Pakistans violations'?

Another thing which I want to ask is as you are limiting the number of our troops in Jammu and Kashmir, whether there is another agreement which has not yet been divulged out?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस तरह की बात का बड़ा जोरदार शब्दों में प्रतिवाद करता हूं। ताशकन्द करार के अतिरिक्त हमने और कोई समझौता पाकिस्तान सरकार से नहीं किया है। हमने कोई गोपनीय समझौता किया है, यह बात बिल्कुल अनुचित है। यदि घुसपैठिये आये तो यह समझौते का उल्लंघन होगा।

Shri Prakash Vir Shastri: If this is done then Kosigin will interfere ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमें अपनी शक्ति पर आश्रित रहना चाहिए, किसी सहायता पर नहीं रहना चाहिए।

श्री त्यागी : 'सशस्त्र लोग' इसका जो अर्थ ऊ थान्ट ने लगाया था उसे हमने स्वीकार किया है। और समझौते पर हस्ताक्षर करने के तीन घंटे के बाद ही पाकिस्तान की ओर से यह कहा गया कि सशस्त्र सेनाओं में घुसपैठिये शामिल नहीं है और काश्मीर का क्षेत्र विवादस्पद क्षेत्र है। उन्होंने उन हजारों घुसपैठियों का उत्तरदायित्व लेने से इन्कार कर दिया जो हमारे देश में घुस आये थे। इसका मतलब तो यह है कि वे अब भी आ सकते हैं जिसे आप गैर-पाकिस्तानी घुसपैठिये कह सकते हैं। क्या समझौते पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उन्होंने कह दिया था कि जो भारत में इस समय घुसपैठिये हैं, उनकी वह जिम्मेदारी नहीं लेते ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्यों को कहूंगा कि उन्हें अखबारी रिपोर्टों पर नहीं जाना चाहिए। वक्तव्यों की परस्पर विरोधी रिपोर्टें अखबारों में छपी है। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि उन्हें घुसपैठियें भेजने का हक है। उन्होंने घुसपैठियों को भेज कर फिर उनकी जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया। इसका समझौते के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It was stated by the Minister for External Affairs that Khan Abdul Ghaffar Khan has been invited by us and we are willing to help his fight for Pakhtoonistan. Whether we will be able to implement that assurance in view of this Tashkent Agreement. This question should be replied.

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या एक माननीय सदस्य ऐसा कर सकता है कि...

Shri Madhu Limaye : Please quote Rule.

उपाध्यक्ष महोदय : वह नियम बताइये जिसके अनुसार आप औचित्य का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : नियम 349।

उपाध्यक्ष महोदय : इस का सभी को पालन करना होता है। कृपया आप बैठ जाइये। श्री मौर्य।

श्री मौर्य : "मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगा"।

It has been said in our Constitution. Now when a Cabinet Minister has said in Agra that Kashmir problem can be solved by dividing the Valley, is he voicing the views of the Cabinet ? If so, the position ought to be made clear and if not, what action is proposed to be taken against that Minister ?

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : Our policy about Kashmir is well known to all. There is no secret about it.So far as the statement given by Shri Jagjivam Ram is concerned, such an issue was raised at a particular time and Pakistan had rejected that view. Since then that issue has not been touched. We had also agreed neither to raise the same nor to accept that.

उपाध्यक्ष महोदय : 11 स्थानापन्न प्रस्ताव हैं। स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1, 6, 7, 8 और 11 इस के निरनुमोदन के बारे में हैं। आप इन में से एक चुन लें और अन्य प्रस्ताव नियम बाह्य हो जायंगे।

श्री बड़े : संख्या 6।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 6 सभा के मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1, 7, 8 और 11 नियम बाह्य हो गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 सभा के मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 5, 10, 12 और 13 सभा के मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री कृ० चं० पंत का स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 9 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात् :

"कि यह सभा ताशकन्द घोषणा पर विचार करने के बाद उसके प्रति भारत सरकार के रुख का अनुमोदन करती है।""

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। *The Motion was adopted.*

श्री बड़े : आज का दिन जब यह प्रस्ताव पास किया गया है संसद् के इतिहास में सब से अफसोसनाक दिन माना जायगा। हाजीपीर, तिथवल, कारगिल और उरी पुंछ से अपनी सेनायें हटाने से चीन और पाकिस्तान से खतरा पैदा हो जायगा। सरकार पश्चाताप करेगी और देश को हानी होगी। इसके विरोध में हम सभा का त्याग करते हैं।

इसके पश्चात् श्री बड़े और कुछ अन्य सदस्य सभा से उठ कर बाहर चले गये। /*Shri Bade and some other Members then left the House.*

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव

MOTION ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

"**श्री शिवाजीराव शं० देशमुख :** मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि राष्ट्रपति की सेवामें इन शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो कि उन्होंनें 14 फरवरी, 1966 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।" "

मैं यह प्रस्ताव दुखी दिल के साथ पेश कर रहा हूं चूंकि इस अभिभाषण में हमारे आदरणीय नेता श्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन का भीं उल्लेख किया गया है। श्री शास्त्रीजी के निधन से एक ऐसा स्थान खाली हो गया है जो भरा नहीं जा सकता। मैं उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनको श्रद्धांजली अर्पित करता हूं। उन्होंने शांति की देवी को जो सब से बड़ी कुरबानी दी है संसार भर में उस की प्रशंसा होगी।

ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर कर के भारत ने अपने पड़ोसी देश के साथ मित्रता का और सद्भावना का एक नया अध्याय खोला है। इस् समझौते में 5 अगस्त, 1965 की तिथि का उल्लेख महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी तिथि से पाकिस्तान ने आक्रमण करना आरम्भ किया था। इस प्रकार संसार भर ने पाकिस्तान को आक्रमक माना है। इसके अतिरिक्त, ताशकन्द वार्ता के समय काश्मीर के बारे में चर्चा इसलिए की गई कि भारत और पाकिस्तान सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सहमत हो गये थे। काश्मीर के बारे में इसी पृष्ठभूमि में चर्चा की गयी जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि काश्मीर के बारे में हमारी नीति में कोई अन्तर नहीं आया है। काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसके भविष्य के बारे में सौदेबाजी नहीं की जायगी।

इस समझौते की सब से सफलता यह है कि पाकिस्तान ने बल का प्रयोग न करने का बीड़ा उठा लिया है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, ताशकन्द समझौते के कारण हमें समय मिल गया है। हमें रक्षा संबंधी तैयारियां करनी चाहिएं और जो समय मिला है उसका फायदा उठाना चाहिए। जो लोग यह समझते हैं कि पाकिस्तान इस समझौते का पालन नहीं करेगा उन्हें भी समझ लेना चाहिए कि हमें अपनी ताकत बढ़ाने का अवसर तो मिल ही गया है। इस दृष्टि से यह समझौता हमारे लिए लाभप्रद है।

यह सही है कि पाकिस्तान करगिल आदि चौकियों से हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है परन्तु हमें विश्वास है अपनी सेना की शक्ति पर। और निश्चय ही हमारी सेना किसी भी खतरे का सामना करने के लिए सक्षम है : एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि हमारे लिए दो शत्रुओं के साथ मुकाबला करना बहुत कठिन है। इस दृष्टि से भी यदि पाकिस्तान के साथ समझौता हो गया है तो हमारे लिए यह अच्छी बात ही है।

इस बारे में भी शंकायें व्यक्त की गई हैं कि हम काश्मीर में अपनी सैनिक शक्ति को कम करके उसे 1949 की स्थिति के अनुसार ला रहे हैं। परन्तु यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि हमारी जो सेनायें चीन की सीमा पर मौजूद हैं उन में कमी नहीं की जायगी। इस प्रकार पाकिस्तान ने पहली बार माना है कि चीन का मुकाबला करने के लिए लदाख में भारतीय सेना शक्ति का होना अनिवार्य है। यह भी हमारी सफलता है। पाकिस्तान चूंकि इस बात पर सहमत हो गया है कि चीन का मुकाबला करने के लिए हमें अपनी शक्ति वहां बढ़ानी चाहिए, इसलिए यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान और चीन के सम्बन्धों में भी तब्दीली आ गयी है और हमें इस का पूरा लाभ उठाना चाहिए।

पाकिस्तान के विरोधी पक्षों की यह शिकायत है कि पाकिस्तान ने काश्मीर के विवाद के हल के लिए उचित व्यवस्था किये बगैर बल प्रयोग न करने की बात कैसे मान ली। इससे भी यही सिद्ध होता है कि पाकिस्तान ने परोक्ष रुप से मान लिया है कि काश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। यह भी भारत को एक सफलता है।

"सशत्र कर्मचारी" और "5 अगस्त, 1965" शब्दों का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् के संकल्प में भी किया गया है। यह बात सभी ने मानी है और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इस बारे में आश्वासन भी दिया है कि "सशस्त्र कर्मचारियों" में घुसपैठिये शामिल है चाहे वे वर्दी में हों चाहे बिना वर्दी के। इसलिये इस बारे में शंका की कोई गुंजायश नहीं है।

श्री कोसिगिन ने जो पार्ट अदा किया है उसके लिए मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। उनके लिए यह दोहरी राजनयिक सफलता है। एक यह कि यह बात सिद्ध हो गयी है कि रूस एक एशियाई शक्ति है। दूसरी यह कि उन्होंने पाकिस्तान को चीन से अलग करने की बात शुरू की है और किसी सीमा तक पाकिस्तान की अमरीका से अलग करने की बात भी शुरू की है। राजनयिक दृष्टि से आज पाकिस्तान उस प्रकार चीन के साथ नहीं है जिस प्रकार वह पहले था।

ताशकन्द में जो कुछ हुआ उस से चीन खुश नहीं हुआ है। बल्कि उसने इस समझौते पर, संयत रूप से, खेद भी व्यक्त किया है। मेरे विचार में, जहां तक पाकिस्तान और चीन के सम्बन्धों का प्रश्न है चीन का उस समझौते से बहुत बड़ा, राजनयिक धक्का पहुंचा है।

हमारे जवानों ने भारतीय सशस्त्र सेना के इतिहास में एक नया अध्याय खोला है। भारत पाक संघर्ष के समय उन्होंने महान काम कर दिखाया है। परन्तु अभी वे चीनी सेनाओं की मुकाबले में खडी है इस लिए पाकिस्तान के साथ तनाव कम कर के उनकी भी सहायता की है। ताशकन्द घोषणा का हम स्वागत करते हैं, परन्तु हमें अपने प्रतिरक्षा की तैयारी में कोई कमी नहीं करनी चाहिये क्योंकि चीन का खतरा अभी बना हुआ है।

पिछले कुछ महीनों में हमारी सीमाओं पर चीनी सेनाओं का भारी जमा हुआ है और इसके साथ साथ उनके अच्छे संचार साधनों तथा अच्छे हवाई अड्डों से यह खतरा और भी बढ़ गया है।

[श्री शिवाजीराव शं० देशमुख]

परमाणु शस्त्रों के क्षेत्र में भी चीन की शक्ति बढ़ती जा रही है। हाल ही में अमरीका के प्रतिरक्षा सचिव श्री राबर्ट मेकनामारा ने कहा था कि 1966–67 तक चीन अपने हवाई अड्डों से 800 मील की दूरी तक परमाणु बम गिराने के योग्य हो जायेगा। चीन की वर्तमान अणु विस्फोट शक्ति 20 किलोटन से भी अधिक है। श्री मेकनामारा के शब्दों में चीन 1970 तक अमरीका के लिये भी खतरा बन जायेगा। हम बड़ी भूल कर रहे हैं और चीन की शक्ति को समझने में गलती कर रहे हैं। कम से कम हमारे आधी दर्जन बड़ शहरों को तो बहुत ही भारी खतरा है।

ीन की परमाणु शक्ति को ध्यान में रख कर हमें यह निर्णय करना चाहिये कि भारत परमाणु बम बनाये अथवा नहीं। डा० भाभा के बिना भारत की वह स्थिति नहीं है जो पहले थी। इसलिये हमें अपनी परमाणु शक्ति के विकास के लिये ठोस प्रयत्न करने चाहिये ताकि समय आने पर युद्ध शस्त्रों के उत्पादन में उसको लगाया जा सके। हमें पर्याप्त शक्ति का एक थर्मोन्यूक्लीअर कार्यक्रम बनाना चाहिये। चीन पहले ही इस अवस्था पर पहुंच गया है कि वह यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 से पृथक कर सकता है; और इससे पता चलता है कि चीन के पास एक बहुत ही शक्तिशाली गेसविसार संयंत्र है। इस समय अमरीका के पास ऐसे केवल 39 रूस के पास 2 और ब्रिटेन और फ्रांस के पास एक एक संयंत्र हैं।

हाल ही में हिन्द महासागर में परमाणु शस्त्रों से लेस पनडुब्बियों का पता चला था। यह बहुत ही चिंता की बात है। इसलिये हमें अपनी पनडुब्बियों की संख्या बढ़ानी चाहिये और साथ ही उनके लिये परमाणु शक्ति की भी व्यवस्था करनी चाहिये।

हाल ही में डा० होचीमिन ने राष्ट्रपति को एक पत्र में वियतनाम के मामले में भारत के हस्तक्षेप के लिये प्रार्थना की है। अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के सभापति के रूप में भारत का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह जेनेवा सम्मेलन के पुनः आयोजन के लिये कदम उठाये।

रोडेशिया के संबंध में हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिये और यह देखना चाहिये कि रोडेशिया के प्रश्न का ऐसा हल निकले जिससे अफ्रीका के लोग संतुष्ट हों।

इस वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन 770 लाख टन से अधिक होने की आशा नहीं है और मैं समझता हूं कि हम 130 लाख टन से अधिक अनाज आयात नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 900 लाख टन अनाज उपलब्ध हो सकेगा जबकि हमारी कुल आवश्यकता लगभग 1050 लाख टन है। एक वर्ष के समय में 150 लाख टन की कमी को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। हमारी खाद्य संबंधी नीति यह होनी चाहिये कि सभी लोगों को उचित मूल्य पर अनाज की उचित मात्रा मिले। खंडों को समाप्त कर के इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता है। इसको तो सरकार एकाधिकार समाहार तथा राज्य व्यापार द्वारा ही हल कर सकती है। खाद्यान्नों में राज्य व्यापार चालू करने के लिये सरकार को पूरी तैयारी करनी चाहिये। हमारा खाद्य निगम बिल्कुल नाकाम रहा है। इसने खाद्यान्नों के समाहार तथा वितरण के मामले में अब तक कोई ठोस कार्य नहीं किया है।

खाद्य उत्पादन की कमी का एक कारण यह है कि कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं दिया जाता है। खाद्यान्न की उत्पादन लागत का सही तरीके से हिसाब लगा कर यह मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिये।

अपर्याप्त सुविधाओं के कारण खाद्यान्न के उत्पादन में बाधा पड़ती है। अल्प तथा मध्यम-कालीन ऋण भी उपलब्ध नहीं हैं। रिज़र्व बैंक कृषकों की ऋण की आवश्यकताओं ठीक तरह नहीं समझती है। पर्याप्त मात्रा में तथा उचित दामों पर कृषकों के लिये उर्वरकों की व्यवस्था होनी चाहिये। हमारे देश में उर्वरकों की 40 प्रतिशत कमी है। उनको देश में ही पैदा करने की बजाय हम आयात करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिये सरकारी क्षेत्र में उर्वरकों के उत्पादन के लिये एक बहुत बड़ा उपक्रम स्थापित करने की आवश्यकता है।

नागा प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: TALKS WITH NAGA DELEGATION

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ध्यान दिलाने वाली सूचनायों की इस सभा की एक पुरानी परम्परा रही है। परन्तु संबंधित मंत्री अपनी ओर से ही वक्तव्य दे कर हमारे उस अधिकार को छीन लेते हैं। यह बहुत ही अनुचित है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ने कहा कि वह वक्तव्य देंगी। अध्यक्ष महोदय ने उसकी अनुमति दे दी। अब वह वक्तव्य दे रही हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : नियम 197 के अन्तर्गत हमें अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास नाम हैं। मैं प्रत्येक को अवसर दूंगा।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : नागाओं के एक प्रतिनिधि मंडल से, जिसके साथ शांतिमिशन के तीन सदस्य भी थे, 18 और 19 फरवरी, 1966 को मेरी भेंट हुई थी। उस भेंट में इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि दोनों पक्ष प्रेक्षकों की उपपत्तियों पर ठोस और शीघ्र कार्यवाही करेंगे। अच्छा वातावरण पैदा करने के लिये शांति मिशन ने सुझाव दिया है कि नागा बन्दियों को रिहा किया जाये। इस मामले की जांच की जा रही है। मुझे विश्वास है कि इस भेंट के परिणामस्वरूप, दोनों ओर जो अविश्वास और सन्देह पैदा हो गया है उस में काफी कमी होगी।

दस अप्रैल, 1966 में एक और बठक के लिये भी राज़ी हो गये हैं। संभव है अगली बैठक में कोई ऐसी बात तय हो जाये जिससे सारी खूनखराबी का अन्त हो जाये और सारे नागालड में शांति हो जाये।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): After meeting with the Prime Minister the leader of the Nagas emphatically declared that their decision to have a separate independent Naga State was final and that there would be no change in that. In view of this what is the use of having talks with them and inviting Reverend Scott and treating the Nagaland Delegation as the Delegation of a foreign Country?

Shrimati Indira Gandhi : Reverend Scott is the member of the Peace Mission and it had been decided in the very beginning that the Peace Mission would accompany Naga leaders. Therefore, he was present.

As regards the statement given by Shri Swell ; you know that this has been the demand of the Nagas from the very beginning: But we have never acceded to this demand of theirs. The idea of meeting is to come closer and make them understand our point of view.

Shri D. D. Mantri (Bhir): From the demand of the Nagas it appears that they are asking for a privilege. What is the reaction of the Government to it ?

Shrimati Indira Gandhi : In the first two rounds of talks no special demands were put. Now they demanded for the appointment of two more observers. Two persons each are being nominated from both the sides. Their second demand was about the release of Naga prisoners which we are considering.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : नागालैंड संघ सरकार के विदेश मंत्री ने कहा है कि नागा लोग स्वतन्त्रता के अतिरिक्त और किसी बात से संतुष्ट नहीं होंगे । क्या हमारे प्रधान मंत्री ने उनको बता दिया है कि भारत के संविधान के बाहर नागा समस्या का कोई हल नहीं हो सकता है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : ऐसी कोई मांग नही की गई थी । नागालैंड के बारे में हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्या अगली बैठक में केवल छिपे हुए नागाओं के नेताओं को ही बुलाया जायेगा और शांति मिशन को नही बुलाया जायेगा ? दूसरे क्या नागा नेताओं को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उनका पाकिस्तान से शस्त्र के लिये बातचीत करना प्रधान मंत्री से उनकी बैठक के आशय के प्रतिकूल है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : अगली बैठक में कौन कौन उपस्थित होगा, यह अभी निश्चित नहीं किया गया है । जहां तक अन्य देशों से उनके संपर्क का संबंध है, इस बारे में उन्हें कई बार संदेश भेजे गये हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : समाचारपत्रों में प्रधान मंत्री के साथ नागा नेताओं की भेंट को भारत के प्रधान मंत्री, नागा लैंड की संघ सरकार और शांति मिशन के बीच बातचीत के रूप में दिया गया है । क्या सरकार इस स्थिति को स्वीकार करती है ? क्या आसाम के प्रधान मंत्री के लिये बाकी नागाओं के नेताओं के सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह में उपस्थित होना उचित है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : वह वहां पर शांति मिशन के सदस्य के रूप में उपस्थित थे । प्रश्न के पहले भाग का उत्तर यह है कि सरकार इस स्थिति को स्वीकार नहीं करती ।

श्री हरि विष्णु कामत : फिर क्या स्थिति है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : समाचारपत्र उसको क्या रूप देते हैं, इसके लिये हम जिम्मेदार नही हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या विद्रोही नागा नेता तथा श्री माइकेल स्कॉट को अब भी श्री फिजो से प्रेरणा मिल रही है, और यदि हां, तो क्या वह इस त्रिकोण को तोड़ पाई हैं ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : श्री फिजो के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था ।

Shri Yashpal Singh : What are the issues which still remain to be decided in the further meetings?

Shrimati Indira Gandhi : The main object is to have peace there.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Naga rebel leader has stated that if their demand is not accepted they will march towards unknown destiny. When asked to explain unknown destiny, he replied that the repurcussions would be very bad and that they might also be forced to seek the assistance of foreign countries to achieve their objective. Do Government propose to hold direct talks with the underground Nagas and ask Michael Scott like agents of foreign powers to leave India?

Shrimati Indira Gandhi : It is evident that had there been direct talks it would have been much better. But there are certain things from which it is difficult to back immediately.

श्री प्र० चं० बरुआ (शिव सागर) : क्या हमें यह आश्वासन मिल सकता है कि ऐसी कोई बात नहीं की जायेगी जिससे कि राष्ट्रवादि नागाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचे ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : इन सब सुझाओं पर विचार किया जायेगा।

श्री जसवन्त मेहता : उन नागाओं के प्रति सरकार का क्या रवैया होगा जो विद्रोह की कार्यवाहियां जारी रखते हैं ?

श्रीमती इंदिरा गांधी: स्वभावतः उनको दण्ड दिया जायेगा।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether the Hon. Prime Minister has come to the conclusion that this problem can be solved within the framework of the Constitution ?

Shrimati Indira Gandhi : Efforts are being made for that very thing.

सभा-पटल पर रखे गए पत्रों के बारे में

RE : PAPERS LAID ON THE TABLE

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : कार्य सुची की मद 4 को भी नहीं लिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : : क्या श्री राजबहादुर को कोई वक्तव्य देना है ?

श्री राज बहादुर : जी नहीं। आशा है कि चंदा समिति का मुख्य प्रतिवेदन मार्च के अन्त तक प्राप्त हो जायेगा और उसे यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी

MOTION ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

Shri J. P. Jyotishi (Sagar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I support the Motion of thanks moved by my friend Shri Deshmukh. The President in the beginning of his speech has expressed his condolence on the sad demise of Shastriji. Shastriji was an embodiment of sincerity, humility and simplicity. He exhibited unforgettable strength and firmness during the emergency. It is really tragic that after signing the Tashkent Declaration he was snatched away from us by the cruel hands of fate. All political parties can never be satisfied by an agreement. Politics is a game of agreements.

[Shri J. P. Jyotishi]

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुई
SHRIMATI RENU CHAKRAVARTI *in the Chair*]

We have to rise above the personal interests and think of everything from the national point of view keeping in view the world situation. We want peace and we want to solve all disputes by peaceful means and negotiations. We are really grateful to the Soviet Prime Minister Shri Kosygin for the very important role played by him in uniting these two big countries of Asia.

The Tashkent Declaration has given a blow to the war-mongering nations. We hope, now Pakistan will not be taken in by the lure given by the capitalist Countries and learn a lesson from the hostilities which she had initiated. We are confident that the Tashkent Declaration will lead towards the unity of all the Asian Countries. We believe in the unity of and equality of the whole of mankind. It will surely give a new turn to the world politics. His Excellency the President while paying tributes to our brave Jawans who laid their lives in the recent armed conflict with Pakistan, eulogised those gallant youths who added a new chapter to the history of this country.

We are happy that the President has reaffirmed our policy of non-alliance and peaceful coexistence. We are proud that this policy of ours has been praised by our friends Soviet Russia, Yugoslavia, Rumania, Czechoslavakia, U.A.R., Canada, Japan and U.S.A.

The President in his address has expressed sympathy for the small countries occupied by Portugal and for Rhodesia which is being dominated by a handful of minority. Wherever there is exploitation of country by the other our heart gives out un unflinchingly in sympathy for the people of the exploited country.

It is matter of happiness that the President has expressed his sympathy for the movement carried on in South Africa against the apartheid policy. We are sorry that Great Britain did not adopt a judicious attitude towards us during the times of hostilities.

He taught us the lesson of loving the opponents also. During the days of Struggle for Independence there was no bitterness between India and England. But the present policy of the British has hurt us below the belt. Britain should feel that if she wants friendship with India she should behave accordingly. Due to our conflict with Pakistan and certain other wheather conditions, our production has gone down this year. We feel sure that as we won the battle in the battle-field, we will win in other fields also. Some countries are willing to give us help, we should accept the help. But we should be vigilant towards this fact that foreigner may not create monopolies here. It is really sad that our development work is hindered due to the concentration of wealth in few hands. Government should take into consideration all the difficulties and see that economy is effected in all works. Money should not be wasted on any matter.

The President has expressed anxiety over the food situation of Kerala. It is the responsibility of the Government to see that nobody dies of starvation. It is really shameful that this problem has not been solved in the last 18 years. It should be realized no Government can achieve anything without the cooperation of the people. Food problem is not a party question, it is a national problem and

should be tackled on the national level. Government snatched the land from the landlords but it has not reached the landless poor people. Government should see how much land has gone to the landless people since the Government have introduced ceiling.

I want to stress that medium size irrigation schemes should be implemented. We should take the full advantage of the country's irrigation potential. Nothing has been done in this direction for the last eight or nine months. For this the work should be started on the war footing. It is really a pity that even our engineers have not taken the full advantage of the public money. We should do our level best to reclaim the newland and try to increase the agricultural production. Every inch of land should be utilised for the production of food grains.

Cowdung should not be burnt. We should be encouraged to use coal instead of cowdung. I fear that situation as that of Bengal Famine of British days may not be created. Farmers should be given the adequate price so that he may not hoard. Hoarding should be checked at all cost. I am in favour of zonal system, they have not been created due to any fun, it has its utility and purpose. With these words, I welcome the President's address and support the motion of thanks.

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अब मैं माननीय सदस्यों को स्थानापन्न प्रस्ताव और संशोधन प्रस्तुत करने को कहता हूं ।

श्री रंगा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकालीन स्थिति को शीघ्र समाप्त करने और देश में पूर्ण लोकतन्त्रात्मक स्वतंत्रता को सामान्य रूप से चालू करने की इच्छा की ओर कोई संकेत नहीं है ।" (1)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि

(क) अभिभाषण में गंभीर आर्थिक स्थिति तथा सरकार की दोषपूर्ण खाद्य नीतियों के कारण उत्पन्न कष्ट दूर करने के लिये सरकार की नितियों में पूर्ण आमूल परिवर्तन का तथा वर्तमान में विदेशों से मंगाये गये अनाज पर अत्याधिक निर्भरता समाप्त करने के लिए कृषि को सुदृढ़ करने के ठोस उपायों का, जैसे

(1) अनाज, गुड, मूंगफली और सभी खाद्य तेलों की बिक्री और स्थानान्तरण पर क्षेत्रीय तथा स्थानीय निर्बन्धन समाप्त करना और समूचे भारत में साझा बाजार की पुनः स्थापना करना ।

(2) पानी, ऋण और सड़कों के लिए सभी आयोजनाओं और नियतनों में सर्वोच्च प्राथमिकता देना तथा किसानों को उचित कीमतों पर औजार, डीजल और मिट्टी का तेल उपलब्ध करके उन्हें प्रोत्साहन और सुविधाएं देना ।

(3) अनिवार्य वसूली समाप्त करना और कोई अधिकतम मूल्य लागू किये बिना अबाध मंडी में अपना अनाज बेचने का किसान का अधिकार स्वीकार करना ।

[श्री रंगा]

(4) मूल्य समर्थन नीति निर्धारित करना जिसके अधीन एक स्वतंत्र संविहित निकाय के रूप में काम कर रहे कृषि मूल्य आयोग द्वारा स्पष्टतः उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित की जाने वाली लाभप्रद कीमतों पर व्यापारियों के साथ साथ सरकार भी उत्पादकों से असीमित मात्रा में अनाज खरीदेगी।

(5) जब तक कि उत्पादन मांग के बराबर न हो जांय सरकार द्वारा बढ़े किसानों से लाभप्रद मूल्यों पर खरीदे गये अनाज में से गरीब जनता को सस्ता अनाज सप्लाई करना, कोई उल्लेख नहीं है।

(ख) अभिभाषण में केरल की जनता को पर्याप्त अनाज पहुंचाने की व्यवस्था हाल में ठप हो जाने के लिए संघ सरकार का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया गया है तथा उड़ीसा में अभाव की वर्तमान स्थिति का कोई उल्लेख नहीं है।

(ग) अभिभाषण में इस तथ्य को स्विकार नहीं किया गया है कि किसी आक्रमण से दक्षिण वियतनाम तथा मलयेशिया का बचाव भारत के राष्ट्रीय हित है और न ही चीनी साम्यवादी विस्तारवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत, जापान, और आस्ट्रेलिया के बीच के देशों के बीच प्रादेशिक सहकार्य तथा सुरक्षा की कोई पद्धति स्थापित करने की दिशा में अग्रेसर होने की तत्परता दिखायी देती है; और

(घ) अभिभाषण में भारत और पाकिस्तान की सीमाओं के आरपार जाने वाले माल पर तटकर तथा प्रशुल्क समाप्त करके तथा ऐसे मार्गोपायों पर विचार करने के लिये जिन से दोनों देशों के बीच परस्पर लाभ के लिए आर्थिक तथा अन्य प्रकार के सहयोग कार्य बढाये जा सकें, एक संयुक्त समिति स्थापित करके भारत और पाकिस्तान के बीच मैत्री के लिए एक आर्थिक आधार तैयार करके ताशकंद समझौते को कार्यान्वित करने के संबंध में किसी तत्परता का संकेत नहीं है। (12)

श्री शिवमूर्ति स्वामी : में प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते है कि अभिभाषण में सरकार को

(क) केवल 19 प्रतिशत रक्षित रखने के बजाय अपने बजट का कम से कम 51 प्रतिशत भाग राष्ट्र निर्माणकारी गतिविधियों के लिए रक्षित रख कर देश को आत्म-निर्भर तथा कल्याणकारी राज्य बनाने के लिये;

(ख) खाद्य तथा कृषि के लिये अपने वार्षिक बजट का कम से कम 51 प्रतिशत भाग रखने के लिए; और

(ग) सभी अनुत्पादक प्रयोजनों की अपेक्षा उत्पादक प्रयोजतनों पर व्यय बढ़ाने के लिये कोई निदेश नहीं दिया गया है; (3)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में समूचे राष्ट्र की कठिन समस्याओं को सुलझाने के लिए सभी संसद सदस्यों को संकीर्ण गुट भावनाओंसे ऊपर उठने के लिये नहीं कहा गया जिसके लिए कि वे—

(क) उन सामान्य मतदाताओं अथवा अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के प्रति जिम्मेदार बने, जिनका कि वे संसद् में प्रतिनिधित्व करते हैं; और

(ख) इस सरकार को वास्तव में राष्ट्रीय बनाने के हेतु अन्य राजनैतिक तथा गैरराजनैतिक दलों से मिला जाये, ताकि ऐसी सरकार राष्ट्र को दरिद्रता तथा बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रख सकें।" (4)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में अन्तर्राज्यीय जल विवाद तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से पूर्व, अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं है।" (54)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में छोटी और बड़ी परियोजनाएं आरम्भ करके देश में अकाल पीड़ित क्षेत्रों की सिंचाई के लिये एक बृहत् योजना तैयार नहीं की गयी है।" (55)

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में राष्ट्र की समस्याओं के न तो किसी विश्लेषण का और नहीं उनके सम्बन्ध में जागरूकता का कोई उल्लेख है।" (13)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते है कि अभिभाषण में कुछ भारतीय क्षेत्रों से भारतीय सशस्त्र सैनिक हटाने के राजनैतिक, कानूनी तथा सामरिक परिणामों का कोई उल्लेख नहीं है।" (14)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि भारतीय क्षेत्र से भारत का पीछे हटना अर्पण का कार्य है जिसके लिये संविधान में संशोधन किये बिना संविधान में अनुमति नहीं है।" (15)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति तथा नारेबाजी से उत्पन्न वास्तविक गतिरोध से संसद तथा राष्ट्र को अवगत नहीं कराया गया है।" (16)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सरकारी क्षेत्र किस निम्न स्तर पर कार्य कर रहा है और इस बात का कोई संकेत नहीं है कि सरकार का अपनी कार्य प्रणाली में किस प्रकार सुधार करने का विचार है।" (17)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्

"किन्तु खेद व्यक्त करते है कि अभिभाषण में देश को स्थिरता, सिनिकवाद से ऊपर उठाने के लिए व्यापक तथा आमूल प्रशासनिक सुधार करने के लिये सरकार की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (18)

[डॉ० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते है कि अभिभाषण में कृषि उत्पादन को सुनियमित करने तथा पर्याप्त प्रोत्साहन देने के लिए कोई खाका नहीं है।" (19)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते है कि अभिभाषण में बड़े पैमाने पर मुद्रा स्फीति का जिससे देश पीड़ित है, कोई उल्लेख नहीं है।" (20)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"किन्तु खेद व्यक्त करते है कि अभिभाषण में प्रशासनिक सुधारों तथा प्रशासन से भ्रष्टाचार हटाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है"। (21)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में हमारी अर्थ व्यवस्था की वृद्धि की दर में तीव्र ह्रास के बारे में कोई चिन्ता व्यक्त नही की गई है।" (22)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में प्राचीन विचारों तथा रूढ़िगत बातों से मुक्त करने वाले आयोजन के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।" (23)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते है कि अभिभाषण में राष्ट्र की आवश्यकतायें अधिक परिणाम में पूरी करने के लिए अपनी शैक्षिक प्रणाली का नवीकरण करने के बारे में कोई आश्वासन नहीं है।" (24)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते है कि अभिभाषण में रेगिस्तान विकास प्राधिकार की स्थापना के बारे में कोई आश्वासन नहीं है।" (25)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते है कि अभिभाषण में भारत में ओमबुड्समैन जैसी संस्था स्थापित करने के बारे में सरकार की नीति का कोई उल्लेख नहीं है।" (26)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते है कि अभिभाषण में आपातकालीन स्थिति समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है जब कि इसे जारी रखने का कोई आधार नहीं प्रतीत होता।" (27)

की प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते है कि अभिभाषण में महंगाई भत्ते, विशेष कर निचले, मध्यम तथा उच्च मध्यम वर्ग के कर्मचारियों के लिए, पर्याप्त महंगाई भत्ते के बारे में किसी नीति का उल्लेख नहीं है।" (28)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में चीन की धमकी के परिमाण के अनुमान का कोई उल्लेख नहीं है।" (29)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में आण्विक शस्त्रों का फैलाव रोकने में असफलता तथा विशेष कर इस तथ्य को देखते हुए कि पाकिस्तान और चीन इस क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहे हैं, आण्विक शस्त्रों के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार के दृष्टिकोण का कोई उल्लेख नहीं है।" (30)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और कम रोजगारी का कोई उल्लेख नहीं है।" (31)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में देश के सम्मुख विदेशी मुद्रा के भारी संकट तथा अधिष्ठापित क्षमता में बढ़ती हुई शिथिलता का कोई उल्लेख नहीं है। (32)

श्री पोट्टेकाट्ट : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते है कि अभिभाषण में केरल राज्य में चिन्ताजनक खाद्य स्थिति का सामना करने के लिये किन्ही उपयुक्त तथा तुरन्त कार्यवाहियों का कोई उल्लेख नहीं है। (35)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते है कि हाल के खाद्य आंदोलन के दौरान केरल राज्य के विभिन्न भागों में पुलिस ने जो अत्याचार किये हैं उनके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाये गये ह।" (36)

श्री मधु लिमये : मै प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते है अभिभाषण में इन बातों का कोई उल्लेख नहीं है —

(क) गरीब किसानों के लिए सिंचाई की मुफ्त तथा पर्याप्त व्यवस्था ;

(ख) अलाभप्रद खेती के संबंध में खेती से लगान हटाने के लिए राज्य सरकारों को सलाह ;

(ग) तैयार माल तथा व्यापारिक फसलों की कीमतों में और अनाज की कीमतों में सन्तुलन लाने की नीति ;

(घ) भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु सभी मंत्रियों तथा सचिवों के संबंधियों को लाइसेंस देने पर, सरकारी नौकरों द्वारा निजी कम्पनियों में नौकरी स्वीकारने पर तथा न्यायाधीशों को अन्य पदों पर नियुक्ति करने पर रोक ;

[श्री मधु लिमये]

(ङ) संकटकालीन स्थिति की समाप्ति और भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत नजर-बन्दों की मुक्ति ;

(च) उडीसा और केरल में तुरन्त चुनाव कराने की व्यवस्था; और

(छ) हाजी-पीर, तिथवाल, कारगिल-उड़ीपूछ संबंधी अपने वादों को निभाने की मंशा।" (37)

श्री मनोहरन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में देश में लोकतंत्र के सुचारु कार्य के लिए स्वस्थ वातावरण बनाने के उद्देश्य से आपातकालीन स्थिति तथा भारत रक्षा नियमों को समाप्त करने की वांछनियता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (38)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में खाद्य स्थिति का विशेषकर केरल में मुकाबला करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (39)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में गर-हिंदी भाषी लोगों को स्वर्गीय श्री नेहरू द्वारा दिये गये आश्वासनों को संविहित रूप में कार्यन्वित न करने तथा देश को सभी राष्ट्रीय भाषाओं को समान दर्जा न देने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (40)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में भ्रष्टाचार दूर करने तथा बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के लिए किन्हीं ठोस कार्यवाहियों का कोई उल्लेख नहीं है।" (41)

श्री काशी राम गुप्त : म प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोडा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में इन बातों का कोई उल्लेख नहीं है;

(क) देश के कई भागों में खाद्य सामग्री का अभाव जिससे अकाल की स्थिति, हिंसा तथा अराजकता उत्पन्न हुई है ;

(ख) देश के ऐसे भागों को जिन्हें खरीफ की फसल खराब हो जाने के कारण वास्तव में बहुत हानि हुई है, अकाल सहायता देने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने के सम्बन्ध में भारत सरकार की कोई योजना ;

(ग) अत्यावश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुये मूल्य तथा सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में अनुपात से प्रतिकर देने के लिये सरकार के पास किसी योजना का न होना ;

(घ) जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विशेषकर जन साधारण को दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के उचित तथा समान वितरण के संबंध में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार ;

(ङ) अनाज के स्थानान्तरण पर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध को जारी रखना, जो कि राष्ट्रीय सत्यनिष्ठा को चुनौती है ;

(च) राज्य सभा के सदस्यों में से काफी संख्या में मंत्रिमंडलीय, राज्य और उपमंत्रियों की नियुक्ति जो देश में वयस्क मताधिकार पर आधारित लोक तंत्रीय सिद्धान्तों को खुली चुनौती है;

(छ) निर्धारित आयु-सीमा के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के संबंध में संविधान के प्रादेश-प्राप्त उपबन्ध को क्रियान्वित करने में असफलता; और

(ज) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, आदिवासियों तथा पहाड़ी क्षेत्र के लोगों सहित गरीब जनता की समस्याओं को हल करने के लिये उचित उपायों का अभाव।" (42)

श्री राम सेवक यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई विषमता तथा गरीबी, समता लाने और गरीबी दूर करने के किसी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।" (43)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते है कि अभिभाषण में निरन्तर बढ़ती हुई महंगाई और उससे उत्पन्न कठिन परिस्थिति तथा उसे दूर करने के लिये किसी योजना अथवा कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।" (44)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में बढ़ती अराजकता, भ्रष्टाचार, पक्षपात, घूसखोरी तथा उन्हें दूर करने की किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (45)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते है कि अभिभाषण में भारत रूप नियम के दुरुपयोग तथा उसे हटाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (46)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जायें, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सरकार हाजी-पीर, कारगिल, उड़ी-पुंछ से किसी भी परिस्थिति में पीछे न हटने के बारे में स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा लोक-सभा तथा राष्ट्र को दिये गये आश्वासन से मुकर गई है और भारत-पाक महा संघ की स्थापना तथा दोनों देशों के विलयन के द्वारा भारत और पाकिस्तान के के बीच स्थायी शान्ति स्थापित करने में असफल हुई है।" (47)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु छेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में संविधान के उपबन्धों के अनुसार अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं को प्रतिष्ठित करने में असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (48)

[श्री राम सेवक यादव]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते है कि अभिभाषण में दो प्रकार से अर्थात् पब्लिक स्कूल तथा सामान्य स्कूल से शिक्षा देना बन्द करने में असफलता का, जिससे देश के सभी नागरिकों की शिक्षा में एकरूपता लाने में असफलता हुई है, कोइ उल्लख नहीं है।" (49)

श्री बडे : मै प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

किन्तु खेद व्यक्त करते हैं —

(क) कि अभिभाषण में चीन के खतरे के विरुद्ध देश को शक्तिशाली और सतर्क बनाने के मार्गोपायों के बारे में कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है;

(ख) कि अभिभाषण में हमारी पवित्र भूमि से चीनी आक्रांता को निकाल बाहर करने के लिये संसद् द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक की गई प्रतिज्ञा का कोई उल्लख नहीं है ;

(ग) कि अभिभाषण में विदेशी मुद्रा की कमी के फलस्वरूप आर्थिक संकट का कोई उल्लेख नहीं है ;

(घ) कि अभिभाषण में विद्रोही नागाओं की राष्ट्रविरोधी कार्यवाहियों तथा नागालैंड में शांति और व्यवस्था स्थापित करने में शांति दल की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है ;

(ङ) कि अभिभाषण में अकाल पीड़ित क्षेत्रों जैसे केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि में पर्याप्त मात्रा में अनाज पहुंचाने में सरकार की असफलता पर यथोचित बल नहीं दिया गया है ;

(च) कि अभिभाषण में परमाणु बम बनाये जाने के बारे में, विशेषकर, जबकि चीन उसे पहले ही तयार कर चुका है, कोई उल्लेख नहीं है;

(छ) कि अभिभाषण में जम्मू और दण्डकारण्य में शरणार्थियों की दयनीय दशा का उल्लेख नही है ;

(ज) कि अभिभाषण में यह घोषणा नहीं की गई है कि सभी हायर सेकेंडरी स्कूलों और कालेजों में और 18 वर्ष की आयु से अधिक के सभी युवकों और महिलाओं को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण दिया जायेगा :

(झ) कि अभिभाषण में अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता की स्थिति उत्पन्न करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है ;

(ञ) कि अभिभाषण में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, बीज और कीटाणुनाशक दवायें देने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है ;

(ट) कि अभिभाषण में आदिम जाति क्षेत्रों में आदिवासियों को अधिक अनाज पैदा करने के लिए खतीयोग्य परती-भूमि, आर्थिक सहायता और औजार देने में सरकार की असफलता का कोई उल्लख नहीं है ;

(ठ) कि अभिभाषण में आदिम जाति क्षेत्रों में किसानों की ऋणग्रस्तता तथा निरक्षरता दूर करने और उन राज्यों को जहां आदिवासियों की घनी आबादी है, अधिक सहायता देने के लिये प्रभावशाली पग उठाने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है ;

(ड) अभिभाषण में मूल्यों में वृद्धि और उसके फलस्वरूप मूल-सूचकांक में वृद्धि तथा सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की कार्यवाहियों का कोई उल्लख नहीं है ।

(ढ) कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि न्यूनतम और अधिकतम आय का अन्तर किस प्रकार कम किया जाये कि वह एक और दस के अनुपात से अधिक न हो; और

(ण) कि अभिभाषण में ताशकंद समझौते का जिक्र करते हुए इस बात का उल्लेख नहीं है कि सरकार कूटनीति में बुरी तरह असफल हुई है और उसने काश्मीर का वह भाग अर्पण कर दिया है जो वैध रूप से भारत का है और जिससे हमारे वीर जवानों ने जीत लिया था और इस प्रकार पाकिस्तान से यह गारंटी लिये बिना कि वह भविष्य में घुसपैठिये नहीं भेजेगा और पहले भेजे गये घुसपैठियों को वापिस बुला लेगा, हाजीपीर दर्रा, टिथवाल और कारगिल से अपनी सेनायें हटा लेने के लिए समहत होकर सरकार संसद् तथा जनता को दिये गये गंभीर आश्वासनों को पूरा करने में असफल रही है ।"(51)

डा० मा० श्री० अणे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और विदर्भ जैसे कुछ राज्यों में, वर्तमान पंजाब राज्य को भाषा, संस्कृति, आर्थिक अथवा अन्य आधारों पर दो या तीन राज्यों में विभक्त किये जाने और पंजाब में हरयाना तथा महाराष्ट्र में विदर्भ की स्थिति पर उन्हें पंजाब या महाराष्ट्र राज्य से अलग किये जाने के हेतु जो असन्तोष है, उसका कोई उल्लेख नहीं है और पंजाब के कुछ लोगों द्वारा रखी गयी पंजाबी सूबे की मांग पर विचार करने के लिय सरकार द्वारा नियुक्त मंत्रिमंडलीय समिति तथा संसदीय सलाहकार समिति का कोई उल्लेख नहीं है ।"(52)

श्री हरि विष्णु कामत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं—

(क) कि अभिभाषण में समस्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत लोकतन्त्रात्मक समाजवादी समाज के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिये, आय की विषमताओं को कम करने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने जैसे उपायों और कार्यवाहियों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है ;

(ख) प्रतिदिन काम में आने वाली अत्यावश्यक वस्तुओं के दिनोदिन बढ़ते दामों को रोकने में असफलता हुई है ;

[श्री हरि विष्णु कामत]

(ग) नियंत्रित दामों पर खाद्यान्न का समान वितरण सुनिश्चित् करने में असफलता हुई है ;

(घ) आपातकाल की उद्घोषणा रद्द करने, और इस प्रकार हमारी जनता को उनके मूल अधिकार देने में असफलता हुई है ; और

(ङ) कि अभिभाषण में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बढ़ती हुई बेरोजगारी और निरन्तर हो रही छंटनी से हुई कठिनाइयां दूर करने के लिये की गयी कार्यवाहियों का कोई उल्लेख नहीं है।"(53)

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में आपातकाल की तुरन्त समाप्ति और सभी राजनैतिक नजरबन्दों की रिहाई के बारे में सरकार के किसी इरादे का संकेत नहीं है।" (59)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि भारत चीन और अन्य सभी पड़ौसी देशों के साथ समस्त सीमा-विवादों को शान्ति-पूर्वक तय करने के हेतु ताशकंद भावना का विस्तार करेगा।"(60)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते है कि अभिभाषण में सरकार की गलत नीति के कारण देश में विद्यमान अत्यन्त चिन्ताजनक खाद्य स्थिति की गम्भीरता का कोई उल्लेख नहीं है।"(61)

श्री मुहम्मद कोया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में केरल में गंभीर खाद्य स्थिति की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है और न ही उसमें स्थिति को सुधारने के लिए किन्हीं पर्याप्त उपायों का उल्लेख है।" (9)

कि प्रस्ताव के अन्तमें यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में इस समय केरल में पुलिस द्वारा किये जा रहे दमन तथा अन्धाधुंध गिरफ्तारियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(10)

श्री नारायण दांडेकर (गोंड़ा) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर श्री रंगा द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों का समथन करता हूं । प्रायः राष्ट्रपति के अभिभाषण में कई सुंदर बातें होती हैं परन्तु इस बार ऐसा प्रतीत होता है कि केवल ताशकंद घोषणा ही सुंदर बात है जिस पर प्रस्तुतकर्ता ने इतना समय लिया है। परन्तु ताशकंद घोषणा के अतिरिक्त और कोई विषय सुन्दर नहीं प्रतीत होता । मैं उसके कुछ दोषों पर प्रकाश डालने की चेष्टा करुंगा।

गृह कार्यों से सम्बद्ध कुछ मामलों में एक मामला केरल में राज्यपाल के शासन को जारी रखने का है। इस सभा में हुई वाद-विवाद से तथा समाचार पत्रों में व्यक्त जनता की राय से यह स्पष्ट है कि केरल में राज्यपाल के शासन के विरुद्ध मत बिल्कुल सत्य है।

दूसरा विषय सरकार के उस जान बूझ कर अवैद्य निर्णय से सम्बद्ध है जिसकी घोषणा द्वारा सरकार उड़ीसा विधान मण्डल के जीवन-काल की अवधि एक साथ के लिये और बढ़ाई जा रही है। सरकार का यह कदम पार्टी की नीतियों से प्रभावित है क्यूकि यदि कोई उड़ीसा के हालात को जा कर देखे तो उसे इस बात का पूरा प्रमाण मिल जायेगा कि अब उड़ीसा विधान-मण्डल में जनता का विश्वास नहीं रहा है। अच्छा तो यह होता कि इस वर्ष विधान-मण्डल की अवधि की समाप्ति के साथ ही स्वयं विधान मण्डल को ही समाप्त कर के नया विधान मण्डल नये निर्वाचन द्वारा बनाया जाता। परन्तु सरकार का अवैध निर्णय यह देखते हुए किया गया है कि उड़ीसा विधान मण्डल का जीवन काल इतना ही बढ़ाया जाये कि उसका अंत आने वाले सामान्य निर्वाचन के समय हो।

एक और विषय जिस पर राष्ट्रपति का अभिभाषण मौन है वह सरकार में उच्च स्तर पर बराबर बढ़ते हुए भ्रष्टाचार का है। पिछले वर्ष एक चर्चा अविश्वास के प्रस्ताव पर सामान्य रूप से इस विषय पर हुई थी परन्तु सभा ने यह निर्णय किया कि वह केवल उड़ीसा के मुख्य मंत्री श्री बिजू पटनायक व उप मुख्य मंत्री श्री बीरेन मित्र व्यभिचारपूर्ण कार्यों से ही सम्बन्धित रहे। जनता ने तथा समाचार पत्रों ने इस चर्चा का गम्भीरता से स्वागत किया था परन्तु इस समय अभिभाषण इसका कोई स्थान नहीं है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में एक ठोस क़दम उठाया था कि उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिये एक प्रक्रिया निर्धारित होनी चाहिये और यदि वह प्रक्रिया उच्च स्तर पर पीठासीन व्यक्तियों को अरुचिकर हो तो वे व्यक्ति पदत्याग करने के लिये स्वतंत्र होंगे।

ऐसा कोई कारण नहीं कि भ्रष्टाचार जैसे विषयों को राष्ट्रपति के अभिभाषण में न लाया जाये। 1964 के अभिभाषण में भी पैरा 12 में भ्रष्टाचार के विषय का उल्लेख था। उस पैरा में प्रशासन में सुधार लाने के हेतु तथा भ्रष्टाचार की समस्याओं को भली भांति सुलझाने के लिये एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के बारे में कहा गया था। मैं आशा करता था कि मंत्री स्तर जैसे उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के हेतु भी कोई घोषणा इस वर्ष अभिभाषण में होगी परन्तु उसकी अनुपस्थिति पिछले वर्ष की घटनाओं को देखते हुए एक गम्भीर प्रश्न है।

घरेलू मामलों से सम्बन्धित संकटकालीन घोषणा को अकारण अभी तक जारी रखने का है। यह घोषणा अनेक भारत रक्षा नियमों की शक्ति पर आधारित हैं। यह बात सर्वसाधारण को भली भांति ज्ञात है कि यह भारत रक्षा नियम देश में हर कार्यवाही को प्रभावित कर रहे हैं और इन नियमों की मुख्य विशेषतायें यह हैं कि इस के द्वारा व्यक्तिगत स्वाधीनता तथा मूलभूत अधिकारों का उस समय निलम्बन है जबकि वास्तव में कोई संकट-कालीन स्थिति है ही नहीं। श्री हाथी ने कहा है कि सरकार उक्त शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहती परन्तु राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक में यह निष्कर्ष निकला कि भारत रक्षा नियम उनके हाथोंमें देश का गैर कानूनी तरीके से शासन चलाने के लिये अच्छे हथि-यार सिद्ध हुए हैं। अतः मुझे यह भय है कि ऐसी स्थिति में सरकार संकटकालीन घोषणा को रद्द करने का कोई प्रयत्न नहीं करेगी। मैं यहां पिछले चुनावों से पहिले की गई अपनी अपील पर पुनः बल दूंगा कि सामान्य चुनावों से छः महीने पूर्व सब सरकारों को पदत्याग कर देना चाहिये। निष्पक्ष चुनावों की उक्ति को कार्यान्वित करना भी बहुत महत्व रखता है। परन्तु जब तक यह संकट कालीन स्थिति चलती रहेगी ऐसा सम्भव नहीं हो सकता।

[श्री नारायण दांडेकर]

देश की आर्थिक स्थिति का जो विवरण इस अभिभाषण में है वह कई वर्षों पुराना चला आ रहा है । वित्त मंत्री भी पिछले वर्षों से यही कहते चले आ रहे हैं कि देश की आर्थिक स्थिति बराबर बिगड़ती जा रही है। सरकार द्वारा फिजूल खर्ची बंद करने का कोई उपाय नहीं किया गया है और न इस से पैदा होने वाली समस्याओं--क्रूरतापूर्ण करों का लगाया जाना और हीन वित्त प्रबन्धन का कोई समाधान नहीं हुआ है। अभी हाल ही के रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक विवरण में कहा गया है कि राज्य सरकारों ने रिज़र्व बैंक से जमासे करीब 100 करोड़ अधिक की राषि ली है। इस प्रकार केवल केन्द्रीय सरकार ही नहीं परन्तु राज्य सरकारें भी हीन वित्त प्रबन्धन कर रही हैं। इसके परिणाम भली प्रकार विदित हैं कि स्फीतीकरण और कीमतों व जीवन निर्वाह में मूल्य में वृद्धि बराबर हो रही है। साथ ही खाद्य तथा विदेशी मुद्रा की भारी कमी और सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों में भारी हानियां, औद्योगिक आर्थिक तथा कृषि की उन्नति की घटती हुई दर के प्रतीक हैं। जहां तक आर्थिक पहलू का सम्बन्ध है, राष्ट्रपति के अभिभाषण से ले कर वित्त मंत्री के भाषणों और वक्तव्यों तक यह राग आलापा जाता है कि योजना सम्बन्धी खर्चों पर कमी की जा रही है, पदावार बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं परन्तु वास्तव में हो रहा कुछ प्रतीत नहीं होता। यह सब बातें सरकार की नीति की असफलता जो सरकार मानने को तैयार नहीं है स्पष्ट करती हैं और उन में तबदीली लाने की आवश्यकता भी स्पष्ट करती हैं ।

मैं अपने इस वक्तव्य का समर्थन एक उदाहरण देकर करुंगा कि कई वर्षों से खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में सरकार, किसानों और व्यापारियों को बुरा भला कहा जा रहा है परन्त राज्य सरकारों द्वारा मुनाफाखोरी और अयोग्यता के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा। सरकार की खाद्य नीति खाद्य क्षेत्रों के बनाये जाने और कम मूल्य पर अनाजों की ज्यादा मात्रा प्राप्त करने की कहानी मात्र है।

आज का भारत अब उतना संगठित नहीं है और 1948 और 1949 में स्वतंत्रता के तुरन्त बाद के भारत की जैसी स्थिति थी उसका स्मरण कराता है कि उस समय ब्रिटिश प्रान्त ही नहीं थे परन्तु करीब 560 भारतीय रियासतें भी थीं। उस समय हर एक प्रान्त व हर एक रियासत स्वयं एक खाद्य क्षेत्र था और एक दूसरे स्थान में खाद्य सामग्री लाने ले जाने को रोकता था। 1950 में देश का संगठन एक क्षेत्र में हुआ था और भारतीय संविधान द्वारा उन सारी रुकावटों की समाप्ति हुई थी जिन के द्वारा देश छोटे छोटे टकडों में बटा हुआ था। उसी समय अनिवार्य खाद्य अन्नों की वसूली का कार्य भी समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार की खाद्य क्षेत्रों के हटाने का और छोटे टुकड़ों में न बाटने का परिणाम यह हुआ था कि उपज पर और आयात पर अच्छा प्रभाव पड़ा। 1951 में क्षेत्रों के हटायें जाने के समय खाद्यों का आयात 48 लाख टन था और 1952 में 36 लाख टन पर आ गया था। 1953 में यह और भी कम होकर 20 लाख टन हो गया था और 1954 में ·8 लाख टन व 1955 में ·7 लाख टन ही रह गया था। उसके पश्चात् हमारी दूसरी व उसके बाद तीसरी पंच-वर्षीय योजनायें शुरू हुई। इन दस सालों में खाद्य नीति का नामों निशान भी न रहा। उस समय उंचे उंचे लक्ष्यों की बात होती थी परन्तु वास्तव में कुछ नहीं होता था। खाद के कारखाने लगाये जाने की बात कही जाती थी परन्त कारखाना एक भी नहीं लगाया जाता था। अब 1966 में आकर नये खाद के कारखाने उंचे पैमाने पर योजना स्थापित करने की सम्भावना है। सिंचाई क्षमता का अपूर्ण उपयोग, छोटी सिंचाई योजना की तरफ से उदासीनता, सिंचाई योजनाओं के लिये डीज़ल तेल व बिजली उपलब्ध कराने में असमर्थता तथा बीज फारमों को उचित संचालन न होना, कुछ ऐसी बातें हैं जो सरकार की खाद्य नीति को लक्ष्यों के मुकाबले में पर्याप्त नहीं हैं।

मैं अनाजों के आयात के बारे में पिछले दस वर्षों के आंकड़े देना चाहूंगा। जैसा मैं ने कहा है 1955 में अनाजों का आयात 7 लाख टन था। इसके बाद में 1956 में 14 लाख टन, 1957 में 36 लाख टन, 1958 में 33 लाख टन, 1959 में 39 लाख टन और 1960 में 51 लाख टन था। 1961 में कुछ कम होकर 33 लाख टन का आयात था परन्तु बाद में बढना इस प्रकार प्रारम्भ हुआ कि 1962 में 36 लाख टन, 1963 में 46 लाख टन, 1964 में 63 लाख टन और 1965 में 75 लाख टन अनाजों का आयात हुआ। इन आंकडों को देखते हुए अब 12, 13 या 15 लाख मीट्रिक टन तक आयात हो सकता है। परन्तु इन वर्षों में हमारे पास खाद्यान्नों की इतनी कमी नहीं होनी चाहिये थी जितनी दिखाई दे रही थी। यदि किसी वर्ष सूखा भी पड़ा होता तो 1 या $1\frac{1}{2}$ लाख टन से अधिक के आयात की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये थी परन्तु हम $3\frac{1}{2}$ लाख टन के निकट दूसरी योजना के दौरान और अब तीसरी योजना में 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक आयात करते रहे हैं। हम 1950 की स्थिति पर पुनः जा रहें हैं। हम पुनः क्षेत्र बना रहे हैं जिस से एक स्थान से दुसरे स्थान को चावल या गेहूं नहीं जा सकता और इस प्रकार खाद्यान्नों के लाने ले जाने के मामले में देश की अर्थ व्यवस्था ठप सी हो गई है। परन्तु यह कहा जाता है कि इसी तरह अनिवार्य वसूली हो सकती है। परन्तु मैं यह कहूंगा कि इसी प्रकार भ्रष्टाचार का बाजार गर्म रह सकता है और तब तक रहेगा जब तक क्षेत्र प्रणाली बनी रहेगी और खाद्यान्नो के लाने-लेजाने में पाबंदी लगी रहेगी।

केवल एक ही ठीक नीति हो सकती है और वह यह है कि सर्वप्रथम किसान को अबाध मण्डी द्वारा अच्छे से अच्छा पैदा करने का प्रोत्साहन मिले और न्यूनतम कीमतों को लागू किया जाये। अब मैं अभिभाषण के विदेशी मामलों से सम्बध्द भाग के बारे में कहुंगा। सरकार की विदेशी नीति की झूठी सफलता की पोल तो पिछले वर्ष ही खुल चुकी है। हम अकेले व बिना साथी के रह गये थे। मलयेशिया व सिंगापुर को छोड़कर रूस भी अलग रहा था। पाकिस्तान के साथ छोटे समय के संघर्ष के दौरान हमारी विदेशी नीति बेकार सिद्ध हो चुकी है। इस सभा में एक चर्चा के दौरान यह तय हो चुका है कि हमारी विदेशी नीति के सिद्धांतो का पुनः मूल्यांकन और नवीकरण होना चाहिये।

मैं यह कहूंगा कि हमारी नवीकृत विदेशी नीति को स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादूर शास्त्री द्वारा बर्मा, लंका, नेपाल और ताशकंद में उपयोग करने से अच्छे परिणाम निकले हैं। यदि शास्त्रीजी और जीवित रहते तो शायद हमारी विदेशी नीति का पूर्ण नवीकरण हो जाता।

हमारी शान्ति की पुरानी नीतियों ने हमको चीन व पाकिस्तान के मुकाबले मुश्किल में डाल दिया था। अभिभाषण में अपने देश तथा दूसरे देशों की तरक्की शांति द्वारा ही हो सकने की घोषणा की गई है तथा गुटों से हमारे अलग रहने की नीति पर पुनः बल दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह सब हमारे देश को प्राचीन समय की तरफ ले जा रहे हैं।

चीन से हमारी सम्बन्धों के बारे में अभिभाषण में केवल इतना ही कहा गया है कि दुर्भाग्य से हमारे सम्बन्ध चीन से अभी तक खराब चल रहे हैं। तथा चीन के बारे में हमारी नीति इतनी ही बताई गई है कि देश को सतर्क तथा मज़बूत होना चाहिये। इतना सब कहना सचाई को दबाकर कहना है।

हम चीन के सम्बन्ध में कोलम्बों प्रस्तावों पर अधिक बल दे रहें हैं परंतु ये प्रस्ताव हमारी नीति का स्थान नहीं ले सकते। चीन द्वारा कोलम्बों प्रस्तावों की अवहेलना की जा चुकी है।

[श्री नारायण दांडेकर]

चीनियों ने तिब्बत के बारे में हुये करार को तोड़ा है, परन्तु हमारी सरकार अभी उसी करार को मान रही है। चीनी हमारे सिक्किम व भूटान से सम्बन्धों के बारे में पहिले हुए समझौते को नहीं मानते।

उन कोलम्बो शक्तियों का जिन्होंने कोलम्बों प्रस्ताव तैयार किये थे क्या परिणाम हुआ है? घाना व संयुक्त अरब गणराज्य का महत्व स्पष्ट है। बर्मा व कम्बोडिया से कोई लाभ नहीं। लंका में दूसरी तरह की सरकार है और इन्डोनेशिया में कोई सरकार ही नहीं है। इस प्रकार कोलम्बों शक्तियों का यह हाल है परन्तु हमारी सरकार कोलम्बों प्रस्तावों का ही गीत गाती रहती है।

चीन के बारे में हमारी क्या नीति होनी चाहिये ? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहिले मैं कहूंगा कि दक्षिणी विएतनाम चीन की साम्यवाद नीति का अच्छा उदाहरण है। डाक्टर हो ची मिन्ह ने सदैव ही 1954 के जेनिवा करार को तोड़ने की कोशिश की है। परन्तु हम हैं कि हमेशा जेनिवा करार के ही गुणगान करते रहते हैं। 1962 से उत्तरी विएतनाम की भारत के प्रति नीति भी बराबर विद्रोहपूर्ण रही है। 1962 में उत्तरी विएतनाम की पार्टी ने कहा था कि भारत का चीनी क्षेत्रों को बल प्रयोग द्वारा हथियाना और चीन के सुझावों को रद्द करना चीन की शान्तिपूर्ण नीति के विरुद्ध है। उधर लेयो शाओ-ची ने कहा था कि चीन व विएतनाम उतने ही घनिष्ट पड़ोसी हैं जैसे होंठ व दांत।

हमें उत्तरी व दक्षिणी कोरिया में हो रही घटनाओं का सही अनुमान लगाना आवश्यक है। चीन व ताइवान, उत्तरी विएतनाम व दक्षिणी विएतनाम, केम्बोडिया व लाओस, थागलारिज, भुटान व सिक्किम, बारा होती व लद्दाख के सम्बन्धों व हालात को देख कर चीन द्वारा दक्षिणपूर्वी एशिया में अपना नायकत्व स्थापित करने की नीति का अनुमान लगाया जा सकता है।

चीन की समस्या शक्ति की समस्या है। यह सीमा के झगड़ों की समस्या नहीं है। चीन दक्षिण-पूर्व एशिया में अपने नायकत्व स्थापित करने की नीति में भारत को एक रोड़ा समझता है। अब हम को अपनी गुटों से अलग रहने वाली नीति को छोड़कर जापान, मलयेशिया, लंका, आस्ट्रेलिया और फिलिपीन्स के साथ गुट बनाना चाहिये क्यूकि यह देश चीन से भयभीत हैं। हमारी चीन के सम्बन्ध में नीति केवल सीमा के झगड़ों तक ही सीमित नही रहना चाहिये।

अंत में मैं कुछ पाकिस्तान के सम्बन्ध में भी कहूंगा। ताशकन्द समझौता एक ऐसी चीज़ है जो मानव जाति द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिये। ताशकन्द घोषणा विश्वास व आस्था का बड़ा कार्य है जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं श्री कोसीजिन ने दोनों देशों को एक दूसरे से दबाव डाल कर नहीं मिलाया है। मानव और पशु में यह अंतर है कि मानव अच्छाई व आस्था को समझता है परन्तु पशु में इस प्रकार की समझ नहीं होती। पाकिस्तान यदि अच्छाई व मानव की उच्चता में विश्वास नहीं रखता तो क्या हमें अपना विश्वास दृढ़ रखना चाहिये। यदि शास्त्रीजी व श्री अयूब द्वारा किये गये ताशकन्द समझौते जैसे आस्था के बड़े कार्य को सफलता मिलती है तो भारत व पाकिस्तान दोनों देशों का भविष्य उज्ज्वल है। यह सब तब ही हो सकता है जब ऐसे ही दूसरे कुछ और आस्था के कार्य किये जायें तथा दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़े। हमें दोनों देशों के बीच अपने वित्तीय और वाणिज्य सम्बन्धी झगड़ों को सुलझाकर अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने की कार्यवाही करना चाहिये।

इस संबध में मैं योरोपीय साझा मण्डी का उदाहरण दूंगा। योरोपीय साझा मण्डी भी एक आस्था का कार्य हुआ है जिस से पश्चिमी योरोप में बड़ा आर्थिक उत्थान हुआ है। हम इस से यह अनुमान लगा सकते हैं कि आस्था के कार्यों से कितना लाभ हो सकता है। दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसे ही आस्था के कार्य किये जा सकते हैं। ताशकंद समझौते को छोड़ कर राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ और ऐसी चीज़ नहीं है जो इस समय को मैं सिफारिश व समर्थन के साथ बता सकूं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं प्रस्ताव करती हूँ :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते है कि अभिभाषण में उत्तरी वियतनाम पर बमबारी आरम्भ करने और जनेवा समझौते के निरन्तर उल्लंघन तथा संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा युद्ध बढ़ाये जाने की, जिससे विश्व शांति और विशेषकर दक्षिण-पूर्व एशिया में शांति खतरे में पड़ गई है, कोई निन्दा नहीं की गई है।" (5)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में सरकार की खाद्य तथा कृषि नीति की असफलता को, जिससे भुखमरी, ऊंची कीमतें और व्यापक असंतोष जिसका स्पष्ट उदाहरण केरल है और आयात पर निर्भरता उत्पन्न हुई है, स्वीकार नहीं किया गया है और खाद्य संबंधी आत्मनिर्भरता तथा अनाज के थोक व्यापार और वितरण पर राष्ट्रीय नियंत्रण के लिये आवश्यक कार्यवाही का उल्लेख भी नहीं किया गया है।" (6)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में आपातकालीन स्थिति तुरन्त समाप्त करने तथा राजनैतिक बन्दियों की रिहाई की घोषणा नहीं की गई है।" (7)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि प्रस्ताव में :—

(क) केरल राज्य में वहां की जनता के समाधान के अनुरूप चावल का राशन बढाने के ठोस उपायों का कोई उल्लेख नहीं है ;

(ख) केरल राज्य में क्विलन, त्रिचूर और अन्य जिलों में जनता पर विशेषकर छात्रों पर पुलिस अत्याचार का कोई उल्लेख नहीं है ;

(ग) हाल के खाद्य आन्दोलन के संबंध में गिरफ्तार व्यक्तियों की रिहाई और अभियोगों के वापस लिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है ;

(घ) विरोधी दलों के राजनैतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने और उनके निरोध के लिए भारत सुरक्षा नियम के दुरुपयोग का कोई उल्लेख नहीं है; और

(ङ) केरल में निर्वाचन कराने तथा लोकप्रिय सरकार स्थापित करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (11)

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : There are three main problems facing the country namely, the increasing population, underproduction of food and the defence of the country. We all think and act in regard to all these problems according to our own views but we never get to the root of these problems. The Congress Government is mainly and the opposition is partly responsible for the defective working of our democracy. I want to analyse the extent to which each of the two is responsible.

After the general elections, the Central Government and more than that the State Governments begin to make all out efforts to demoralise the opposition and this they consider it to be their politics.

An honourable Member : This goes on both the sides.

Shri Kashi Ram Gupta : It is not so but only that side which enjoys power can and does indulge in misuse of the power. Hence the side injoying power is more to blame. One can cite each state as an example in this connection.

In Bihar, efforts were made to completely annihilate the Swatantra party. The Jharkhand party is also in similar condition. The party in power employed the trick of offering Ministership or Deputy Ministership to members of that party.

Similarly in Madhya Pradesh, the Congress was short of majority by only a four or five votes. All possible underhand means were taken recourse to and ultimately some people were immorally made to break away from the opposition and join the Congress to make it a majority party.

In Rajasthan, the number of Congress Party was equal to that of the opposition. They took in people from the Nirdaliya Dal in order to make the Congress party in majority. Later, they tempted the Swatantra party and it is now said that one of its members, a maharaja, is propose to be made an Ambassador and sent out. This is not proper as this appointment is not made on grounds of merits.

At the time of the recent elections to the office of the Prime Minister, they feigned to show that it was our whole country that had to elect a Prime Minister but why this section of the House was not included. The Congress party keeps to its own way of doing things and that tendency on their part can prove to be inconceivably disastrous.

Besides, there are about eight groups which comprise the opposition. Each individual group has its own differences and they cannot even think of achieving power for themselves. If the different groups in the opposition unite, the Congress Government says it is an hurdle in their way. The opposition is, therefore, helping the ruling party, knowingly or unknowingly. Hence, none of the opposition groups can ever hope to be in power in future. In the coming five years, situation will arise that people will say that the Congress had been ruling even though the people did not want it to be in power. People say they are unhappy and that they want change but they are little aware that the machinery which can bring out a change is itself out of gear. I propose that a code of conduct be evolved by us politicians. Nandaji who is out to finish corruption, is a corrupt man himself in this context. His party is equally corrupt. What will people like him be called by posterity.

An Hon. Member : A man of character.

Shri Kashi Ram Gupta : If people like him are to be called man of character, what will the characterless people be called ?

In the recent Jaipur session of the Congress, the whole fake drama regarding Shri Sukhadia being made Secretary of the A.I.C.C. was exposed.

Mr. Deputy Speaker : Let not the Hon. Member bring in names of persons who are not here to defend themselves.

Shri Kashi Ram Gupta : I am not referring to any names but I am only talking 'with refernce to the context.' What I mean to say is that we should formulate a code of conduct so that one who is elected on a particular ticket may not have liberty later to change sides. The English do not relish change of the party after election. But the changes that take place here and the bargaining that is involved therein is quite disastrous and must be discouraged. The remedy is that elections to the Lok Sabha and to different State Assemblies be held separately or if this much cannot be done, at least, the confusion that is created in regard to the election symbols be put an end to. The symbols for parties should, therefore, be separate for elections to both the Lok Sabha and the State Assemblies. Similarly, the manifestos should also be separate for each State in view of the local conditions obtaining there in each State. In our country, the manifestos are issued for the country as a whole whereas the elections are held locally in different places. Similarly the tendency to fight an election just to ensure less votes to the rival candidate be also put an end to.

There is yet another problem. The Congress also needs a good opposition. They want the latters number to be as much reduced as possible because in that way their own number gets inflated.

I would now take up the laws regulating the land reforms. The laws that are made at present, lend the farmers into litigation. The land may not be worth a hundred rupees but the farmers incur 500/- on litigation with the result that the landless are reduced to a helpless State. While the Government says lands will be given to the jawans, the Patwaris in villages implicate them in such a way that they wander from place to place for settlement of their matters. The whole thing will come to light if a probe is made at a place where distribution of land has been made so that one may see how may have been given cheap land and how may landless people been given land. The actual benefit of land reforms has gone to those who are in power or are politicians for there have been cases where people, who have hardly ever seen a plough and who live in cities or towns been allotted lands. For no other reason than that they are connected with the ruling party. With such a tug of war going on for lands, the question of land reforms and production of foodgrains does not arise.

The President in his Address, said that villages will be electrified but no mention has been made of the difficulties in Rajasthan and Madhya Pradesh or even in the whole of India. The hydroelectric scheme has almost failed and the reason attributed to it is failure of rains. Every four or five years, it is a drought here. Does it mean that in that case the villages and their industries will go to the rock ? The Government is responsible for this. When they do not have electric power,

[Shri Kashi Ram Gupta]

how can they give it to any villages. Promises in the Address, support the opinion that the Governments deeds and words are poles apart. Hence people do not want to confide in the Government or to invest money in agriculture.

The scheme for establishing plants that produce gas from cowdung has also failed. If our scientists are so incompetent as not able to make this scheme materialise, how can revolutionary changes be expected to take place in the rural areas. In the small scale industries, too, neither the Employer is happy nor the Employees are contented. The reason is that all the laws that are made are in favoury the large scale industries alone. This Government never cares for the small scale industries.

It is said that a scheme providing for Provident Funds for the workers in the mill-stone industry is soon to be brought into force but that is not going to benefit the workers for the State Governments lease out quarries for a period of five years. Hence Provident Fund Scheme for a period of five Years will be of no use to the workers. Also if the lease period or the major minerals is kept for 20 years and for the minor minerals for five years is implemented, then the workers will be in trouble and their money will be at stake.

In regard to the production and distribution of foodgrains, I have only to say that so long as our approach is on statistics and confined to paper work, much away from the reality, there can be no real progress. We will have to take stock of the situation obtaining in a particular village or a district. Dr. K.L. Rao had, the other day, said that individual schemes should be made for each wheat growing district and not for each state. I want to put this scheme should be for a individual place growing a particular article.

To take up the matters of Khadi Commission, I would say that the scheme followed by the Commission is not in conformity to the ideals of Mahatma Gandhi or Vinobaji or the Congress. The scheme envisages benefit to a section of a the population; the spinner or the weaver are not benefited. It requires a change but for fear of loss in income to the mill owners, it cannot be expected to be brought out. Either it should be stopped for good or run efficiently.

Unless one policy for the country as a whole is formulated in regard to prohibition and education, the country can never be benefited.

Even the question of Hindi is not uninfluenced by politics and this is quite dangerous. Either the Government should implement their policy regarding Hindi with cooperation of all the sections of the country or declare their incompetence to do so. In Madras, everybody holds the opinion that those who favour Hindi are their enemies. A round table conference on Hindi should be held to evolve a scheme in this behalf which may command support of all in the country otherwise the question of Hindi will imperil the unity of the nation.

श्री कर्णी सिंहजी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाय, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में—

(क) राजस्थान में खारे पानी वाले क्षेत्रों को, जैसे बीकानेर जिले में लूणकरणसर क्षेत्र को पीने का पानी देने के लिये प्रस्तावित निश्चयात्मक कार्यवाहियों के बारे में; तथा

(ख) अत्यावश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुये भावों को रोकने के लिये की जाने वाली कार्य वाहियों के बारे में कोई, उल्लख नहीं है।" (50)

श्री खाडिलकर (खेड) : हम राष्ट्रपति महोदय के उनके दिये हुए अभिभाषण के लिये आभारी हैं क्यूंकि उसके द्वारा इस सदन को देश और विदेश की हालत पर विचार करने तथा अपनी सफलताओं और असफलताओं और भविष्य के लिये संभावनाओं का अनुमान लगाने का अवसर मिलता है। पिछले साल की हमारी महान सफ़लता जिसका श्रेय सरकार को है, वह हमारा पाकिस्तान को उसके आक्रमण के समय दिये गये मूंह तोड़ जवाब को है। वह हमारी केवल सामरिक विजय ही नहीं अपितु नैतिक विजय भी है। जो कुछ ताशकंद में हुआ वह एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने मात्र नहीं है अपितु 18 साल के संघर्ष और कलह के बाद उसके द्वारा भारत और पाकिस्तान निकट आ सके हैं।

पाकिस्तान को एक ऐसा रास्ता अपनाना पड़ा है जिसको वह इन 18 वर्षों में ठोकर मारता रहा है। जब से देश का विभाजन हुआ है और दो राष्ट्र बने हैं दोनों ही आपस में लड़ते-भिड़ते रहे हैं। एक देश के इस कृत्रिम विभाजन का लाभ उठाकर कुछ पश्चिमी शक्तियों ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ किया और घृणा, शंका और अविश्वास के कारण सीमा पर झगड़े और गोलीबारी होती रही। ताशकन्द घोषणा के बाद सीमा पर गोलीबारी के सम्बन्ध में इस सभा में कोई काम रोको प्रस्ताव या ध्यान आकर्षण सूचना का प्रश्न नहीं लाया गया है। या ताशकंद घोषणा का ही फल है। जैसा कि विरोधी दल के एक सदस्य ने कहा है ताशकंद घोषणा एक आस्था का कार्य हुआ है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री के 18 महीने के छोटे अर्से में एक के बाद एक घटनायें हुई हैं और युद्ध भी, चाहे यह अघोषित ही क्यों नहीं, हुआ है। उन्होंने अपनी विजय और यश के क्षणों में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए और जीवन बलिदान किया। यह भविष्य के इतिहास को बदल देगा।

माननीय श्री दांडेकर ने इस समझौते का स्वागत किया है परंतु उन व्यक्तियों के प्रति अपना रवैया नहीं बदला है जिनके द्वारा भारत व पाकिस्तान निकट आए हैं। श्री कोसिगिन द्वारा इस कार्य को अपनी नीति व सुझबूझ से सफल बनाया है और रुसी नीति चातुर्य और कुशलता की यह महान सफलता रुसी राजनयिक इतिहास में अमर रहेगी। रूसने स्वयं समाजवादी संसद का नेता होते हुए, राष्ट्र मण्डल के दो देशों के झगड़ों को सुलझाने के लिये हाथ बढ़ाया है। पश्चिमी शक्तियां संदेह कर रही थी और चीन उस समय पाकिस्तान को अपनी तरफ़ मिलाने की चालें चल रहा था। ऐसे समय, जहां तक भारत व पाकिस्तान का सवाल है, रूस की ताशकंद में विजय हुई है।

परन्तु चीन अभी युद्ध तत्पर, ही है। फिर भी सीमा पर तनाव काफी कम हो गया है। रूस ने जापान के समझौता भी किया है और दक्षिण विएतनाम को छोड़ कर यह उसकी नीति की एक और विजय हुई है। रूस की विचार धारा और चीन की विचार धारा एक दूसरे से मेल नहीं खाती और विएतनाम ही एक ऐसा स्थान रह जाता है जहां अभी झगड़ा है। ताशकंद समझौता संसार के इतिहास में परिवर्तन-स्थल सिद्ध हो सकता है यदि हम इस समझौते को यथोचित भाव से देखे और स्वर्गीय प्रधान मंत्री उनके नीतिचातुर्य और कुशलता द्वारा मिली महान सफलता को समझें। इन कारणों से शास्त्रीजी के निधन से एक महान जीवन का अकाल अंत हुआ है।

मेरे माननीय मित्र श्री दांडेकर ने कहा कि अभिभाषण में कुछ नई बातों का उल्लेख नहीं है। परन्तु वह यदि अपनी आंखों के सामने से परदा हटा कर देखें तो उन्ह पता चलेगा कि विएतनाम में हो रहे युद्ध के विरुद्ध सारे संसार का प्रजातंत्रीय मत अब विएतनाम में हो रहे युद्ध के विरुद्ध हो चला है। अमरीका में भी सत्तारूढ दल दक्षिणी विएतनाम में हो

[श्री खाडिलकर]

रहे यद्ध के खिलाफ़ है। हम चाहे गरीब और उतने शक्तिशाली देश न हो परन्तु हमारा एक बड़ा राष्ट्र है। हमारे बड़े राष्ट्र होने की प्रतिमा सारे विश्व में स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने विकसित की है। हमें इसे नहीं भूलना चाहिये और जहां सिद्धांतानुसार हमारे बोलने की आवश्यकता हैं हमें हीनता का भाव नहीं लाना चाहिये और जो कहना है वह कहना चाहिये चाह सामरिक से दृष्टि से हमारी बात में बल न हो परन्तु हम इससे घटनाओं के क्रम को बदलकर विएत-नाम में शान्ति वापस ला सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 22 फरवरी, 1966/3 फाल्गुन, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, February 22, 1966/*Phalguna* 3, 1887 (*Saka*).

भा0स0मु0ना0—वि1—21 लोक सभा/1966—7-6-67—600